राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] **सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का दूसरा दिवस** **[संख्या: 02**

गुरुवार,

04 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राम-राम।

...(व्यवधान) सबसे मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न काल चलने दें। सबसे पहले प्रश्न काल, उसमें कोई और बात नहीं होगी। (व्यवधान) आप बैठ जाइए।

श्री ललित मीना।

किशनगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों में रात्रि गश्त

1. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की सीमा से जुड़े मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र की पारदी गैंग द्वारा प्रदेश में लूट व डकैती के गिरोह पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत तीन वर्षो में पारदी गैंग पर लूट व डकैती के दर्ज मुकदमों में से कितने का निस्तारण हुआ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सीमावर्ती थानों में रात्रि गश्त हेतु आर ए सी के जवान लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की सीमा से जुड़े मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र की पारदी गैंग के राज्य में किये जाने वाले अपराधों (लूट-डकैती) की रोकथाम हेतु राज्य पुलिस द्वारा

(श्री गजेन्द्र सिंह)

मध्यप्रदेश पुलिस के साथ समय-समय पर थानाधिकारी से महानिरीक्षक पुलिस रेंज स्तर तक इन्टरस्टेट मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें वांछित अपराधियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया जाकर अधिक-से-अधिक वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की सीमा पर 6 नाके लगाये गये हैं जिन पर समय-समय पर हथियारबन्द पुलिस जाप्ता लगाकर नाकाबंदी की जाती है। पारदी गैंग के वांछित अपराधियों पर जिला बारां व मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा समय-समय पर उचित इनाम राशि की घोषणा की जाती है तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है।

(2) प्रदेश में पारदी गैंग पर विगत 3 वर्षों से अब तक लूट-डकैती के कुल 5 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से 4 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा 01 प्रकरण पैण्डिंग है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के सीमावर्ती थानों मे थाना स्तर पर जाप्ता लगाकर रात्रि गश्त करवाई जाती है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला बारां को कानून व्यवस्था हेतु रिजर्व बल के रूप में विशेष आपरेशन सायंकालीन पैदल गश्त नाकाबन्दी हेतु एक कम्पनी आर ए सी की उपलब्ध करवायी गयी है। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के सीमावर्ती थानों मे समय-समय पर आर ए सी जाप्ता उपलब्धता के आधार पर गश्त हेतु उपलब्ध करवाया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइए। प्रश्न काल में पहले कोई और बात नहीं होगी। आप बैठ जाइए। (व्यवधान) बैठ जाइए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): ...(व्यवधान) आप मुझे समय बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मेरे को आपका नाम लेना पड़ेगा। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) नहीं, नहीं, प्रश्न काल के बाद। (व्यवधान) मैंने प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान) नो। मैंने व्यवस्था दे दी है। प्रश्न काल के बाद बात करेंगे। (व्यवधान) कह दिया आपको, प्रश्न काल के बाद। (व्यवधान) प्रश्न काल के बाद, आप बैठिए, आप मंत्री रहे हैं। आपको व्यवस्था पता है। (व्यवधान) मंत्रीजी, आप बोलिए। (व्यवधान) हां, आप खड़े रहिए। (व्यवधान) इनका अंकित नहीं हो।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न काल के बाद का आप इनको समय दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनको नहीं, हरेक को नहीं। इनको, नेता प्रतिपक्ष को समय मिलेगा। (व्यवधान) आप नियमों के तहत आइए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्ष: यह नियमों में नहीं है। आप बैठिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बोलें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि हमारे बारां, अंता, मांगरोल, छीपाबड़ौद में आर ए सी बटालियन आलरेडी मौजूद है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मत पढ़ाइए, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप बैठिए।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि किशनगंज-शाहबाद मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है, तो आप यहां आर ए सी बटालियन परमानेंट लगाने का विचार रखते हैं या नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें, प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। आप बैठिए, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बारां में एक कम्पनी लगी हुई है, वहां पर 75 सिपाही हैं। आर ए सी लोकल पुलिस की सहायता करती है, असिस्टेंस करती है। डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, प्रश्न काल में कोई बीच में नहीं बोलेगा। (व्यवधान) आपको बोलने की अनुमति दूंगा, कह दिया न आपको। उनको अवसर नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वो नियमों में आये हैं।

श्री अध्यक्ष: नियमों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह मुझे तय करना है। आप बैठिए, पहले रिटन में भेजिए कि क्या बोलना है। (व्यवधान) अभी प्रश्न काल चलने दीजिए, बीच में कोई चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप बोलें। प्रश्न का उत्तर दीजिए। (व्यवधान)

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्ष: मुझे पता है, मैंने संविधान पढ़ा है, आप भी पढ़ कर आइए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बारां जिले में अभी आर ए सी की एक कम्पनी तैनात है, जिसमें 75 सिपाही हैं और यह पुलिस असिस्टेंस देती है, 6 नाके और 8 चौकियां लगी हुई हैं। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बोर्डर एरिया में पारदी गैंग ने जो आतंक मचाया हुआ है, उनको पकड़ने के लिए कुल 146 पुलिसकर्मी खाली उस बोर्डर एरिया में लगे हुए हैं। ये गैंग गुना जिला से आती है और शिवपुरी मध्य प्रदेश की हैं और राजस्थान में एंटर करके लूटमार करती हैं और वापस अपने जिले में निकल जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वहां बटालियन की तो जरूरत नहीं है पर एस पी से हमारी बात हुई थी और डिपार्टमेंट से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो आर ए सी बटालियन के ज्यादा लोग, अधिकांश लोग हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा बोर्डर एरिया पर कर दिया जाएगा, ताकि माननीय सदस्य को यह लूटमार की क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है, वह नहीं आए।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो आर ए सी बटालियन परमानेंट वहां पर है क्योंकि बोर्डर इलाका है और पारदी गिरोह पिछले दो महीने से वहां पर सक्रिय है, बारां जिले के मेरे किशनगंज-शाहबाद में, 134 जवान आपके आर ए सी बटालियन के वहां पर रहते हैं लेकिन वर्तमान में आपके 134 नहीं हैं। मांगरोल, अंता, छबड़ा, छीपाबड़ौद में आपके प्लाटून मौजूद हैं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थायी आपके वहां पर कोई प्लाटून नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि वहां पर स्थायी प्लाटून रखें, ताकि वहां पर हमारे लोगों की सुरक्षा हो सके। पारदी गिरोह रात को दस बजे से सुबह चार बजे तक गांव में घूमते हैं, वो दहशत फैलाते हैं, वहां के लोग रात-रात भर जगे रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री ललित मीना (किशनगंज): पिछले दो महीने से बहुत समस्या आ रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी सदन के माध्यम से घोषणा करें ताकि स्थायी प्लाटून वहां पर स्थापित की जा सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इन्हीं का प्रश्न है। दो पूरक प्रश्न के बाद अगला प्रश्न आएगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कुल 16 बटालियंस हैं आर ए सी की और 01 बटालियन में एवरेज 75 सिपाही हैं। 50 जिलों को देखते हुए, बारां छोटा जिला है, हमने 01 पूरी कम्पनी इनको दी हुई है, 01 कम्पनी हमारे अनुसार पर्याप्त है। इसमें इतना जरूर है कि हमने एस पी को बोल दिया है कि आप इसके अन्दर बोर्डर एरिया में थोड़ा-सा ज्यादा ध्यान बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिमोहन शर्मा। (व्यवधान) एक मिनट, माननीय सदस्य, बैठें। प्रतिपक्ष के नेता कुछ बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के विधायक ही बड़े परेशान हैं और कह रहे हैं कि दो महीने से पारदी गैंग का आतंक बढ़ गया है। सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मंत्रीजी ने मना कर दिया है कि जो व्यवस्था हमने करा रखी है वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा व्यवस्था हम नहीं कराएंगे तो मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो विधायक महोदय का सवाल है कि दो महीने से जो अपराध वहां लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी व्यवस्था आप कराएंगे या आपका बारां का जो प्रशासन है, वो वहां हमारे जो पूर्व मंत्रीजी हैं उन पर मुकदमे दर्ज करने में लगा हुआ है। पिछले 7 महीने में 9 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, तो उनके पास उन पर मुकदमे दर्ज करने और कार्यवाही करने का तो समय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पर ये राज के विधायक हैं, जो राज के विधायक हैं, उनके वहां पर जो आतंक बढ़ रहा है, उस पर कार्यवाही करने का समय नहीं है। इस चीज का जवाब दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) आप चुप रहिए। (व्यवधान) आप, माननीय मंत्री महोदय, कुछ कहेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जब इनकी सरकार थी तो पांच साल के अन्दर इन्होंने केवल 12 मीटिंग की और हमने छह महीने में चार कर दीं। वारदातें उसकी डिटेल्स मेरे पास है। एक्चुअली इतनी ज्यादा वारदातें नहीं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिमोहन शर्मा।

बूंदी में वृन्दावती आर.टी.डी.सी. होटल का संचालन

2. श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बूंदी में विगत पांच वर्षों में किन-किन पर्यटन स्थलों में किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं? सरकार द्वारा उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की वृन्दावती आर टी डी सी होटल को पुन: प्रारम्भ करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) जिला बूंदी में विगत पांच वर्षों में राज्य योजना मद/पर्यटन विकास कोष से विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत पर्यटन विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृति दिनांक 29.02.2024 के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव केशोरायपाटन, बूंदी हेतु राशि रु. 1737.38 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है।

(2) बून्दी जिले में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. के बंद होटल, जिनमें वृन्दावती भी सम्मिलित है, को पुन: संचालित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का उत्तर पढ़ लिया है। मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): ये आपने संख्या (4) पर 60 प्रतिशत का पुरातत्व विभाग द्वारा बूंदी में पूरा करना बताया है। आप यह बताएं कि किस-किस बावड़ी का कितना-कितना काम पूरा हुआ और किस-किस बावड़ी का काम चालू ही नहीं हुआ और किसकिस बावड़ी का काम अधूरा है? यह बताने का भी आप कष्ट करें कि इन कार्यों की गुणवत्ता के लिए आपने पुरातत्व विभाग से किन अधिकारियों को भेजा है? अगर भेजा है तो किनको भेजा है और उनकी गुणवत्ता देखने के बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट आपको दी है? वह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बावड़ियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 9 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट दिया गया था और इसकी कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व संग्रहालय विभाग को दी गई थी।

विभाग द्वारा शनिवार को पूरी टीम भेजी गयी थी। उसकी डिटेल्ड जांच करवायी गयी है। हम यह भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन बावड़ियों का जो पुनरुत्थान किया जा रहा है, वह हैरिटेज स्वरूप में ही किया जायेगा। जल्दी ही इस कार्य को पूर्ण करवाया जायेगा। दिसम्बर 2024 इस कार्य के पूर्ण होने की अवधि है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): आपने मेरा प्रश्न सुन लिया, किन-किन बावड़ियों का काम पूरा हो गया और किन-किन बावड़ियों का काम अधूरा है? आपने टोटल एग्रीगेट में लिख दिया कि 60 परसेंट हुआ है तो कौन-सी बावड़ियों का पूरा हुआ, कौन-सी अधूरी हैं, कौन-सी का होना बाकी है? जहां तक गुणवत्ता का मैंने आपसे पूछा है, क्या गुणवत्ता की जांच के लिए पुरातत्व विभाग से कोई अधिकारी गये थे? क्या उन्होंने गुणवत्ता के सम्बन्ध में आपके समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है या फिर कोई गया ही नहीं?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां पर जाकर जांच की है। जहां तक इन बावड़ियों का सवाल है, उसमें केवल क्लब बावड़ी है, जिसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त सभी बावड़ियों के कार्य प्रगतिशील हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थानीय कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा क्लब बावड़ी का पुनरुत्थान कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। बाकी जितनी भी

(डॉ. मंजू बाघमार)

बावड़ियां हैं, उनका कार्य प्रगति पर है और उसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: दो हो गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): या तो आप यह स्वीकार करें कि जवाब नहीं दे पायी सरकार।

श्री अध्यक्ष: आपके दो पूरक प्रश्न हो गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी): आपने मुझे पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया। आपने सरकार को प्रोटेक्ट किया तो आपकी मर्जी। बाकी जवाब तो आना चाहिये न।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

3. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में विगत तीन वर्षों में अतिवृष्टि व प्राकृतिक प्रकोप से किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है? यदि हां, तो सर्वे के अनुसार कहां-कहां पर, कितना-कितना नुकसान हुआ? वर्षवार, ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में हुए नुकसान का मुआवजा शेष है? यदि हां, तो किन-किनका, कितना-कितना? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है, आप पहले हाथ खड़ा करते तो मुझे सुविधा होती।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो सप्लीमेंटरी अलाउ किया है, वही माननीय सदस्य ने पूछा है। उसका जवाब ही दिला दीजिये। तीसरा नहीं पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष: जवाब दिला दिया न। दोनों के जवाब आ गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, दूसरे का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: जवाब आपके अनुकूल आये, यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया। आप उनके चैम्बर में जाकर उनसे मिल लीजियेगा।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री ओटा राम देवासी): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में गत तीन वर्षों में संवत् 2078 से 2080 (वर्ष 2021 से 2023) तक अतिवृष्टि (बाढ़) एवं ओलावृष्टि से गिरदावरी/सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 80,539 हैक्टेयर क्षेत्र में फसल खराबा हुआ है, जिसका वर्षवार, ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी सीट पर बैठे रहें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये उप-मुख्य मंत्री को भी तो सीट पर बैठाएं। वैसे ही दो में से एक हैं।

श्री अध्यक्ष: आप भी अपने मुख्य मंत्री का पूछ लेना। माननीय सदस्य, बैठिये। सब लोग जानते हैं, पहले भी क्या होता था और अब क्या है। जब उन्हें सुविधा होगी, आ जाएंगे।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री ओटा राम देवासी): (2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छीपाबड़ौद व छबड़ा में उक्त अवधि के दौरान बाढ़ एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 50,834 काश्तकारों का 31.37 करोड़ (इकतीस करोड़ सैंतीस लाख) रु. का कृषि आदान-अनुदान भुगतान शेष है, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक तो आप यह बता दें कि 50 हजार किसानों के ये जो 31 करोड़ 37 लाख रुपये बाकी हैं, ये किस दिनांक तक उन्हें मिल जाएंगे? दूसरा, 2022 में 112 किसानों का रबी की फसल का मुआवजा बाकी है और 2022 में ही 120 काश्तकारों का खरीफ की फसल का मुआवजा बाकी है, यह कब तक हो जायेगा? मुझे जवाब में बताया गया है कि डी एम आई एस पोर्टल पर डाउनलोड नहीं होने की वजह से उनका मुआवजा नहीं मिला है, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने पोर्टल पर अपलोड करवा दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री जी, बैठ जाएं। आपको सज़ा थोड़ी मिली। वे अपना प्रश्न पूरा कर लें, फिर आप उत्तर देना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। नियमों को जानते हैं।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा, 2021, 2022 और 2023, इनका मैं विवरणवार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिस तरह से छबड़ा और छीपाबड़ौद में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से कुल 126 ग्राम पंचायतों में कुल 2 लाख 76 हजार काश्तकारों का कुल 80 हजार 539 हैक्टेयर में 33 परसेंट से अधिक फसल खराबा हुआ है। उसके लिए छबड़ा और छीपाबड़ौद में अतिवृष्टि से कुल 48 हजार 738 काश्तकारों का 31 करोड़ 39 हजार राशि का आदान-अनुदान शेष है, जो ओलावृष्टि से प्रभावित छबड़ा की आठ ग्राम पंचायतें हैं और जो 2039 काश्तकार हैं, उनके पोर्टल पर नाम सही नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही है, परन्तु जल्दी ही 31 करोड़ 37 लाख रुपये सैंक्शन कर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर के जी.बी.एच. मेडिकल कालेज व अस्पताल में अव्यवस्था

4. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जी.बी.एच. मेडिकल कालेज व अस्पताल में फायर फाइटिंग एवं कचरा संग्रहण की उचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मेडिकल कालेज द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर दूषित पानी छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी नहीं। जी बी एच मेडिकल कालेज खण्ड हास्पिटल में नियमानुसार फायर फाइटिंग से सम्बन्धित समस्त उपकरण स्थापित किये गये हैं। नगर निगम, उदयपुर द्वारा फायर फाइटिंग की एन ओ सी भी जारी की गयी है।

अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट तथा पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/नियमानुसार वेस्ट संग्रहण हेतु एक कक्ष निर्धारित है। साथ ही, रजिस्टर का संधारण कर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। संस्थान द्वारा अस्पताल परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग अस्पताल परिसर में बागवानी हेतु किया जाता है। साथ ही, बरसाती पानी की निकासी हेतु संस्थान की दीवार से लगते हुए प्राकृतिक कच्चे नाले में पाइपलाइन द्वारा निकासी की व्यवस्था की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुर की मौका मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उससे मैं सन्तुष्ट हूं, मगर यह प्राकृतिक नाला, जो कि परिसर में से निकल रहा है, उसे ओपन नहीं रखकर उसे पाट दिया है। पाइप द्वारा पानी ले जाने की वजह से रोड पर पानी भरता है, क्योंकि पर्याप्त निकासी उसमें नहीं है। रोड का वह पानी खेतों में जाता है, इसलिए क्या इस नाले को बड़ा करके या ओपन करके पूरी कैपेसिटी के हिसाब से बनवाने का विचार है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जी.बी.एच. मेडिकल कालेज है, वह अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज की ओनरशिप के अंडर है। हमारे विभाग ने 2015 में इन्हें एन ओ सी जारी की और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इन्हें प्रदान कर दिया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी पूरा चैक करके इन्हें एन ओ सी दी गयी। फायर डिपार्टमेंट ने भी एन ओ सी 04.05.2024 को दी, जो कि वैलिड है 03.05.2025 तक। इसी संस्था को उसकी स्थापना से पहले पंचायत बेडवास ने एन ओ सी दी थी।

अब जितने भी पैरामीटर्स हैं, वे इस संस्था ने फुलफिल कर लिये हैं। अभी माननीय विधायक महोदय की शिकायत पर एस डी एम ने भी जाकर वहां पर जानकारी की। जो पाइपलाइंस वगैरह वहां लगाये गये हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। मेरा यही अर्ज है कि इसके अन्दर ग्राम पंचायत, पोल्यूशन बोर्ड और कलेक्टर को भी हम कह देंगे कि एक बार दोबारा जांच कराकर सभी इश्यूज को एक कमेटी के अंडर रिव्यू करा लिया जाये ताकि आपकी समस्या दूर हो।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सर, यह जो पानी निकल रहा है और उसकी बाउंड्री के बाद में किसानों के खेतों में से वह नाला जा रहा है, मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, मगर इसका समाधान नहीं हुआ था। पूर्व सरकार ने इसका समाधान में यह कहा कि यह हमारी जमीन नहीं है, पंचायत की जमीन है। पंचायत के पास इतना बजट नहीं है कि उस नाले को प्राकृतिक नाले तक पहुंचा दे। वह छोटा-सा नाला एक प्राकृतिक नाली के रूप में है। उसे न तो हास्पिटल वाले बना रहे हैं, न यू डी ए बना रहा है। पंचायत के पास बजट नहीं है। या तो सी एस आर से इस नाले को बनाया जाये या यू डी ए बनाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): प्रश्न यही है कि इस नाले को कम्प्लीट कराकर प्राकृतिक नाले तक पहुंचाने का विचार आगे रखते हैं कि नहीं?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बेसिकली पूरा जवाब दे दिया है। आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है। अब यह हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के परव्यू में, ज्युरिस्डिक्शन में नहीं है। यदि इलाज के अन्दर कोई प्रोब्लम आये तो हम पिक्चर में आते हैं। इन्होंने एन ओ सी पोल्यूशन विभाग से भी ली है, हमारे डिपार्टमेंट से भी ली है। एस डी एम ने भी कर दिया है। मैंने पहले भी माननीय सदस्य को बताया है कि हम कलेक्टर को बोलेंगे कि आप दोबारा जांच कर लें। आप स्वयं भी जाकर उनसे मिल लें और अपनी शिकायत बता दें, तो यह पंचायत का या डिपार्टमेंट का जो इश्यू है, वे देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह जिस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हो, वहां बता दें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वैसे तो यदि माननीय सदस्य यहां पर प्रश्न उठाते हैं तो उनको कलेक्टर या किसी अन्य से मिलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहां मुद्दा आया है। माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि क्या सरकार जिन-जिन विभागों का इसके अन्दर रोल है, उन विभागों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराना चाहती है? दूसरा, जिन लोगों ने एन ओ सी दी है, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं, यदि एन ओ सी दी है और वहां पानी भर रहा है तो एन ओ सी गलत दी है। क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच करायेगी कि एन ओ सी गलत दी गई है?

श्री अध्यक्ष: शान्त रहिये। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दिक्कत है तो क्वेश्चन लगाना छोड़ दो, क्वेश्चन लगाना छोड़ दो। जितने क्वेश्चन लगावोगे, उतनी ही आपकी सारी स्थिति क्लीयर होगी।

श्री अध्यक्ष: आपके मंत्री बोल रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ये प्रतिपक्ष के नेता हर प्रश्न पर क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आपके मंत्री बोल रहे हैं। वे सक्षम हैं, उत्तर दे देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर आफ अपोजिशन ने यह कहा कि मंत्री जी मान रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं है। जो चैकिंग हुई है, इस आधार पर हुआ है। इसकी दोबारा जांच करा लेंगे। आप सही कह रहे हैं कि एन ओ सी किसने दी। इसमें पोल्यूशन बोर्ड ने एन ओ सी कैसे दी। अभी एस टी पी प्लांट है। इसकी पूरी जांच करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप जांच करवा दीजिये।

अगला प्रश्न। श्री केसाराम चौधरी।

विद्यालयों हेतु ऑनलाइन पोर्टल

5. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों की समस्त सूचनाओं का संधारण शाला दर्पण एवं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पोर्टल पर समस्त सूचनाएं ऑनलाइन होने के बाद भी सूचना विद्यालयों से लिखित रूप से मांगी जाती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुनिये। ये नहीं चलेगा। मंत्री जी, आप बोलिये। नहीं, प्रश्न काल में कुछ नहीं होगा। आप बैठिये। जब प्रश्न काल चल रहा हो, आप नियमों से आइये। आप बैठिये। यह प्रश्न काल है।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी हां। प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों की सूचनाओं का संधारण शाला दर्पण पोर्टल के

(शिक्षा मंत्री)

माध्यम से किया जाता है तथा निजी विद्यालयों की समस्त सूचनाओं का संधारण ऑनलाइन प्राइवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

इसके द्वारा विद्यालय, स्टाफ, विद्यार्थी तथा योजना डोमेन में विभिन्न सूचनाओं का संधारण ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है।

(2) जी नहीं। शाला दर्पण पोर्टल एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर जो सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वे सूचनाएं विद्यालयों से लिखित रूप से नहीं मांगी जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष: सुनना पड़ेगा। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न। आपका उत्तर हो गया है। श्री केसाराम चौधरी जी, पूरक प्रश्न पूछें।

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके ये पुराने पाप हैं। मेरे पास आपके जवाब हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने प्रश्न के दूसरे खण्ड में 'जी नहीं' कहा है, मगर पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह की जो सूचनाएं मांगी हैं, वे लिखित मांगी हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बाहर जाओगे। मैं नाम पुकारूंगा ऊपर चढ़ोगे तो।

अगला प्रश्न, श्री जब्बर सिंह सांखला। मैंने अगला प्रश्न पुकार दिया है। आप जाइये। भाई, प्रश्न काल चलने दो।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

आसीन्द मुख्यालय पर ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

6. **श्री जब्बर सिंह सांखला** (आसीन्द): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में नगरपालिका आसीन्द मुख्यालय पर ए.डी.जे. कोर्ट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उप-खण्ड बदनोर में सिविल कोर्ट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): (1) किसी स्थान पर नवीन अपर जिला न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

वर्तमान में आसीन्द मुख्यालय पर ए.डी.जे. (अपर जिला न्यायालय) की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लम्बित नहीं है।

भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आसीन्द क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(2) किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

वर्तमान में बदनोर मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लम्बित नहीं है।

भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार बदनोर क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, यह बात सही है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1000 से 1200 प्रकरण वहां होंगे, तभी ए.डी.जे. कोर्ट खोल सकते हैं। वर्तमान में वहां 500 से अधिक मुकदमे लम्बित हैं। क्या मंत्री महोदय आसीन्द में ए.डी.जे. कोर्ट की जगह एक कैम्प कोर्ट चालू करने का प्रयास करेंगे?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसीन्द में न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की संख्या बहुत कम है। फिर भी, दूरी को देखते हुए, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा कि क्या कैम्प कोर्ट खोला जा सकता है या नहीं। इसका पूरा परीक्षण किया जायेगा और यथा-सम्भव कोशिश करेंगे। कि अगर फिजीबिलिटी बराबर है। प्रकरण हैं, दूरी है तो कैम्प कोर्ट खोलने पर विचार किया जा सकेगा। मैं विधायक महोदय को ऐसा आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और कुछ पूछना है?

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): नहीं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश वर्मा।

गौशालाओं हेतु अनुदान राशि

7. श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गौशालाओं के लिए भूमि आबंटन के क्या नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार अनुदान राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) गौशालाओं हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि का आबंटन) नियम, 1957 में प्रावधान किये गये हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी जाती है।

जी हां। चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है।

वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिये जाने का

(गोपालन मंत्री)

प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गौवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गौवंश को वर्ष भर की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार बढ़ाया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में गो सेवा सैस के रूप में स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी राजस्व राशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत राशि गो कल्याण के लिए खर्च हुई? इसके बारे में पूरक प्रश्न, क्योंकि जिस तरीके का पूरे राजस्थान में पंचायत स्तर पर गोशालाओं का अनुदान और गोशालाओं का रखरखाव भूमि आबंटन से लेकर पंचायत स्तर पर कलेक्टर के यहां से गोशालाओं को जो अनुदान मिलता है, यह सब कुछ होने के बाद में अगर सरकार गो सेवा राजस्व शत-प्रतिशत उपयोग हेतु गो कल्याण के लिए विचार रखती है तो फिर पंचायत स्तर पर जो जमीन अलाटमेंट होती है, सब लोग कहते हैं कि आज दिन तक जितनी सरकारें आजादी के बाद में आयी हैं, गयी हैं, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार किसी न किसी प्रकार की फ्लैगशिप योजना गौशालाओं के लिए लेकर आयी, मगर जब भूमि अलाटमेंट की बात आती है तो गोशालाओं के लिए पंचायत स्तर पर भूमि अलाटमेंट नहीं होता है। पिछली सरकार चाहे 2013 से 2018 की सरकार हो या माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज दिन तक केवल और केवल कागजों के अन्दर नियम बने गोशालाओं के लिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): तो मेरा पूरक प्रश्न यह है कि पंचायत स्तर पर भी सरकार गोचर भूमि में गाय चरेगी, इसका कोई प्रावधान रखती है, पंचायत स्तर पर भूमि अलाटमेंट का विचार रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गोशाला में सेस कर के रूप में कितनी आय होती है और कितना खर्च होता है, वह मैं माननीय सदस्य को इनके कार्यालय में भेज दूंगा। (व्यवधान) आपका प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीधा मेरे से बात करें। माननीय सदस्य, हरिमोहन जी। मैं पूछूंगा, आप बैठें। आपको कोई अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के बोलना मना है। बैठिये।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि पंचायत स्तर पर गोशाला खोलने की सरकार की योजना चल रही है, उसमें भूमि आबंटन के भी नियम हैं और हर पंचायत स्तर पर गोशाला खोलने के प्रावधान हैं। पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शाला खोलने के प्रावधान हैं, उनमें भी भूमि आबंटन के नियम हैं और उन नियमों के तहत एप्लीकेशन लगायें तो निश्चित रूप से सरकार हर पंचायत स्तर पर गोशाला खोलने के लिए बाध्य है और सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। कोई ऐसी पंचायत नहीं रहे। आप सब माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा गोशाला खोलने के प्रस्ताव लायें। सरकार पूरी तरह से गोशाला के प्रति समर्पित है।

श्री अध्यक्ष: एक पूरक प्रश्न और है आपका। बैठे-बैठे नहीं बोलिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके का जवाब दिया इससे मैं बिलकुल संतुष्ट हूं और सरकार विचार भी रखती है मगर पिछली बार तो सरकार थी कांग्रेस की...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। हो गया। संतुष्ट हैं।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): लम्पी में जो गायें मरीं, आपने तो पूरे आंकड़े छुपाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में जो गौ की दशा हुई, कम से कम सरकार वो आंकड़े भी सदन की मेज पर रखे ताकि राजस्थान की जनता को यह पता तो चले कि लम्पी में गायें मर रही थीं, सरकार होटलों में ऐश कर रही थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): ...(व्यवधान) बहुत शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय सदस्य। इनको पुकार लिया है। आपका हो गया। आप संतुष्ट हैं, हो गई बात।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): इनको तो बोलने दो। वो तो बैठे ही नहीं अभी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी की अनुमति है। आप

(श्री टीकाराम जूली)

मंत्री लोग अध्यक्ष से ऊपर हो क्या? अध्यक्ष जी की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री।

श्री अध्यक्ष: आपस में नहीं। आप अध्यक्ष को सम्बोधित करिये। मैंने अनुमति नहीं दी अभी, बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। इनको ट्रेनिंग दीजिये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आप भी सदन नहीं चलने देना चाहते हो क्या? आप सदन चलने दो। बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसी को **+++** कहते हैं।

श्री अध्यक्ष: ये शब्द हटा दिये जायें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न का अधिकार है लेकिन मूल प्रश्नकर्ता का काम पूरा होने के बाद।

श्री अध्यक्ष: हो गया उनका। दोनों हो गये उनके।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न होने दो।

श्री अध्यक्ष: दोनों हो गये आपके।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): नहीं, बिलकुल नहीं हुए। मेरा पूरक प्रश्न होने के बाद नेता, प्रतिपक्ष को बुलवायें।

श्री अध्यक्ष: एक सैकंड। नेता, प्रतिपक्ष, आपको बाद में बुलवाऊंगा। आपको भी बुलवाऊंगा। मूल प्रश्न इनका है। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मेरा पूरक प्रश्न होने दो पहले, आप बीच-बीच में ऐसे उठ कर आ जाते हो। पूरक प्रश्न पूछने दो दूसरे नम्बर का। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): नेता, प्रतिपक्ष को इतनी जल्दी क्यों है? नेता, प्रतिपक्ष को अपनी मर्यादा समझनी चाहिये। नेता, प्रतिपक्ष, अपनी मर्यादा समझें पहले।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): बहुत सेंसेटिव मामला है गाय का। मेरा पूरक प्रश्न होने दो, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मैं अनुमति दूंगा। आप बैठिये। आप बोलिये। उनका प्रश्न है। बोलिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मेरा पूरक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कि पिछली सरकार के समय जब लम्पी की बीमारी आयी और लम्पी की बीमारी के दौरान पूरे प्रदेश में जो गोशालाओं की दुर्दशा हुई, इतनी गायें मर गयीं उस समय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया न मैं बुलवाऊंगा। मैं दबाव में नहीं आऊंगा। माननीय सदस्य, अपनी सीटों पर जाइये। माननीय सदस्य, श्री रफीक खान, अपनी सीट पर जाइये। ऐसे नहीं चलेगा। आई विल काल योअर नेम।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): और पूरे राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने ...(व्यवधान) कांग्रेस ने गोशालाओं के नाम पर राजनीति की...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): जिस तरीके की राजनीति इन्होंने गोशालाओं के नाम पर की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर राजनीति न की जाये। मैं अनुमति दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इनका खतम होने दो।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार सरकार फाइव स्टार होटलों में थी, राजस्थान में गायें मर रही थीं तब आप लोग कहां थे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): आपने आंकड़े छुपाये। आपने गाय के नाम पर राजनीति की। इनका चेहरा तो सामने आये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। हो गया। आप बोलिये। आपके नेता बोल रहे हैं। आपको नेता ही नहीं मानते ये। आप बैठिये। कई प्रश्न बाकी हैं, आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइये। मैंने पुकार लिया है नाम। प्रश्न काल के बीच में और कोई सदस्य नहीं बोलेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, पहले तो हाउस को आर्डर में लेकर आयें आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हर प्रश्न में ही पूरक प्रश्न ये पूछेंगे क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप सत्ता पक्ष के लोग बीच में कैसे खड़े हो रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप अपना विषय रखिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विषय है, अध्यक्ष जी, पहले हाउस को कंट्रोल में तो रखो।

श्री अध्यक्ष: आप बोलना शुरू करो न अपना विषय।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, फिर आप चला लीजिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो अगला प्रश्न ले लूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह कोई मतलब हुआ।

श्री अध्यक्ष: आपको अनुमति दे दी है। आप बोलिये। आप भी हल्ला मचाते हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, ऐसे कैसे बोलूं, पहले हाउस को आर्डर में लेकर आइये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, यह प्रश्न काल है। माननीय, आप मंत्री रहे हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रश्न काल हमारे लिये ही है क्या? इनके लिये प्रश्न काल नहीं है क्या?

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपकी अनुमति के बाद बोल रहा हूं, उसके बावजूद सरकार के मंत्री, जिनको बोलना नहीं चाहिये...

श्री अध्यक्ष: आपके सदस्यों को भी नहीं बोलना चाहिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, इनको मत कहिए, आप इनको कहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या बोलू मैं? आप यहां क्वेश्चन आवर में भाषण करवा रहे हो।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं है। मैं अगला प्रश्न बोलूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह कोई बात हुई क्या? आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूं, उसके बाद वह मंत्री बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए, आपको अनुमति दी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बोलने तो दे। हाउस को तो आर्डर में लेकर आओ।

श्री अध्यक्ष: नहीं बोलोगे तो अगला प्रश्न आयेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस को आर्डर में लेकर आइए। यह लोग आसन का अपमान कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है सदन चलाना।

श्री अध्यक्ष: यह मेरा काम है, आप अपना विषय रखिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह आसन का अपमान करते हैं, आपका अपमान करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने अपने मुख्य मंत्री को नेता भी नहीं समझा पिछले पांच सालों में, आप कौनसे मुंह से बात कर रहे हो? हर सवाल पर खड़े होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो विधायक सवाल रखता है, उसको दो पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है। वह बैठते भी नहीं हैं, उससे पहले आप खड़े हो जाते हो। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, सदन चलने दीजिए। बोलिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अध्यक्ष जी की परमिशन होने के बाद ही खड़ा हुआ हूं। मेरा सीधासा प्रश्न यह है, खंड (1) में पूछा गया है कि कितने आबंटन के प्रकरण पेंडिंग हैं, खण्ड (1) का जवाब दे दें, फिर दूसरा पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) में आबंटन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, नियम पूछे हैं और नियम बता दिये हैं। आबंटन के सम्बन्ध में दूसरी तरह से प्रश्न लेकर आओ। यह प्रश्न आपके सामने पड़ा है, इसमें आबंटन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने पूछा तो कह दिया, घर आकर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न और है। (व्यवधान) यह क्या गदर मचा रखा है आप लोगों ने। (व्यवधान) अच्छा, अब पूछ लीजिए, अब चला लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, यह क्या मतलब कर रखा है आप लोगों ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मेरे को डिक्टेड नहीं करोगे। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप दूसरा प्रश्न तो पूछने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो, नहीं तो अगला प्रश्न आयेगा। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप इन मंत्रियों को बचाओ मत। जो जवाब नहीं दे सकते, उन मंत्रियों को बचाओ मत। अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दिलवाइए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जवाब देने में भाग नहीं रहे हैं, सब सक्षम हैं। (व्यवधान)

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आबंटन के सम्बन्ध में ...(व्यवधान) आबंटन के सम्बन्ध में क्या नियम हैं, इसकी कापी नेता प्रतिपक्ष के पास भी गई हुई है। यह पूछने की इनको क्या जरूरत है?

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सवाल पूछने के लिये कह दिया है, +++ किया है, लेकिन इनका जवाब नहीं आ रहा है और पहले के सवाल पर बहस कह रहे हैं। हमारे नेता, प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं और उनको बोलने दे रहे हो। +++ और दूसरी तरफ आपका पहले वाले का पूरा जवाब ही नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न पूछ लिया, आप बैठिए, प्रश्न का उत्तर आ रहा है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मेरे प्रश्न का जवाब कौन दे रहा है, कितने लोग खड़े हैं, मंत्री कौनसा है, यह बताइए।

श्री अध्यक्ष: यह आपका काम नहीं है, आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मुझे यह ही पता नहीं लग रहा कौनसा मंत्री है।

श्री अध्यक्ष: आपको पता नहीं है तो पहले पता कर के आइए फिर पूछिए।

बौंली (बामनवास) कृषि मण्डी को क्रमोन्नत करने की योजना

8. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बाटोदा में कृषि मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बौंली में संचालित कृषि मण्डी को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाली माननीय सदस्य कल जो दुर्घटना हुई, उसमें सकुशल रहीं, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें एवं दीर्घायु रहें।

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.09.2023 द्वारा बाटोदा को कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुरसिटी के अधीन उप मण्डी के रूप में अधिसूचित किया गया है। बाटोदा में उप मण्डी निर्माण हेतु 5.00 हैक्टेयर भूमि का आबंटन हो चुका है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में बौंली में उप मण्डी संचालित है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 07.03.2024 के द्वारा उप मण्डी से स्वतंत्र मण्डी में क्रमोन्नत करने हेतु एक करोड रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। (प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है) उप मण्डी यार्ड बौंली की मण्डी शुल्क से वार्षिक आय निर्धारित मानदण्ड एक करोड़ रु. से कम होने के कारण इसे क्रमोन्नत किये जाने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि मैंने जो सवाल लगाया गया था, उसको तोड़-मरोड़ कर लगाया गया है। मैंने यह पूछा था कि पिछली सरकार 2023 में ...(व्यवधान) आप पूरी बात सुनिए, आपको हल्ला करने की आदत पड़ गई।

श्री अध्यक्ष: यह आप मत बोलिए, आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: यह आपका काम नहीं है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मैंने पूरक प्रश्न पूछा है कि 2023 में बाटोदा में कृषि मण्डी आबंटन हुई, उसकी जमीन भी आबंटन हो चुकी है, क्या उसको बजट देने का प्रावधान सरकार रखती है या नहीं रखती? हम आपसे बजट मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, सब काम पहले हो चुका है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्या, आपका प्रश्न है कि क्या सरकार मण्डी खोलने का विचार रखती है?

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अब मैंने पूरक प्रश्न पूछ लिया है, अब आगे बता दो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप सुनिए। आप अभी कल ही दुर्घटना से आई हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप थोड़ी विचलित हो, लेकिन आप शांत रहिए, ईश्वर आपका पूरा ध्यान रखेगा।

27.09.2023 को आचार संहिता लगने के पांच दिन पहले आपकी अधिसूचना जारी होती है, यह आपकी सरकार थी, चुनाव होने के पांच दिन पहले आप यह करते हैं। (व्यवधान) आप जवाब सुनिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): 2023 के बजट में हुई है।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए तो सही। यह हमारे कर्मवीर मुख्य मंत्री महोदय की सरकार है, काम करने वाली सरकार है। आपने मांग रखी, हमने प्रस्ताव मंगा लिया है। (व्यवधान) आप सुनिए, आप सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर सुनिए।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 27.09.2023 को आपको 5 हैक्टेयर भूमि का आबंटन हुआ, आचार संहिता से 7-8 दिन पहले। अब हमारे कर्मवीर मुख्य मंत्री जी की सरकार है, 73 लाख का चारदीवारी गेट और चैक पोस्ट का प्रस्ताव मंगा लिया और हम जल्द ही स्वीकृत करने वाले हैं। अब खुश हो? देख लो, हमारी यह सरकार काम करने वाली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि हम भी विपक्ष में थे, नेता, प्रतिपक्ष बोलते थे तो हमारे पक्ष से कोई भी नहीं बोलता था। इनके यहां

(श्री सुमित गोदारा)

क्या सिस्टम है, इनको विश्वास ही नहीं है। नेता, प्रतिपक्ष कौन है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर आपमें नेता, प्रतिपक्ष हैं कौन? (व्यवधान) सब खड़े हो जाते हैं। आपको नेता, प्रतिपक्ष मानते नहीं हैं। हमारे कटारिया जी खड़े होते थे, हमारे राठौड़ साहब खड़े होते थे ...(व्यवधान) आपको मानते नहीं हैं। +++ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय। श्री लक्ष्मण।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह ऐसे +++ करते हैं। आप इसको एक्सपंज करवाइए।

श्री अध्यक्ष: विचार करेंगे। श्री लक्ष्मण।

बस्सी की सड़क सीमा में अतिक्रमण

9. श्री लक्ष्मण (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में निर्मित सड़कें राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भूमि में दर्शाई जा रही हैं? यदि हां, तो उक्त सड़कों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने का क्या कारण हैं? अब कब तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़क सीमा में अतिक्रमण हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या मतलब हो गया? कौन नहीं मानता? आप लोग तो अध्यक्ष जी को ही नहीं मानते। आप कानून को नहीं मानते, इस विधान सभा की परम्पराओं को नहीं मानते। आप किसको मानते हो? आपके मंत्री, मुख्य मंत्री को नहीं मानते, अभी इस्तीफा देकर आये हैं। (व्यवधान) अपने गिरेबान में झांक कर देखो। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप गुप्त मतदान करवा लो, आप नहीं बचोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल।

पीपल्दा के ग्राम रूण्डया की वन भूमि में विकास कार्य

10. श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम रूण्डया पंचायत लक्ष्मीपुरा में वन विभाग की भूमि होने के कारण वहां सरकारी कार्य नहीं हो रहे हैं? क्या सरकार ग्राम रूण्डया में विकास कार्य करवाने का विचार रखती है?

(2) क्या उक्त ग्राम की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो आबादी भूमि में परिवर्तन कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम रूण्डया पंचायत लक्ष्मीपुरा में भूमि गैर मुमकिन बेहड़ में बसा हुआ है। ग्राम रूण्डया में राशि की उपलब्धता एवं वार्षिक कार्ययोजना में कार्य प्रस्तावित होने पर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों में विभागीय योजनाओं में कराये गये कार्यो की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा की ग्राम सभा दिनांक 20.06.2024 द्वारा ग्राम खेडा के मजरा रूण्डिया के खसरा 186, 187, 188, 189, 190, 192 रकबा क्रमशः 0.14 है., 0.06 है., 0.11 है., 0.08 है., 0.04 है., 0.16 है. किस्म गैर मुमकिन बेहड़ खाता संख्या 1 के भूमि में निवासरत परिवारों की भूमि को आबादी भूमि में संपरिवर्तन करवाने का प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेज तहसीलदार पीपल्दा को राजकाज संदर्भ 8477833 दिनांक 29.06.2024 को भिजवा दिया गया है।

आबादी भूमि में संपरिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार पीपल्दा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) यहां कागज लहराना मना है। मेरी व्यवस्था है कि यहां कागज लाना मना है। (व्यवधान) आप सदन से बाहर जाओगे।

पूरक प्रश्न। (व्यवधान)

पूरक प्रश्न एक, पूरक प्रश्न दो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) ये हिन्दुओं के दुश्मन हैं। ये हिन्दुओं को हिंसक मानते हैं, हत्यारे मानते हैं, कांग्रेस के लोग। ये कांग्रेस के लोग राजद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं, ...(व्यवधान) ये गतिविधियों में शामिल होते हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं, हिन्दू नहीं मानते हैं, ये आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। ये हिन्दुओं के दुश्मन हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजीव कुमार।

भादरा के स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण

11. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के कौन-कौनसे उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास भवन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त के नवीन भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 23 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त भवन की व्यवस्था नहीं है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं। उक्त में से 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं। 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित है, जिस हेतु भूमि उपलब्ध है।

भूमि उपलब्ध शेष 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

23 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं, उक्त में से 12 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं। 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निविदा जारी की जाकर भवन निर्माण करवाया जायेगा। 06 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है।

भूमि उपलब्ध 06 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

शेष 04 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी उत्तर में बताया कि भादरा विधान सभा क्षेत्र में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 23 उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जहां पर्याप्त भवन नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, आपने उत्तर में बताया है कि एक पी एच सी मलखेड़ा ऐसा है, जिसके लिए आपने उत्तर में लिखा है कि वहां भूमि उपलब्ध है। मेरा आपसे पूछना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलखेड़ा में भूमि उपलब्ध है तो आप उसमें भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी करवा देंगे?

जो चार पी एच सी सेन्टर निर्माणाधीन चल रहे हैं, जिनके भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, उनका निर्माण कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

एक उप स्वास्थ्य केन्द्र रामसरा का आपने जिक्र किया कि टेण्डर आमंत्रित करके काम करवायेंगे, तो उसका टेण्डर आप कब तक आमंत्रित कर देंगे, निविदा कब तक आमंत्रित कर देंगे? छह सब-सेंटरों में भूमि उपलब्ध है, आपने ऐसा हवाला दिया है, तो उनमें भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी अब तक भवन निर्माण की स्वीकृति क्यों नहीं जारी की गयी, मंत्री महोदय, कृपया बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र भादरा में 01 एस डी एच है, 04 सीएचसी हैं, 10 पीएचसी हैं और 94 सब-सेंटर हैं। इनके यहां जो 05 पीएचसी और 02 सब-सेंटर हैं, वहां पर बिल्डिंग नहीं हैं। 01 पीएचसी को हम 2024-25 में टेक-ओवर करेंगे, वित्तीय वर्ष शुरू होगा। 05 पीएचसी, जिनमें भवन नहीं हैं, 04 में वर्क-इन-प्रोग्रेस है और 01 को हम अगले वित्तीय वर्ष में ले लेंगे। जो 23 सब-सेंटर्स हैं, उनमें 12 वर्क-इन-प्रोग्रेस हैं, 01 टेण्डरिंग के फाइनल स्टेज पर है, 06 के लिए हम जमीन की खोज कर रहे हैं कि इनमें भूमि आबंटन हो, इनको

(श्री गजेन्द्र सिंह)

2024-25 में ले लेंगे। जो चार हैं, उनको छह के कम्प्लीट करने के बाद ले लेंगे। मैं विधायक महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के आने बाद हम कोई भी सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, पूरे राजस्थान के अन्दर, जहां पर भवनों की हालत जर्जर है और जो भवन रहित हैं, हम उन सबको कम्प्लीट करके रहेंगे।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि अपने उत्तर में बताया चार उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां भूमि की उपलब्धता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भूमि आबंटन की कोई प्रक्रिया क्या सरकार के यहां विचाराधीन है? यदि हां, तो भूमि कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी? दूसरा, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बाकी निर्माण कार्य करने की बात आपने कही है, ये वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे और ये सारे निर्माण कार्य आप कब करवा देंगे, यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भूमि आबंटन दूसरा विभाग करता है, चिकित्सा मंत्री नहीं करते हैं।

अगला प्रश्न। श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

पदमपुर एवं श्रीकरणपुर उप खण्ड में संचालित पशु चिकित्सालयों में दवाइयों की आपूर्ति

12. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उप खण्ड पदमपुर एवं श्रीकरणपुर में संचालित पशु चिकित्सालयों व उप केन्द्रों में पशुपालकों को समस्त दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं? यदि नहीं, तो उक्त में किन-किन में दवाइयों की कमी है? उनकी आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्रों में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिये स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला (लैब) हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा पशुपालकों के रोगी पशुओं के उपचार हेतु पशु चिकित्सा संस्थाओं की मांग एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करायी जाती हैं।

(पशुपालन मंत्री)

वर्तमान में उप खण्ड पदमपुर एवं श्रीकरणपुर क्षेत्र की पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा हेतु आपातकालीन औषधियां उपलब्ध हैं।

(2) उप खण्ड पदमपुर तथा उप खण्ड श्रीकरणपुर के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिये पशु रोग निदान प्रयोगशाला (लैब) स्वीकृत की गयी है, जिन पर प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

पशु रोग निदान कार्य के लिए वर्तमान में जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर में एक जिला रोग निदान इकाई स्वीकृत एवं क्रियाशील है।

वर्तमान में प्रत्येक पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उप केन्द्र पर पशु रोग निदान प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष जी, मैंने यह पढ़ लिया है। मैं जो पूछना चाहता हूं, मंत्री जी वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता था कि कौन-कौनसी दवाइयां उपलब्ध हैं, कौन-कौनसी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 2019-20 के लिए 2672 करोड़ रुपये का बजट का आबंटन किया था, 2020-21 के लिए 237 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उत्तर सुनिये।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): 2021-22 के लिए 55 करोड़ का आबंटन किया था। 2022-23 के लिए 80 करोड़ का किया था।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): सर, दवाइयां कौन-कौनसी उपलब्ध हैं?

श्री अध्यक्ष: पहले उत्तर तो सुन लीजिये।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): मैं बताता हूं। इन्होंने लास्ट ईयर में जाते-जाते सिर्फ 5 करोड़ का बजट आबंटित किया, जिससे दवाइयां उपलब्ध नहीं हो सकीं। हमारी सरकार के आने के बाद में 60 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है। दो बार आचार संहिता लगी, उस कारण से दवाइयां

(श्री जोराराम कुमावत)

उपलब्ध कराने में लेट हुआ है, लेकिन आवश्यक दवाइयां हास्पिटलों पर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): कौन-कौनसी दवाइयां उपलब्ध हैं? कौन-कौनसी आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध हैं, वह बता दीजिये।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय सदस्य, जो आवश्यक दवाएं वहां के डाक्टर्स ने लिखकर दी हैं, वे वहां उपलब्ध करा दी हैं, बाकी टेण्डर प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी वहां उपलब्ध करवा दी जायेंगी। 137 तरह की दवाइयां होती हैं और सबकी सूची नहीं बनती। आप मेरे आफिस में आना, मैं आपको सबकी सूची बता दूंगा।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): सर, पूरा जवाब नहीं दे पाये।

श्री अध्यक्ष: आपके दो प्रश्न हो गये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

शिव में सी.एस.आर. फंड की राशि का उपयोग

13. श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक सी एस आर फण्ड के तहत किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण किये गये और किन-किन बीमारियों की कितनी राशि की दवाइयां नि:शुल्क वितरित की गयीं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सर, मुझे उत्तर मिल गया है, मैं पूरक ही पूछूंगा। आर एस एम एम का वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए प्रस्तुत किये गये विवरण अनुसार सामाजिक सरोकार दायित्वों पर कितना निर्धारित हुआ है और कितना प्रतिशत खर्च किया गया? क्या निर्धारित सम्पूर्ण खर्च किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो कारण बतायें। साथ ही साथ, मुझे जो लिस्ट भेजी गयी है, मेरा निवेदन रहेगा कि क्या इसका भौतिक सत्यापन किया गया है और अगर नहीं, तो क्यों? यदि करवायेंगे तो कब तक करवायेंगे? साथ ही साथ...

श्री अध्यक्ष: आपका एक प्रश्न हो गया। पहले एक का उत्तर आने दें, फिर दूसरा पूछना। माननीय मंत्री महोदय...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही नहीं पता कि किसको जवाब देना है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं हूं न। मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय : 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा जारी डोडा चूरा नष्टीकरण आदेश से किसानों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री हरिमोहन शर्मा एवं 23 अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 24 जून, 2024 को कांग्रेस पार्टी द्वारा कोटा में प्रदेश की समस्याओं हेतु किये गये प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ कस्बे के वार्ड नं. 26 में बारिश के पानी के ठहराव से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, श्री हरिमोहन शर्मा एवं श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री विद्याधर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु गोविंदी से नावां पाइप लाइन के माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर का पानी सांभर लेक में लाये जाने के संबंध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्यगण आसन पांव पर है।

(3) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम हरनावदा शाहजी में 132 के.वी. जी.एस.एस. स्वीकृत करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री बालमुकुन्दाचार्य, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में संचालित मांस की अवैध दुकानें बन्द करने एवं लाइसेंसशुदा दुकानों का संचालन नियमानुसार करवाये जाने के संबंध में।

(5) श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के जिला चिकित्सालय बारां में हृदय एवं न्यूरो रोग के विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पांव पर है अभी, मैं बाहर भेज दूंगा। जो भी आ रहे हैं, बाहर जाइए।

(6) डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के उप खण्ड रूपवास में स्थित ऐतिहासिक शाही तालाब का जीर्णोद्धार करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री भागचन्द टांकडा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की सांवा नदी से बजरी खनन हेतु पट्टे जारी किये जाने के संबंध में।

(8) श्री छगनसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में बिपरजॉय तूफान से नष्ट फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में भरतपुर की ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लोहागढ़ विकास बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में।

(10) श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से छबड़ा में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से एस.सी. वर्ग की कृषि भूमि को सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को विक्रय किये जाने के संबंध में।

(11) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रेम विवाह से पूर्व माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने हेतु ठोस कानून बनाये जाने के संबंध में।

(12) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(14) श्री आदू राम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन के चौहटन कस्बे को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।

(15) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के नाई गांव नान्देश्वर क्षेत्र को तहसील बनाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज से हमने पर्ची को प्रारम्भ किया है। आज दिनांक 04/07/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 44 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से लाटरी से 04 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं-

(1) श्री धर्मपाल, राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी व 25 मई, 2024 से अब तक अवैध खनन, ओवरलोड वाहनों व बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोविन्द प्रसाद, राज्य सरकार को सीएचसी मनोहर थाना को उप जिला अस्पताल बनाना एवं सीचसी अकलेरा व असनावर में बेड बढ़ाने पर चर्चा।

(श्री अध्यक्ष)

(3)　श्री ललित मीना, विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विस्थापितों की जाति गलत लिखे जाने के सम्बन्ध में।

(4)　श्री राजेन्द्र, खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने के कारण प्रदेश एवं दौसा जिले की आम जनता की परेशानी के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डोडा-चूरा नष्टीकरण आदेश से किसानों में व्याप्त असंतोष

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां का डोडा-चूरे का मामला है, अफीम का मामला है। सबसे बड़ा डोडे-चूरे का मामला है। पांच साल से सरकार ने उसको नष्टीकरण का आदेश निकाला है। उस आदेश के तहत यह कहा है कि आपके कैम्प लगाया जा रहा है और पांच साल का डोडा-चूरा हम नष्ट करेंगे। किसानों ने डोडा-चूरा खेतों में डाल दिया है। उनको नष्ट कर दिया गया है। कारण यह है कि डोडा-चूरा एक साल में नमी के कारण, बारिश के कारण खराब हो जाता है और वह खराब हो गया है, क्योंकि पहले ठेकेदारों का जब ठेका होता था तो 125 रुपये किलो, 200 रुपये किलो में खरीदा जाता था। अभी सरकार खरीद नहीं रही है। इसलिए ऐसा आदेश निरस्त किया जावे, क्योंकि किसान परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं, आये दिन धरने पर बैठते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस आदेश को निरस्त करते हुए आने वाले दिनों में अगर सरकार इस प्रकार का आदेश निकाले तो किसानों का हर्जाने का जो भी मुआवजे का पैसा हो, 125 रुपये किलो बहुत कम होता है, 500 रुपये किलो तोलकर उसको खेतों में डाला जाए, उसका खाद बनाया जाए। इस प्रकार के आदेश आइंदा नहीं निकालें। अभी जो आदेश निकाले हैं, सरकार उनको विथड्रा करे और इस प्रकार के आदेश नहीं निकालते हुए किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हुए, क्योंकि डोडे-चूरे का बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में होता है।

अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से इस प्रकार के जो भी आदेश निकाले हैं, विथड्रा करवाएं। किसान वहां डोडा-चूरा तुलाने में सक्षम नहीं है। जिन

(श्री चन्द्रभान सिंह चौहान)

किसानों के पास डोडा-चूरा था, वह खेतों में नष्ट कर दिया गया है। किसी भी किसान के घर में नहीं है। हमारे किसानों के घर पर छापे डाले जा रहे हैं, इस प्रकार के छापे सरकार की तरफ से नहीं डाले जाएं। किसानों को परेशान नहीं करें। इस प्रकार का आदेश आप सरकार से दिलावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

कांग्रेस द्वारा कोटा में प्रदर्शन के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि इस लोकतंत्र में दिये हुए अधिकारों को समाप्त करने की जो कुचेष्टा प्रशासन द्वारा कोटा में की गयी, उस पर सदन में विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे अवसर दिया।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा राजस्थान उस समय जून के महीने में बिजली के अभाव में कटौती के कारण त्रस्त था। भले ही केन्द्र और प्रदेश में रहने वाले, मुख्यालय पर रहने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी यहां के लोग उस असुविधा को नहीं भोग रहे थे और आनन्दपूर्वक एसी में अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन कोटा में ही नहीं पूरे राजस्थान में जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोडक्शन होने वाला था, जो वर्तमान प्रोडक्शन की यूनिट थी, उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए था 83 परसेंट, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन स्थापित यूनिटों का भी उपयोग नहीं कर पाये और बिजली की खपत बढ़ती गयी, जिसके कारण पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग त्रस्त रहे। पानी के अभाव में गांव में टैंकरों का मामला था। पानी नहीं पहुंचा पाये। यहां तक कि कितने ही जिलों में सरकार ने न तो एक हैंडपम्प दिया और न ही एक ट्यूबवैल दिया। नीट के मामले में सड़कों पर थे। इस प्रकार कानून व व्यवस्था के मामले में जो परिस्थितियां बनीं, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेतृत्व के आधार पर कोटा में एक कार्यकर्ता सम्मलेन, एक प्रदर्शन करने का फैसला किया। वह प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। दो हजार से अधिक लोग वहां थे। चर्चाएं की गयीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रशासन तंत्र ने क्या किया? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, हमारे विपक्ष के नेता पर, हमारे विधायकों पर यह कहते हुए कि इन्होंने आक्रामक भाषण दिया है, यह कहते हुए कि 353, हमारे अधिकारों का हनन किया है, पुलिस के अधिकारों का हनन किया है, यह कहते हुए कर दिया। इसके पश्चात् सब

(श्री हरिमोहन शर्मा)

विधायकों पर उन्होंने आरोप लगाते हुए 297/24 एफआईआर दर्ज की 353/113 (अ) और सरकार के खिलाफ बगावत करने का यह किया, उससे यह संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने यह देखा कि इसमें कार्यकर्ता नहीं उलझ रहे हैं इसमें प्रहलाद गुंजल जो हमारा प्रत्याशी था वह नहीं उलझ रहा, तो उसके 10 मिनट बाद एक दूसरी एफआईआर उसी समय की गई।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह राजनीतिक द्वेष से की गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। तीन मिनट हो गए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है कि जन समस्याओं के लिए हम लड़ें, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करें...

श्री अध्यक्ष: हो गया। (व्यवधान) अपनी सीटों पर रहिए। श्री मनोज कुमार।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हम ईमानदारी से, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें।

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर रहिए। श्री मनोज कुमार।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): इसके बाद प्रशासन तंत्र राजनीतिक दबाव में मुक़दमे दर्ज करता है तो हमारे अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनका हनन है।

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो। श्री मनोज कुमार।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: अब अंकित नहीं हो। बैठिए। मैंने निवेदन कर दिया। अब अंकित नहीं हो। अगला नाम पुकार लिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्ष: अगला नाम पुकार लिया है। श्री मनोज कुमार, बोलिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

सादुलपुर के राजगढ़ कस्बे में बारिश के पानी का ठहराव

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वार्ड नं 26 में बारिश के पानी के ठहराव से परेशानी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलते रहिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हज़ारों घरों का आवागमन बंद हो चुका है। इस क़दर नगरपालिका विफल हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विपक्ष के सदस्यों से अपील है कि अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। आप अपनी बात ले आये, अब अपनी सीटों पर जाइये। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सरकार एक तरफ कहती है कि हम बजट दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। इनकी कोई बात अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): विकास करने जा रहे हैं। इस तरह का जवाब दे रही है, हमारे पास पैसे का अभाव है। (व्यवधान) न भुगतान कर पा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): न ही सफाई कर्मचारियों का भुगतान कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति हो, नगरपालिका वहां मजबूत करके, वार्ड नम्बर 26 में जिस तरीके से लोगों की गम्भीर परेशानियां हैं, उनको समाप्त करने का काम करें। वह नगरपालिका जनहितार्थ कार्य ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी सीटों पर जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नगरपालिका यह कहती है कि हमारे नगरपालिका में पिछले चार साल में भ्रष्टाचार का आलम हुआ, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये के टेण्डर करके भुगतान नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आप बड़े गम्भीर हैं, आप जिस तरह से सजग लगे हुए हैं, हमारी इस बात पर गम्भीरता से विचार करें। नगरपालिका का यह कहना कि हमारे पास पैसे का अभाव है, हम इस काम को नहीं कर पा रहे, सफाई कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पा रहे। इस स्थिति में आप इसकी मोनिटरिंग करें।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री विद्याधर सिंह (अनुपस्थित),

श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित),

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (अनुपस्थित)।

श्री बालमुकुन्दाचार्य।

जयपुर शहर में मांस की अवैध दुकानों पर प्रतिबन्ध एवं लाइसेंसशुदा दुकानों का नियमानुसार संचालन

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): श्रीमान अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर शहर में मांस की दुकानों का नियमानुसार संचालन करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मेरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रसारण ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलिए न। मैं अगला नाम पुकारूंगा। आप बोलिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मेरा नम्बर है। वितरण की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए न। रिकार्ड हो रहा है, आप अपना बोलिए। सदन की कार्यवाही चलती रहेगी। तब तक आप बोलिए। आप बोलिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): वे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए न।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): महोदय, जयपुर में महत्वपूर्ण मसले पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मेरा नम्बर है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका नाम पुकारा था। अपनी सीट पर नहीं थे। वापस आएगा आपका नम्बर। (व्यवधान) आपसे एक बार पुन: अपील करता हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। 295 शुरू हो गया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): मेरा नम्बर है।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं थे। मैंने पुकारा, आप नहीं थे। वापस बुला लूंगा।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर विश्व में पयर्टन की दृष्टि से विख्यात है और यहां पर देश-विदेश के पर्यटक काफी तादाद में आते हैं। शहर में भी परकोटा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से परकोटे क्षेत्र की भयंकर समस्या मांस की दुकानों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो नियमानुसार संचालित नहीं हो रही हैं। नियमानुसार मांस की खुले में बिक्री नहीं की जा सकती, दुकानों पर स्लाटर हाउस से मांस लाकर बेचा जा सकता है तथा मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में और खासकर परकोटे में बहुत ही कम दुकानों के पास लाइसेंस हैं, परन्तु बड़ी तादाद में दुकानें चल रही हैं। इसके अलावा दुकानों पर ही जानवरों को काटा जा रहा है, नालियां जानवरों के खून से भरी रहती हैं। साथ ही दुकानों पर बाहर बाजार की तरफ मांस का प्रदर्शन किया जा रहा है। शाम के समय बाजार में मांस ही मांस टंगा रहता है तथा पूरे क्षेत्र में दुर्गन्ध फैली रहती है। मांस के टुकड़े सड़क पर फेंक दिये जाते हैं, जिन्हें खाकर कुत्ते हिंसक हो गये हैं और विगत दिनों जयपुर में हिंसक कुत्तों के काटने की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। कुत्ते एवं अन्य जानवर मांसाहारी हो गये हैं और राहगीरों के लिए मुसीबत बन गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनके बाद आपका आएगा।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जिन भी अधिकारियों/कार्मिकों की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी है, वे बेबस हैं। वे स्वयं कार्यवाही नहीं करना चाहते या उन पर दबाव है, यह कहा नहीं जा सकता। मेरा यह भी आग्रह है कि जो अधिकारी/कर्मचारी इस सम्बन्ध में जान बूझकर कोताही बरतते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए या उन्हें यहां से हटाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपनी सीटों पर जाइये। मैं तब सुनूंगा जब आप जाओगे। (व्यवधान)

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): अतः प्रक्रिया के नियम 295 के

(श्री बालमुकुन्दाचार्य)

अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि जयपुर शहर के मध्य में संचालित इन मांस की अवैध दुकानों को बन्द कराने एवं लाइसेंसशुदा दुकानों को नियमानुसार संचालित कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: 295 है, जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे। जो दिया है वही पढ़ेगे। श्री राधेश्याम बैरवा। आप शुरू करिये। राधेश्याम बैरवा, 295 पढ़िये।

बारां जिला चिकित्सालय में ह्रदय एवं न्यूरो रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): अध्यक्ष महोदय, बारां चिकित्सालय की जो स्थिति है वह बहुत दयनीय है।

श्री अध्यक्ष: जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है। (व्यवधान) बोलिए।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां के जिला चिकित्सालय मे हार्ट एवं न्यूरो के चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: पहले यह खतम हो जाये, उसके बाद आपका लेंगे। पहले आप सब लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाएं, फिर बात करेंगे। मैंने पहले भी दो बार निवेदन कर दिया। विपक्ष के लोगों से यह निवेदन है कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। 295 और पर्ची खतम होने के बाद समय दूंगा।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बारां जिला चिकित्सालय में हार्ट एवं न्यूरो के चिकित्सक नहीं होने की स्थिति में क्षेत्रीय जनता मजबूरन कोटा अथवा झालावाड़ जाने को विवश है, जिससे उनका समय एवं धन दोनों व्यय होते हैं जबकि वर्तमान में अनियमित खानपान के कारण हार्ट अटैक एवं न्यूरो जैसी जानलेवा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अनेक बार गंभीर रूप में बीमार मरीज चिकित्सकों के समय रहते उपचार नहीं मिलने की स्थिति में मृत्यु के ग्रास बनते हैं, उनके परिवारजन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बारां के जिला चिकित्सालय में हार्ट एवं न्यूरो के चिकित्सक की नियुक्ति करने की मांग को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जनता को राहत प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: डा. ऋतु बनावत।

रूपवास स्थित शाही तालाब का जीर्णोद्धार

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना-रूपवास के रूपवास कस्बे में स्थित शाही तालाब के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं। रूपवास कस्बे के बीच में 500 वर्ष पूर्व मुगलकाल में शाही तालाब एवं लाल महल का निर्माण हुआ था। इस तालाब का पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। पूर्व में इस तालाब में पानी बिलकुल ही साफ रहता था, जिसमें तैराकी प्रतियोगिताएं एवं नौकायन होती थी तथा स्थानीय निवासी तालाब के चारों तरफ प्रातः भ्रमण करते थे एवं तालाब के मध्य में बने गांधी पार्क में फव्वारे लगे होते थे जिसे दूर-दराज से आये लोग लाल किला व शाही तालाब को देखने आते थे, लेकिन विगत सरकार की उपेक्षा के कारण यह तालाब गन्दगी का आलम बन गया है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। जीरो ऑवर तो खतम हो जाए। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, यह इनकी आदत है। एक बार पुन: कह रहा हूं कि आप सब लोग अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं। यह खतम होने के बाद प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दूंगा।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): यहां पर कस्बे के सीवरेज का पानी आता है जिससे बीमारियां फैलती हैं। तालाब में आने वाले प्राकृतिक स्रोत बन्द हो गये हैं, उनको खुलवाया जाना बहुत ही आवश्यक है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भरतपुर जिला व पूर्वी राजस्थान की शान रूपवास जैसा कि नाम से ही विदित है, यह कस्बा प्राचीन काल से ही इसके स्वर्णिम रूप के कारण ही इसका नाम रूपवास पड़ा था, परन्तु विगत सरकार की उपेक्षा के शिकार होने के कारण यह बदहाल हो गया है। वर्तमान में मेरे निजी खर्चे से गन्दा पानी निकाला गया था। अब मेरे विधायक कोष से इस शाही तालाब की सफाई की जा रही है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक बार पुनः निवेदन है कि इस शाही तालाब के जीर्णोद्धार की इसी बजट सत्र में घोषणा करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र की जनता को गन्दगी से राहत मिल सके तथा रूपवास में पर्यटन को पंख लग सके, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री भागचन्द टांकड़ा। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।) (व्यवधान) श्री छगनसिंह राजपुरोहित। मैं जिनका नाम पुकार रहा हूं, वे या तो बोलें या फिर उनका नाम आगे जायेगा। (व्यवधान)

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल 2023 का प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह कोली। (व्यवधान)

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिपरजाय से पशुधन हानि, मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हुईं, खरीफ फसल 2023 की फसलें नष्ट हुई हैं। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में पर्चियां लहराई गयीं।)

श्री अध्यक्ष: कोई भी उधर नहीं जायेगा। माननीय सदस्य, यहां कोई भी पर्ची नहीं लहरायेगा। मैं विपक्ष के नेता से कहता हूं कि यह बंद करो। यह बंद करो। आप देख लो, कोई वहां तक नहीं जाये। आप उनको समझाइये। आप अपने लोगों को समझाइये। वे उनकी सीट तक जायेंगे तो मैं कठोर कार्यवाही करूंगा। पहली बार पर्ची आ रही है। आप सबको यहां पर बुलवा लीजिये। आप वैल के आगे नहीं जायेंगे। यह बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय सदस्य, यहां कैसे जाएंगे? हां, माननीय सदस्य, आप बोलिये।

(सदन में भारी व्यवधान)

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.25 बजे 12.55 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 12.55 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: 295 में श्री भागचन्द टांकड़ा। (व्यवधान) हो गया। अब 295 पूरा होने दीजिये। श्री भागचन्द जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: हां, जीरो ऑवर पूरा हो जाये, उसके बाद।

सांवा नदी (बांदीकुई) में बजरी खनन पट्टे जारी किया जाना

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य निष्पादन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सांवा नदी में बजरी खनन के पट्टे जारी करने के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में एक मात्र सांवा नदी प्रवाहित होती है। इस नदी के बहाव क्षेत्र से बजरी खनन की निविदा वर्ष 2006-07 तक ही होती रही थी। वर्ष 2006-07 के बाद से आज दिनांक तक इस नदी के बहाव क्षेत्र से बजरी खनन के पट्टे जारी नहीं किये हैं, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है।

महोदय, खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टे जारी नहीं होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा आमजन को आवास निर्माण हेतु अनावश्यक खर्चा वहन करना पड़ता है। साथ ही क्षेत्र में अवैध खनन का धंधा भी पनप रहा है जिसके कारण आये दिन जनहानि होने की संभावना बनी रहती है।

अतः मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि सरकार द्वारा सांवा नदी के बजरी खनन पट्टे जारी कराने हेतु नीलामी प्रक्रिया कराई जाए, जिससे अवैध खनन का व्यापार बंद हो तथा आमजन को अनावश्यक वित्तीय भार से राहत मिल सके तथा सरकार को राजस्व प्राप्ति में इज़ाफा हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहोर में बिपरजॉय तूफान से नष्ट फसलों की प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि के भुगतान का अभाव

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल 2023 का प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि नहीं मिलने के लिये प्रक्रिया एवं संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री छगनसिंह राजपुरोहित)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र आहोर में बिपरजॉय में पशुधन हानि, मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हुईं। खरीफ फसल 2023 की फसलें नष्ट हुईं। सरकार ने आहोर और भाद्राजून तहसील के 131 गांव में अनुदान के लिए प्राकृतिक आपदा में घोषित हुए, लेकिन अभी तक किसानों को जो मुआवजा मिल जाना चाहिए था, लेकिन 4 माह बाद भी मुआवजा नहीं मिला।

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल 2023 का प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम आज दिनांक तक नहीं आया, जो बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ 2023 में फसल कटाई प्रयोग में प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा सी.सी.ई. प्रोटोकाल की अवहेलना की बात की, जिसका जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में DGRC बैठक दिनांक 14.12.2023 में अंतिम रूप से बीमा कम्पनी द्वारा दर्ज शिकायतों/प्रकरणों को खारिज किया गया और कम्पनी को चेतावनी दी गयी कि भविष्य में इस प्रकार की आधारहीन शिकायतें पेश नहीं करें।

कम्पनी को किसानों को फसल बीमा का क्लेम देने के लंबित प्रकरण शीघ्र निस्तारण, शीघ्र भुगतान करने हेतु बीमा कम्पनी को पाबंद करने के लिए आयुक्त, कृषि को बैठक की प्रतिलिपि भेजकर कम्पनी को पाबंद करने के लिए पत्र भेजा, जिसके जवाब में आयुक्त, कृषि (कृषि आयुक्तालय, जयपुर) ने क्षेत्रीय प्रबंधक (रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी) को दिनांक 18.06.2024 को पत्र द्वारा संयुक्त निदेशक के पत्र क्रमांक 976-79 दिनांक के क्रम में निर्देशित किया कि कम्पनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों में दर्ज कराई आपत्तियों का निस्तारण DGRC, जालौर की बैठक दिनांक 14.12.2023 में किया जा चुका है, जिसका बैठक कार्यवाही विवरण पत्रांक 5953-62, दिनांक 15.12.2023 के द्वारा जारी किया गया है। उसमें कम्पनी को निर्देशित किया था कि आक्षेपित प्रकरण के सम्बन्ध में DGRC जालौर द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार बीमा क्लेम का निस्तारण करने हेतु पत्र क्रमांक 2163-65, दिनांक 18.6.2024 को आयुक्त, कृषि द्वारा कम्पनी को निर्देशित किया, लेकिन आज दिनांक तक प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्लेम कम्पनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के द्वारा आपसे निवेदन है कि किसान हितैषी सरकार कम्पनी को तुरंत क्लेम देने हेतु पाबंद करे।

श्री अध्यक्ष: श्री बहादुर सिंह कोली।

(समय: 13.00 बजे)

भरतपुर की ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण हेतु लोहागढ़ विकास बोर्ड का गठन

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि भरतपुर का पूर्वी राजस्थान में ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भरतपुर की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लोहागढ़ विकास बोर्ड का गठन किये जाने का निवेदन है।

भरतपुर स्थित लोहागढ़ दुर्ग, सुजानगंगा नहर, बयाना का किला, रूपवास के खानुआ का इतिहास, वैर का सफेद महल, वैर के किले के साथ ही हजारों की संख्या में पुरातन महत्व की ऐतिहासिक धरोहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में खड़ी हैं। मेरा अनुरोध है कि इनके रखरखाव एवं संवर्धन के लिए बजट में प्रावधान किए जाएं और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करने से भरतपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

आजादी के बाद से ही भरतपुर की राजनीतिक स्तर पर उपेक्षा होती रही है जिससे ये जिला अपनी महत्ता खोता आया है। भरतपुर स्थित केवलादेव घना पक्षी विहार विदेशी नागरिकों के पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पर प्रतिदिन विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन भरतपुर की धरोहर के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण उनको पर्यटन के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर के विकास हेतु इसी बजट सत्र में लोहागढ़ विकास बोर्ड का गठन करने की कृपा करें जिससे कि भरतपुर की सम्पूर्ण धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री सी.एल. प्रेमी बैरवा।

छबड़ा में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से एस.सी. वर्ग की कृषि भूमि का सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को विक्रय

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी

(श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा)

नियम 295 विशेष उल्लेख द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील छबड़ा में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कबाड़ी (चमार), जाटव (यादव), हम्माल (जाटव) जाति के लोगों की जमीन जो एस.सी. श्रेणी में आते हैं, उनको नियम विरुद्ध तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को बेच दिया गया है।

तहसीलदार छबड़ा द्वारा एस.सी. श्रेणी के कबाडी (चमार) जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में बदलाव कर तथा उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति का मानकर उनकी जमीन सामान्य वर्ग के लोगों को बिकवा दी। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 यथा संशोधित एवं राजस्थान राजस्व भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 369 के अंतर्गत जाति सम्बन्धी त्रुटि को सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस देकर एवं सुनकर दुरुस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार ने अपने परिपत्र दिनांक 26.12.1995, 01.11.1996 एवं समय-समय पर राजस्व अभिलेख में काश्तकारों की जाति, नाम अपमानजनक व गलत दर्ज जाति संबंधित त्रुटियों को नियमानुसार दुरुस्त करने के निर्देश जारी किये थे।

तहसील छबड़ा के निवासी बहादुर कबाड़ी जाति चमार की जमीन खसरा संख्या 111/39, 5 बीघा जमीन को शशीबाला कालरा पत्नी श्री नन्दकिशोर कालरा, जाति महाजन ने नियम विरुद्ध तरीके से खरीद लिया। इसी प्रकार रमेश पुत्र श्री गोरधन कबाड़ी जाति चमार की ग्राम चाचोड़ा में खसरा संख्या 100, 13 बीघा 5 बिस्वा का 1/5 हिस्सा बृजमोहन मीणा पुत्र श्री मांगीलाल मीणा निवासी चाचोड़ा ने खरीद ली। इसी प्रकार ऋषभ कुमार जैन पुत्र श्री शांतिलाल जैन, राजू सिंघवी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंघवी जाति महाजन ने भी एस.सी. वर्ग के किसानों की जमीन नियम विरुद्ध तरीके से खरीद ली। तत्कालीन तहसीलदार छबड़ा दिलीप प्रजापति ने मिलीभगत कर एस.सी. श्रेणी के लोगों की जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को और भू-माफियाओं को बिकवा दिया।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवायी जावे और एस.सी. वर्ग के किसानों की जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से बिकवाने वाले तत्कालीन तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजें। बीच में नहीं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होती। अलग नियमों में आइये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): एक मिनट में कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष: इस पर एक मिनट है ही नहीं। अंकित नहीं करेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। माननीय, नियमों के तहत आइये। नियमों के तहत आइये, आपकी बात होगी। श्री पूसाराम गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सदस्य महोदय, एक बार आप विराजें। हमारे को बोलने दें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। 295 में पढ़ना होता है जो कि लिखा होता है।

प्रेम विवाह से पूर्व माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने हेतु ठोस कानून

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ एवं चूरू जिले सहित पूरे राजस्थान में आये दिन बालिग एवं नाबालिग व विवाहित कुछ लड़कियां अपने माता-पिता एवं बच्चों को अकेला छोड़कर कुछ लड़कों के साथ अपनी मर्जी से या बहकावे में आकर भावुकता व अन्य कोई लालच में घर छोड़कर चली जाती हैं।

माता-पिता मजबूरन पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। ऐसे प्रकरण में पुलिस, माता-पिता व अन्य परिवारजन उन लड़के-लड़कियों की खोजबीन के लिए कई दिनों तक फिरते रहते हैं। जब वो लड़के-लड़कियां बरामद हो जाते हैं, तो ज्यादातर लड़कियां अपने माता-पिता को ही जान-माल का खतरा बताकर या उनको अपरिचित बताकर उनसे बचने के लिए पुलिस सुरक्षा मांग लेती हैं और उन लड़कों के साथ चली जाती हैं, जिससे उनके माता -पिता व परिवारजन की समाज में प्रतिष्ठा भी घटती है एवं साथ ही उनके

(श्री पूसाराम गोदारा)

लिए जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई परिवारों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाये हैं। इससे सम्बन्धित समाज के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है।

कई विवाहित महिलाओं द्वारा भी अपने बच्चों को बिलबिलाता हुआ छोड़कर अन्य के साथ चले जाने से उनके बच्चे व परिवार पर भी अत्यधिक संकट आ जाता है। कुछ लड़के व लड़कियों द्वारा भागकर शादी करने के बाद परिवार पर सम्पत्ति बंटवारे का दबाव बनाकर विवाद भी खड़ा किया जाता है।

अतः मेरा निवेदन है कि कुछ नाबालिग, बालिग एवं विवाहित लड़के-लड़कियों द्वारा अपनी मर्जी या किसी के बहकावे में आकर घर छोड़कर भाग जाने से परिवारों व सम्बन्धित समाज पर हो रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रेम विवाह से पहले माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने व भागने तथा भगाकर ले जाने वालों के खिलाफ कोई ठोस कानून लाकर माता-पिता और सम्बन्धित समाज को इस संकट से बचाने का प्रयास किया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह किलक।

डेगाना में ओलावृष्टि से नष्ट हुईं फसलों का किसानों को मुआवजा

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र की सांजू तहसील में वर्ष 2023-24 में बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि के कारण चालीस ग्रामों के कुल 17,497 किसानों की जीरा, ईसबगोल, सौंफ, रायड़ा, असलिया एवं गेहूं आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ था। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे कर सम्पूर्ण रिपोर्ट सरकार को भेज दी गयी है, लेकिन अभी तक क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है।

मेरा आपदा प्रबंधन मंत्री जी से आग्रह है कि क्षेत्र के जिन किसानों की रबी की फसलें खराब हुई हैं और भारी आर्थिक नुकसान हुआ है उन्हें शीघ्र मुआवजा की राशि दिलवाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपीचन्द मीणा।

जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का चौड़ाईकरण व पुनर्निर्माण

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री गोपीचन्द मीणा)

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सरकार से लोक महत्व में आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लिये लाइफ लाइन का काम करने वाली निम्नांकित बड़ी संख्या की यातायात गणना वाली सड़कें लम्बे समय से जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होने से हल्के, भारी, सभी प्रकार के यात्री व मालवाहक वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी आ रही है। क्षतिग्रस्तता और कम चौड़ाई के कारण नित्य प्रति सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

अतः प्राथमिकता के आधार पर निम्नांकित समस्त सड़कों का पुनः निर्माण व मांग व आवश्यकतानुसार सड़कों का चौड़ाईकरण कराया जावे। राजकीय चिकित्सालय देवली से कुचलवाड़ा क्षतिग्रस्त सड़क का 15 मीटर चौड़ाईकरण के साथ पुनः निर्माण, ग्राम धौड से एनएच 48 तक 2 किमी. सड़क, कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय कस्बे में बाईपास सड़क, ग्राम खजूरी से गढबोदिया 3 किमी. सड़क, कोटडी-पपलाज से शिवनगर 6.5 किमी. सड़क, छापड़ेल से सम्पर्क सड़क मैन रोड तक 7 मीटर चौड़ाईकरण सहित सड़क निर्माण, बीरखोल से सगतपुरिया के मध्य सड़क पर पुलिया ऊंचा करने के साथ 01 किलोमीटर सड़क निर्माण, ग्राम सरसिया से भुंवार तक 6 किमी. सड़क चौड़ाईकरण सहित निर्माण, मुख्य सड़क एनएच कुचलवाड़ा खुर्द से हरिपुरा सड़क निर्माण, ओडियाखेड़ा से घाटारानी माताजी बनास नदी पर नवीन पुलिया निर्माण, नेवरबाग से कोटा रोड तक नाला, कुचलवाड़ा रोड से जैन कालोनी होते हुए अण्डरपास तक नाला एवं फोरलेन सड़क, हनुमान नगर से महादेव जी की छतरी कुचलवाड़ा तक नाला निर्माण, रजवास से गेरूठा 4.6 किलोमीटर सड़क निर्माण, ईट्रून्दा से चान्दा दण्ड 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण, एमडीआर-7 से ग्राम छाजेला का खेड़ा-मूंडी भट्टा 4 किलोमीटर सड़क को 7 मीटर चौड़ाईकरण के साथ निर्माण, ग्राम आसोप से बोरड़ा तक सड़क चौड़ाई 7 किलोमीटर के साथ सीसी सड़क निर्माण, ग्राम पारोली से असावरी तक 6 किलोमीटर सड़क, बागड़ा से बैलवा छापड़ेल 2 किलोमीटर सड़क निर्माण, जामोली से भरणी कला के मध्य क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण कार्य आदि की स्वीकृति जारी करवाकर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री आदू राम मेघवाल।

चौहटन कस्बे को नगरपालिका बनाने की मांग

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला मुख्यालय से 50 किमी. की दूरी पर मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महाभारतकालीन अति प्राचीन चौहटन कस्बा स्थित है। यहां वर्तमान में उपखण्ड मुख्यालय, तहसील, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय, उप जिला अस्पताल, पुलिस थाना क्षेत्र, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं, राजकीय स्नातक महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, कोचिंग संस्थाएं एवं पौराणिक, ऐतिहासिक देवी-देवताओं के मंदिर विद्यमान हैं। उक्त कस्बे में 15 हजार से भी अधिक जनसंख्या निवासरत है। क्षेत्रफल तथा भौगोलिक दृष्टि से चौहटन कस्बा नगरपालिका बनाये जाने के सभी आयामों तथा मानदंडों को पूर्ण करता है। चौहटन कस्बा लंबे समय से नगरपालिका के अभाव में साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, शिक्षा-चिकित्सा, सड़क, आवागमन इत्यादि मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों से सदैव वंचित रहा है। उक्त कस्बा व्यापारिक केन्द्र होने के कारण यहां अच्छी तादाद में व्यापारिक गतिविधियां होती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन रहेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन की आम जनता की मांग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट में चौहटन कस्बे को नगरपालिका घोषित कर, शीघ्रातिशीघ्र नगरपालिका कार्यालय स्थापित कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान कर विकास कार्यों का निष्पादन करवाये जाने की अति कृपा करावें, जिससे आमजन को मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण के नाई गांव (नान्देश्वर क्षेत्र) का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण का नाई गांव नान्देश्वर क्षेत्र का प्रमुख गांव होने के साथ स्वतंत्रता पूर्व भी तहसील केन्द्र रहा था।

(श्री फूल सिंह मीणा)

स्वतंत्रता उपरांत गिर्वा तहसील बनी। हाल ही में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दूरस्थ ग्राम बारापाल को तहसील केन्द्र बनाने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। बारापाल क्षेत्र के 30 से अधिक गांवों के लिए ज्यादा दूर होने के कारण अत्यन्त असुविधाजनक है। मैं पूर्व में भी वर्ष 2013 से 2023 तक इस नाई गांव, नान्देश्वर क्षेत्र को तहसील बनाने के लिये सरकार से लगातार मांग करता रहा हूं किंतु आदिनांक तक उक्त नाई गांव को तहसील नहीं बनाया गया है।

अतः मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नाई गांव नान्देश्वर क्षेत्र को नई तहसील बनाकर 15 पंचायत, 30 गांवों को राहत प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह 295 है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है।

श्री विद्याधर सिंह।

फुलेरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु इंदिरा गांधी नहर का पानी सांभर लेक में लाया जाना

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2020 के पूर्व सांभरलेक हैडवर्क से नावां, नागौर में बीसलपुर परियोजना का पानी सांभरलेक हैडवर्क के पम्प हाउस से गोविन्दी पम्प हाउस होकर नावां जाता था और उस पानी से नावां क्षेत्र की समस्त जनता के लिए पानी की आपूर्ति होती थी। वर्ष 2020 के बाद नावां में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आ जाने के कारण नावां क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति सांभरलेक हैडवर्क से बंद कर दी गई है।

सांभरलेक से गोविन्दी नावां तक 4.50 एमएम की डीआई पाइप लाइन डालकर पम्प हाउस एवं 8 एमएलडी पानी का स्टोरेज सांभर में बना हुआ है। गोविन्दी से नावां तक 400 एमएम की डीआई पाइप लाइन डली हुई है, जो वर्ष 2020 से बन्द है। यदि इस सिस्टम को काम में लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी सांभरलेक तक लाया जाता है तो बिना खर्चे के इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी सांभरलेक पहुंचाकर वहां की जनता की

(श्री विद्याधर सिंह)

पानी की आपूर्ति की जा सकती है और उक्त परियोजना से फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या का निराकरण हो सकता है।

अतः इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री से मेरा आग्रह है कि नावां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी उपरोक्त सिस्टम द्वारा लाने की योजना बनाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल। श्री हमीर सिंह भायल। (व्यवधान)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आ गया हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं हैं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आवाज अभी दी है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी। (व्यवधान) बोलना है?

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): हां, बोलना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रताप सिंहजी, आप बैठिए, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, थोड़ा रियायत कर रहा हूं।

सिवाना में बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन सहायक अभियंता कार्यालय हैं, जिनके परिक्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर लम्बी पक्की सड़क के साथ नदी, नाला में रपट और पुलिया हैं। विगत समय में बिपरजॉय तूफान का असर मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे अधिक था। क्षेत्र में पहाड़ी एरिया अधिक होने से सभी नदी-नाले उफान पर चले थे, जिसके कारण से सड़क,

(श्री हमीर सिंह भायल)

रपट और पुलिया, सब टूटकर खराब हो गये थे जो आज दिन तक सही नहीं हुए हैं। वापस बरसात का मौसम आ जाने के बाद में अभी तक वो टूटे हुए ही पड़े हैं। विभाग की उदासीनता आमजन के लिए असुविधा का कारण बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्न सड़क मार्गों का नवीनीकरण करवाकर राहत प्रदान करावें-

सिवाना-गुडा-परु सड़क पर वडेर नाला रपट, अन्नपूर्णा नगर सड़क मोरमी प्याऊ नाला, भाखरपुरा सड़क ऊडीया नाला, खंडप मोतीसरा सड़क मार्ग, राखी-समदडी-सावरडा, कोटडी-भानावास-समदडी रपट, मजल-धुधाडा रपट, मठ खरान्टीया से गोदो का वाड़ा रपट, कुंडल-मुम्बारी, सेला पुलिया, मांगी पुलिया, जीनपुर पुलिया, धीरा गांव सम्पर्क सीसी रोड, धीरा महादेव नगर रपट, तेलवाडा गोगाजी मंदिर रपट, थान माता हिंगलाज सड़क, इन्द्राना-मुठली-सिनेर सड़क, इन्द्राना-गुडा सड़क रपट, इन्द्राना - चोन्दार सड़क रपट, सेला-हेमावास सड़क, मोकलसर मोतीसर सड़क, करमावास-मजल-जिला जालोर सीमा सड़क, सिवाना-सिनेर-मिठोडा-पादरू सड़क, रमणीया धीरा सेला कुंडल पादरू सड़क, मुठली-पादरडी खुर्द सड़क, पादरू-दहिवा सड़क मार्ग सहित कई सड़क मार्ग खराब पड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक सड़क मार्ग खराब हैं, उनका विभाग से तकमीना मंगवाकर सड़क, रपट, पुलिया के नवीनीकरण, मरम्मत के आदेश करवाकर अनुगृहीत करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा में हरनावदा शाहजी में 132 के.वी. जी.एस.एस. की मांग

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अंतर्गत वर्तमान में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित है जो छीपाबड़ौद व निपानिया (छबड़ा) में संचालित है। मेरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रसारण एवं वितरण की स्थिति अत्यंत दयनीय है। खेती करने के लिए

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

किसानों को बिजली बेहद जरूरी है। किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए मुश्किल से छह घंटे बिजली मिल पाती है। यदि किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए समय पर बिजली नहीं मिलती है तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उक्त क्षेत्र कृषि पर आधारित है एवं फसल की सिंचाई हेतु निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जबकि यहां पर छबड़ा उच्च तापीय विद्‍युत गृह (2320 मेगावाट) संचालित है। इसके बाद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्‍युत व्यवस्था चरमराई हुई है। किसानों को कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में समय पर बिजली नहीं मिलती है। लोड अधिक होने की वजह से बार-बार ट्रिपिंग होती है। हरनावदा शाहजी में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन खोलने से छीपाबड़ौद व हरनावदा शाहजी के साथ मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र के गांवों को फायदा होगा। इसके अलावा बीलखेड़ा तथा कटीखण्डी (छबड़ा) में 33 केवी जीएसएस स्वीकृत है, किन्तु काफी समय बीत जाने के बाद भी कार्य चालू नहीं हुआ है इन जीएसएस को जल्द से जल्द चालू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि तहसील छीपाबड़ौद के ग्राम हरनावदा शाहजी में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किये जाने हेतु समुचित कार्रवाई कराने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। श्री धर्मपाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्‍दे

अवैध खनन, ओवरलोड वाहनों व बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): अध्यक्ष जी, आपने पर्ची सिस्टम दोबारा शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार द्‍वारा 15 जनवरी से 31 जनवरी, 2024 तक अवैध खनन, ओवरलोड वाहनों व बजरी माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। उसके बाद 14 जून से 24 जून तक डीजी की तरफ से अभियान चलाया गया, जिसके दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खूब चालान हुए लेकिन विडम्बना ऐसी है कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी और नीम का थाना में राजनीतिक पहुंच रखने वाले, बड़ा राजनीतिक रसूख रखने वाले, जिनके भ्राताश्री राजस्थान पुलिस में एडीजी

(श्री धर्मपाल)

हैं, उनके चार क्रेशर्स इतने बड़े हैं, मैं समझता हूं रोजाना एक हजार या उससे भी ऊपर वहां ट्रेलर और डम्पर चलते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे न बोलें, नहीं तो मैं पर्ची बन्द कर दूंगा। मैंने व्यवस्था शुरू की है, उसे बन्द कर दूंगा। जिनका भी नम्बर आये, उन्हें शान्तिपूर्वक बोलने दीजिये।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): बड़े दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। मैं नाम सहित उल्लेख न करूं तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष: नामों का उल्लेख करना भी नहीं है।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): मैं उनकी कम्पनी का नाम बताता हूं- श्याम एसोसिएट्स, संजय नगर; जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल, मेहाड़ा रोड; जगदम्बा ग्रेनाइट एंड मार्बल, डोकन में सैकड़ों डम्पर चलते हुए भी और काफी हैक्टेयर में अवैध खनन करते हुए भी आज तक एक सिंगल चालान नहीं हुआ है। एक भी डम्पर के ओवरलोड का वन विभाग की तरफ से, माइनिंग विभाग की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से चालान नहीं हुआ है। एक गरीब व्यक्ति, जो एक डम्पर से अपने परिवार का पेट पालता है, उसके चार-चार, पांच-पांच चालान हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरी पुरजोर तरीके से मांग है कि अतिशीघ्र कार्रवाई करके अवगत कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर चर्चा नहीं होगी। पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं होगी। नियमों पर आएं। (व्यवधान) मुझे मजबूर मत करें। आप बैठिये। जब मौका आयेगा आपको आपकी बात रखने दूंगा।

श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना सी.एच.सी. का उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नयन एवं सी.एच.सी. अकलेरा व असनावर में बेड्स की बढ़ोतरी

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र राजस्थान में 200 नम्बर का विधान सभा क्षेत्र है। यह एमपी बोर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 सीएचसी और 11 पीएचसी हैं। मनोहर थाना सीएचसी पर लगभग 600 ओपीडी हैं और अकलेरा सीएचसी पर लगभग 900

(श्री गोविन्द प्रसाद)

ओपीडी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मनोहर थाना सीएचसी को उप जिला अस्पताल बनाया जाये, क्योंकि यह झालावाड़ जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अकलेरा पर 900 ओपीडी होने के कारण अकलेरा को सैटेलाइट हास्पिटल घोषित किया जाये ताकि वहां की जनता को लाभ मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्र की आबादी लगभग 01 लाख 30 हजार है और मनोहर थाना की 01 लाख 5 हजार है। असनावर सीएचसी जो 30 बेडेड है, उसे 50 बेडेड किया जाये और मनोहर थाना सीएचसी को 30 बेडेड से 100 बेडेड किया जाये। अकलेरा को 50 बेडेड से 100 बेडेड किया जाये। पर्याप्त भवन उपलब्ध होते हुए भी वहां डाक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाकर वहां की जनता को लाभ दें। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना।

किशनगंज में विस्थापितों के जाति पंजीकरण में त्रुटियां

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में लगभग 4 गांव ऐसे हैं जिनमें 1971 में बंगाली समाज के लोग विस्थापित होकर बांग्लादेश से आये। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने उस समय टोंक में रिफ्यूजी कैम्प लगाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 से 16 बीघा जमीन अलाट की। आज वहां लगभग 9 हजार मतदाता हैं, जिनकी सबसे बड़ी व्यथा यह है कि बंगाली कोई जाति न होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में उनके नाम के आगे बंगाली दर्ज किया जाता है। उन्हीं में चाण्डाल, नमो शूद्र, पौंड्र, जिन्हें राजस्थान की अधिसूची में उल्लिखित किया गया है, उसमें भाग संख्या 2 और संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 भाग संख्या 2 के अन्दर विशेष उल्लेख है। उसमें चाण्डाल, पौंड्र, नमो शूद्र, इन जातियों का उल्लेख है। इसी से उनके प्रमाण पत्र कोटा में, देवली में आज वर्तमान में जारी हो रहे हैं। हमारे देवली में एस.सी. के धोबी समाज के, चाण्डाल समाज के, टोंक में नमो शूद्र के नाम से 2008 में प्रमाण पत्र बने। इन प्रमाण पत्रों की कापियां भी मैंने मंत्री जी और सरकार के सामने रखी हैं।

(श्री ललित मीना)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारे किशनगंज-शाहबाद के जो चार गांव हैं- नाटई, परानिया, गट्टी और नेहरूपुरा, इन चारों के रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए उन्हें जाति प्रमाण पत्र जो एस सी में है, वे दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने के कारण दौसा जिले की आम जनता को परेशानी

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। खाद्य सुरक्षा पोर्टल बन्द होने के कारण प्रदेश एवं मेरे दौसा जिले की आम जनता बहुत परेशान है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की सीमा करीब 4 करोड़ 46 लाख है, जिसमें से लगभग 4 करोड़ 45 लाख व्यक्ति जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा पोर्टल अप्रैल 2022 से बन्द है।

बीच में 10 लाख नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला गया था, जिसमें भूमिहीन, श्रमिक डायरी, एकल विधवा, विकलांग लोग जुड़ पाये थे। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन अर्थात् जिनके बिलकुल भी जमीन नहीं है, ये सब थे। अत: ग्रामीण क्षेत्र में नाम नहीं जुड़ पाये थे। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि 4 करोड़ 46 लाख की सीमा 2011 की जनगणना के आधार पर थी। अब जनसंख्या में वृद्धि हो गयी है, अत: राजस्थान में इसका कोटा बढ़ाया जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुले ताकि गरीब जनता को इसका जल्द से जल्द फायदा मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हालांकि, यह विषय केन्द्र का है कि यह 10 वर्षों से नहीं खुला, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केन्द्र सरकार से आग्रह करें कि पोर्टल खुले ताकि सभी लोगों का उसमें नाम आ सके।

अनुरोध एवं मांग

बजरी खनन माफिया के गम्भीर विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पर्ची सिस्टम आज शुरू किया है। मैं समझता हूं कि जो बजरी खनन माफिया का विषय आया, वह बहुत गम्भीर है। वैसे तो चारों ही

(श्री टीकाराम जूली)

जो पर्चियां लगी हैं, उन पर सरकार की तरफ से जवाब आये, लेकिन मेरी सदन की तरफ से आपको यह रिक्वेस्ट रहेगी कि एक इस प्रकार का विषय जो वाकई में गम्भीर है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही चिन्तित हैं, उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिलवाया जाये।

एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि परसों एक दलित पुलिस कांस्टेबल को बजरी माफिया ने कुचलकर मार दिया। उसकी डेड बॉडी आज भी एसएमएस हास्पिटल के अन्दर रखी हुई है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा व व्यवस्था नहीं कराई गई है।

श्री अध्यक्ष: इस पर बाद में अलग से चर्चा कभी करायेंगे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। नियम समिति, 2024-25 का प्रथम प्रतिवेदन।

मैंने उनकी बात सुन ली। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप लिखकर भेजो, क्या व्यवस्था का प्रश्न है। पहले स्लिप भेजो, फिर बात करूंगा। नियम समिति, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को याद दिला दूं कि आपने पर्ची व्यवस्था बन्द कर दी थी, हमने वापस चालू की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पर्ची पर जवाब देने के लिए, आपने जो पर्ची व्यवस्था चालू की है इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन किरोड़ी जी वाला भी बता दो, इनकी पर्ची स्वीकार हो गई या नहीं हुई?

श्री अध्यक्ष: सही समय पर सही सूचना आ जायेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साहब, पूरा सदन जानना चाहता है कि किरोड़ी जी की पर्ची का क्या हुआ? पूरा सदन नहीं, पूरा प्रदेश जानना चाहता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य। यह भी आपके काम का है। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। आप पहले स्लिप भेज दें। माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप नियमों के तहत आइये, आपकी बात सुनूंगा। आप विषय भेजिये।

समिति प्रतिवेदन

नियम समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 1)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति, 2024-25 का प्रथम प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

(2) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2017 की धारा-44 के अन्तर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24; एवं

(3) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष: आपको अधिसूचनाएं भी रखनी हैं। आपने सीधे वार्षिक प्रतिवेदन रखे हैं। पहले आप अधिसूचनाएं रखिये। दिया कुमारी जी के आपको रखने हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रतिवेदन कल माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ने रखा और बिना कार्य पूरा बताये हुए ही उसका उपस्थापन करवा लिया और हमसे मंजूरी ले ली। पूरा सदन संशय में है कि आपकी क्या कार्ययोजना है। सलाहकार समिति की बैठक में क्या हुआ? यह सदन में आज तक नहीं हुआ। जो पहली बार सरकारी मुख्य सचेतक को ही नहीं पता तो ये तो +++ मंत्री हैं। यह कैसे अब।

श्री अध्यक्ष: यह प्रतिस्थापित कर दिया। रखिये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त (आबकारी) विभाग

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (आबकारी) विभाग की निम्नांकित आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 जीएसआर 195 दिनांक 13.03.2024 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम 1956 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 जीएसआर 196 दिनांक 13.03.2024 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2020 पार्ट-I दिनांक 01.04.2020 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 जीएसआर 197 दिनांक 13.03.2024 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 दिनांक 01.05.2024 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 दिनांक 13.03.2024 में आंशिक संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 जीएसआर 198 दिनांक 13.03.2024 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1950 के तहत होटल/क्लब/रेस्टोरेंट बार अनुज्ञाधारियों को वार्षिक लाइसेंस फीस में छूट प्रदान की गई है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 जीएसआर 199 दिनांक 13.03.2024 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 जीएसआर 07 दिनांक 11.06.2024 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है; एवं

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2024 जीएसआर 08 दिनांक 11.06.2024 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

गृह विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की निम्नांकित सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 24.01.2024 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 24.01.2024 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.20(1)गृह-9/2023 दिनांक 14.02.2024 जिसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.20(1)गृह-9/2023 दिनांक 14.02.2024 जिसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने को प्रतिषेध किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 29.04.2024 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2024 दिनांक 29.04.2024 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है; एवं

(7) अधिसूचना संख्या: प.9(2)गृह-12/कारा/2023 दिनांक 23.04.2024 जिसके द्वारा जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर में नवनिर्मित जिला कारागृह भवन को स्थायी जेल घोषित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

प्रतिवेदन एवं लेखे

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(डॉ. प्रेम चन्द बैरवा)

आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(1) कम्पनी अधिनियम की धारा 394 के अन्तर्गत राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2022-23)

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2022-23;

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19 व 2019-20)

(3) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 व 2019-20;

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23; एवं

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 78वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023)

(5) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 78वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023.

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रेम चन्द बैरवा। परिवहन निगम वाले।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2022-23)

(1) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2023-24)

(2) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2017 की धारा-44 के अन्तर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24; एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट

(राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखे) (वर्ष 2021-22)

(3) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2022-23)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 98 के अन्तर्गत राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

(1) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 की धारा-37 के अन्तर्गत विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023-24;

राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) एवं 13वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एवं 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23; एवं

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 38वां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 38वां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22.

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर एवं जयपुर के लेखे) (वर्ष 2021-22)

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-18 (6) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर एवं जयपुर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22;

(श्री जोगाराम पटेल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखे) (वर्ष 2021-22)

(2) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22; एवं

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023)

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023.

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम-32 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23; एवं

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2022-23)

(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-60 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2022-23.

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 28वां प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 28वां प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण (वर्ष 2023-24)

2. राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण वर्ष 2023-24; एवं

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23.

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार। मैं माननीय सदस्यगणों से यह भी निवेदन करता हूं कि जिस वर्ष के प्रतिवेदन पर..

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासियों के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष: आप नियमों में आइये।

श्री रामकेश (गंगापुर): सुनिये आप एक मिनट। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। यह अंकित नहीं हो।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यगणों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वर्ष के प्रतिवेदन पर सदन में विचार किया जाना हो तो जनरल डिबेट न करें, केवल उस वर्ष के प्रतिवेदनों पर तुलनात्मक चर्चा की जानी चाहिये। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़।

(श्री अध्यक्ष)

बैठिये। यह बिलकुल मना है, यहां पर कोई भी डिसप्ले नहीं होगा। मार्शल, उसे छीन लीजिये। ले लीजिये उनसे। माननीय, उन्हें मना करिये। यह दिखा रहे हैं यह अनुचित है। सदन में अनुमति नहीं होती। मैं आपका नाम पुकारूंगा। ले लीजिये इनके हाथ से। माननीय, इन्हें समझाइये। यह तुक थोड़ी है। यह नहीं होगा। हां, माननीय मंत्री महोदय।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (RIICO) के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) पर विचार

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (RIICO) के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ बोल रहे हैं? इसी विषय पर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न के तहत आपसे बात कहना चाहूंगा कि अभी सदस्यों ने प्रश्न काल में बात रखी थी, आपने व्यवस्था दी थी कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा एक पूरे आदिवासी समाज को यह कहना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस विषय की अनुमति नहीं दी है। यह विषय अभी नहीं होगा। इस विषय पर बाद में आइये। इस विषय पर अनुमति नहीं है। सॉरी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ...कि आपका बाप कौन है, इसका डीएनए कराऊंगा। ऐसा शिक्षा मंत्री राजस्थान के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आप मेरी अनुमति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, यह अनुचित लाभ है। माननीय विपक्ष के नेता, यह अनुचित है। आपको रीको के बारे में बोलना है तो बोलिये। यह अनुचित है। अंकित नहीं हो।

आज जो नियम समिति का प्रतिवेदन आया है, 01.00 बजे से 02.00 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। सदन वापस 02.00 बजे एकत्रित होगा।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.44 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.00 बजे 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 14.30 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन में कई बार एक विषय की चर्चा हुई है, उसमें सबसे पहले पांच मिनट सदन के विपक्ष के नेता को अवसर दूंगा, उस समय सब लोग शान्ति से सुनें। उसके बाद हमारे मंत्री माननीय मदन दिलावर भी पांच मिनट बोलेंगे। इधर से कोई भी बीच में आवाज नहीं करेगा। उसके बाद अपन सोचते हैं कि विषय को आगे क्यों बढ़ायें, दोनों की बात आ जाये, फिर उसके बाद जो कुछ भी विपक्ष तय करे, सत्ता पक्ष तय करे, उस हिसाब से गाड़ी चलायेंगे। एक शर्त यही है कि व्यवधान जैसे ही हुआ तो मैं उसी समय रोक दूंगा। आपको जो भी अपनी बात रखनी है, आप पांच मिनट में अपनी बात रख दीजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम तो आपकी इज्जत करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका मेरे साथ यह प्रेम है। माननीय विपक्ष के नेता।

अनुरोध एवं मांग

प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा आदिवासी समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मंत्रिमण्डल से इस्तीफा व सार्वजनिक माफी

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने व्यवस्था दी। यह पांच मिनट की बात नहीं है। बात इतनी गंभीर है कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री किसी एक समाज के लिए यह कहे कि मैं तुम्हारा डीएनए कराऊंगा, तुम्हारा बाप कौन है? इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी ...(व्यवधान) सुनिये, क्या गलत।

श्री अध्यक्ष: आप उनको जवाब मत दें, आप मुझे बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिस प्रकार से राजस्थान सरकार और पूरे राजस्थान प्रदेश की गरिमा पर चोट पहुंची है और ऐसा व्यक्ति विधान सभा के अन्दर जवाब दे रहा है, विधान सभा के अन्दर आ रहा है और मुख्य मंत्री उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। आपको क्या हक है किसी दूसरे समाज का डीएनए पूछने का? उसका बाप कौन है, यह पूछने का, किसने आप लोगों को यह ताकत दी है, पावर दी है? माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुःख इस चीज का हो रहा है कि मंत्री के इस बयान के बाद मुख्य मंत्री जी का बयान और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान इस पक्ष में नहीं आया कि माननीय मंत्री ने गलत शब्द कहे हैं। एक तरफ संस्कारों की बात कहने वाली पार्टी और दूसरी तरफ बच्चों के अन्दर क्या संस्कार हों, यह तय करने वाला शिक्षा मंत्री इस प्रकार के बयान देता है तो पूरा आदिवासी समाज नहीं, पूरा राजस्थान शर्म से झुक जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पूरे विपक्ष की, हमारे नेता और हमारे सभी विधायकों की यह डिमांड है, सभी आदिवासी भाइयों की यह डिमांड है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, मंत्री का इस्तीफा लें, और मंत्री सदन के अन्दर माफी मांगे, मैं यही बात कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें दो को ही परमिशन है। सॉरी, फिर मैं इनको आगे से परमिशन नहीं दूंगा। यह बहस नहीं है। बैठिये। (व्यवधान) कोई नहीं बोलेगा। जब यह तय हो गया तो कोई नहीं बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा। फिर इधर के भी दस लोग बोलेंगे। उससे क्या होगा? आपका पक्ष आ गया, उनको जो पक्ष रखना है, रखें, फिर आप तय करना। (व्यवधान) मुझे पता है, कौन क्या है। बैठिये, फिर मैं आगे से बोलने नहीं दूंगा। विपक्ष के नेता जी, बात करें और आप अपने दल को बैठाओ।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज वह समाज है जिसने प्रकृति को बचाया है, पर्यावरण का संरक्षण किया है और हमारी संस्कृति को बनाये रखा है। इसलिए आदिवासी समाज के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करना, मेरे मन में कभी नहीं रहा। मैं यह जानता हूं कि अनादिकाल से इस देश में आदिवासी रहता आया है और आदिवासी समाज का सब सम्मान करते हैं। मैंने बिरसा मुंडा जी का नाम भी सुना है और पढ़ा है। बिरसा मुंडा जी भगवान के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे समाज के बारे में,

(श्री मदन दिलावर)
जो मेरे ऊपर कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा है, यह कदापि नहीं है। जरूर मेरे से पूछा गया कि आदिवासी हिन्दू नहीं है, तो मेरा मंतव्य यह था कि हिन्दू हैं, हिन्दू रहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मुद्दे पर आओ, आप माफी मांगें।

श्री थावर चन्द (धरियावद): 000

श्री अध्यक्ष: सुनिये। पहले पूरी बात सुनेंगे, फिर बात करेंगे। आप बैठिये। आसन पांव पर है। इनका अंकित नहीं हो। बैठिए।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आदिवासी समाज अनादिकाल से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, तब से ही आदिवासी है। हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम सब आदिवासी हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम पृथ्वी पर रहते आये हैं। मुझे पांच मिनट का समय दिया है ...(व्यवधान)

श्री थावर चन्द (धरियावद): 000

श्री अध्यक्ष: यह वादा किया था कि बीच में नहीं बोलेंगे। फिर आगे से मैं इनको भी किसी विषय पर बोलने नहीं दूंगा। बैठो। हमने भी आपकी बात को सुना है। इन्होंने भी सुना है, आप भी सुनिये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मैं आदिवासियों का सम्मान करता हूं। आदिवासी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।

श्री थावर चन्द (धरियावद): 000

श्री अध्यक्ष: आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका नाम आगे से कभी नहीं आने दूंगा। मैं बता रहा हूं। एक बार सुन लो, जब बात हुई, इतना मेंटेन रखो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मैं आदिवासी महापुरुषों का सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धा से उनका नाम लेता हूं। परन्तु विषय यह आ गया था कि पत्रकार ने पूछा कि माननीय सांसद महोदय राजकुमार जी ने कहा है, ऐसा मेरे से पूछा गया, तो मेरा मंतव्य यह था कि समस्त आदिवासी हिन्दू समाज के थे, हैं और रहेंगे। जब उन्होंने दोबारा पूछा कि अपने आपको हिन्दू नहीं मानते हैं, तो मैंने निवेदन किया कि आप वंशावली दिखवा लें, और मेरे से जो मुझसे शब्द नहीं निकलना चाहिए था, हालांकि वह प्रासंगिक था या नहीं था, मैंने कहा कि जांच करवा लें।

श्री थावर चन्द (धरियावद): 000

श्री अध्यक्ष: इनका अंकित नहीं हो। बिना अनुमति कोई बोलेगा अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मेरा कोई मंतव्य यह नहीं है कि किसी आदिवासी समाज के लोगों का मैं सम्मान न करूं या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मैं आज भी उनको श्रद्धा से नमन करता हूं उनके महापुरुषों को श्रद्धा से नमन करता हूं और समस्त आदिवासी मेरे लिए पूजनीय हैं, नमन योग्य हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: आपको बाहर जाना है तो जाओ। यह सदन के नियमों के खिलाफ है। इनके नाम नोट कर लो। आप नीचे उतरें। मार्शल, इनको नीचे उतारो। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं पोस्टर प्रदर्शन)

क्या तमाशा है? बहस शुरू करवा देते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारे, पोस्टर प्रदर्शन व सत्ता पक्ष की तरफ गमन)

यह क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) आप सीट तक चले जाएंगे क्या? सीट तक क्यों जा रहे हैं।

जब पहले बात हो गयी थी। आगे से विश्वास नहीं करूंगा।

आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.41 बजे 15.11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 15.11 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

माननीय सदस्यगण से सदन की गरिमा व प्रतिष्ठा के दृष्टिगत मर्यादित व नियमानुकूल आचरण की अपेक्षा

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज जो कुछ सदन में स्थितियां बनी हैं, बड़ी पीड़ादायी, दुख:दायी हैं। किसी भी सदस्य को दूसरे की सीट पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। आगे से अगर कोई भी जाएगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस सत्र के लिए नहीं, चाहे उसकी पूर्ण सदस्यता के लिए भी उसको बाहर भेजना पड़ा तो इसमें कोई कजूंसी नहीं करूंगा। कहीं भी, किसी भी सदस्य की सीट पर जा सकते हो क्या? यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। आज तक इस सदन में ऐसा नहीं हुआ। अतः मैं विपक्ष के नेता, इधर पक्ष से भी और सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि अपनी मर्यादा में रहें। मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी बात कहनी, कहिए। मैंने आपसे कहा, पहली बार पर्ची लाए, पहली बार प्रतिवेदनों पर विचार हो रहा है, आप उस वातावरण को नहीं बनने देना चाहते हो। आपको विरोध करना है, विरोध के कई तरीके हैं, नियमों में आइये, विरोध करिए।

मुझे आज सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ा दुःख हुआ है। मैं चाहूंगा विपक्ष के नेता अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। जो भी आपको विरोध करना है, कोई भी सदस्य इस वैल से आगे न जाए। आप तख्तियां लहरा रहे हो, पिछले अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी है कि कोई भी सदन में तख्तियां नहीं लहराएगा। आपको जो बात कहनी है, मुंह से कहिए। जब भी आपने कहा, आपको बोलने का अवसर दिया, शायद सबसे ज्यादा अवसर भी देता हूं। आपका नेता बोल रहा है, तब भी खड़े हो रहे हैं। आपका नेता खड़ा हो रहा है, चाहे इधर का नेता बोले।

अत: व्यवस्था दे रहा हूं जब 10 तारीख को सदन चले तो तब गरिमा में रहें, व्यवस्थाओं में रहें, नियमों का पालन करें, परम्पराओं का पालन करें। विपक्ष विपक्ष की भूमिका निभाए, सत्तापक्ष सत्तापक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं होगा कि दूसरे की सीट पर चले जाए। यह तो सदन की गरिमा तार-तार होने से बची है, अगर इससे एक कदम आगे चला तो शायद इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा है, हमारे कई अध्यक्षों ने इस प्रतिष्ठा को, गरिमा को बनाया है, उसे भावावेश में होकर उल्लंघन करें, यह बर्दाश्त नहीं होगा।

मैं सदन की आगे कार्यवाही, जो दोनों प्रतिवेदन हैं, उस पर चर्चा शुरू करता हूं।

बहिर्गमन

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सुबह माननीय सदस्यों की जो बात थी उस पर आपने व्यवस्था दी। व्यवस्था के बाद आपने बोलने का मौका दिया। हमने अपनी बात रखी। क्या जिस प्रकार से आदिवासी समाज का जो अपमान हुआ है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात पहले कह दी, उस बात को रिपीट मत कीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वही बात कह रहा हूं, आपने अपनी व्यवस्था दी, मैंने अपनी बात कही। हमारी एक ही डिमाण्ड है कि आदिवासी समाज का जो अपमान हुआ है, उसमें माननीय मंत्री जी माफी मांगे, मुख्य मंत्री जी उनका इस्तीफा लें। ...(व्यवधान) वह मानने को ही तैयार नहीं हैं। मंत्री अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष जी, आदिवासी समाज का जो अपमान हुआ है उसके कारण और माननीय मंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांगने के कारण, मुख्य मंत्री ने इनका इस्तीफा नहीं लिया, इस कारण, हम आज की बची हुई कार्यवाही का बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत और एक तरफ यह देखिए भागते जा रहे हैं। यह सदन की कार्यवाही में भाग लेना ही नहीं चाहते। जिस +++ ने लोक सभा के अन्दर हिन्दू समाज के बारे में बातें कही हैं, पूरा हिन्दू समाज इस बात का विरोध करता है। जिस तरीके की बातें हिन्दू समाज के बारे में कही है, उसका पूरा सदन विरोध करता है। आप चर्चा में भाग लो, डरो मत। आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि भागो मत। आप भाग क्यों रहे हैं? सदन की चर्चा में आइये। सदन की चर्चा में भाग लीजिए। आपके नेता, +++ राहुल गांधी जी ने पूरे हिन्दू समाज को बदनाम किया है। हिन्दू समाज के बारे में जो बात कही है, शर्म आने की बात है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग कहिए, आपको हिन्दू समाज से माफी मांगनी चाहिए। जिनके बारे में आपके +++ राहुल गांधी जी ने पूरे लोक सभा में बात कही है, पूरा हिन्दू समाज इस बात का विरोध करता है। हिम्मत हो तो इस विधान सभा के अन्दर आकर बहस करिए कि हिन्दू समाज हिंसक है। हिन्दू

(श्री अविनाश गहलोत)

समाज अहिंसा का पुजारी है। नेता, प्रतिपक्ष ने जो कहा है, पूरा विधान सभा उसका खण्डन करता है। कांग्रेस के विपक्षी दल में अगर हिम्मत है, इसी विधान सभा में आकर बहस करें कि हिन्दू हिंसक है या हिन्दू समाज कैसा है। इस बात का अफसोस है कि आपके नेता जिसको जमीनी हकीकत का पता नहीं है, वह ऐसी बेफिजूल बातें करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है, अब अपन अपनी कार्यवाही शुरू कर रहे हैं।

वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (RIICO) पर माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुबह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, व्यवस्था का प्रश्न है। दो मिनट का समय लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब नाम पुकार लिया है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): कोई बात नहीं, इनके बाद दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट, इनके बाद।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): इनके बाद दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इनके बाद। बोलिए।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (RIICO) के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) व राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों (वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 व 2021-22) पर विचार

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय महोदय, आपकी अनुमति से, 2021-22 रीको का प्रतिवेदन है उस पर विचार विमर्श हो, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रतिवेदन भी रख रहे हैं। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड (RCDF) श्री जोराराम जी कुमावत। दोनों प्रतिवेदन आ जाएं, फिर विचार।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड (RCDF) के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 से 2021-22 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब आप बोलिए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपके निर्णय के बाद कोई बात नहीं बचती है। कल जो हो-हल्ला हो रहा था उसमें विषय भी समझ नहीं आया। अभी सदन का सेशन शुरू हुआ है उसमें इंडियन कांस्टिट्यूशन के सैक्शन 176 में, आपकी अनुमति हो तो पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष: कल हो गई चर्चा। उन्होंने पढ़ लिया, सदन ने पढ़ लिया, जवाब आ गया।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): मेरी बात सुन लीजिए। जवाब आ गया, मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: 176, इन्होंने जवाब दे दिया।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): बात तो सुनिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): निर्णय आ गया।

श्री अध्यक्ष: मैंने जिस पर अपनी व्यवस्था दे दी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। आगे बढ़िए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): मैं चर्चा नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा ही तो कर रहे हो। यह चर्चा ही तो है। श्री कुलदीप।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। (व्यवधान) संविधान के खिलाफ अगर सरकार जाएगी तो वह तो बोलेंगे। आप भी संविधान से बंधे हुए हो।

श्री अध्यक्ष: श्री कुलदीप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सरकार का क्या विषय है, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): संविधान के बाहर व्यवस्थाएं नहीं हो सकतीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो। श्री कुलदीप, आप शुरू करिए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्ष: कल व्यवस्था दे दी, दूसरा विषय होता तो मैं जरूर देता। श्री कुलदीप, आप बोलिए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्ष: यह मेरे पास भी है। इस किताब पर मैंने व्यवस्था दे दी। सारी पढ़ ली, व्यवस्था दे दी।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्ष: सब मेरे पास है लिखा हुआ।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिए।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अवसर पर बहुत सारे विषयों के सन्दर्भ में मुझे सदन को अवगत कराना है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री कुलदीप (विराटनगर): गत कांग्रेस सरकार ने पांच साल में, लगातार 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 में राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये, जिसमें मैं कांग्रेस सरकार का आईना इस राजस्थान के सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, वर्ष 2019-20 में टोटल राजस्थान में 11 औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये जिनमें से मात्र 8 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास ये कर पाये, यानी 3 शेष रह गये, जिनका काम आज तक इन्होंने प्रारम्भ नहीं किया। 2020-21 में कुल 13 औद्योगिक क्षेत्र इन्होंने घोषित किये, जिनमें से मात्र 8 क्षेत्रों में इन्होंने भूमि आबंटित करने का काम किया और केवल 6 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास इन्होंने किया। यानी 7 औद्योगिक क्षेत्रों का इन्होंने कोई विकास नहीं करवाया।

साथ ही साथ मैं वर्ष 2021-22 का भी जिक्र करना चाहता हूं, जिसके प्रतिवेदन पर बोलने के लिए मुझे कहा गया है। महोदय, वर्ष 2021-22 में 69 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान कांग्रेस की सरकार की ओर से घोषित किये गये और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं यह आकड़े देख रहा था कि केवल मात्र 29 औद्योगिक क्षेत्रों में ही भूमि का आबंटन किया गया और जिनमें से मात्र 13 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये, यानी 56 औद्योगिक क्षेत्रों में एक नये पैसे का विकास कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। जो कांग्रेस के मित्र एक विजन की बात कर रहे थे, सिद्धांतों की बात कर रहे थे तो मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने इनको उनका नमूना दिखाना चाहता हूं।

(श्री कुलदीप)

महोदय, वर्ष 2022-23 में टोटल औद्योगिक क्षेत्र 33 घोषित किये गये जिनमें से 18 औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन हुआ और केवल मात्र 4 औद्योगिक क्षेत्रों का इन्होंने विकास करवाया, केवल वह ही इनका काम सम्पूर्ण हुआ है, यानी 29 औद्योगिक क्षेत्रों में इन्होंने एक रुपये का भी काम नहीं करवाया।

महोदय, 2023-24 में इन्होंने 50 औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये और केवल मात्र 11 औद्योगिक क्षेत्रों में इन्होंने भूमि आबंटन का काम किया और इनका एक भी औद्योगिक क्षेत्र का काम, निर्माण भी शुरू नहीं किया, यानी जीरो परसेंट है।

महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बेरोजगारी की हम बात करते हैं, जिस किसान और मजदूर की बात करते हैं, उद्योग स्थापित करने की बात करते हैं तो हमारा विजन है कि हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस सरकार में जो पांच सालों में इन्होंने किया, इनका कुल परसेंट, यानी जो उद्योग स्थापित किये, वह मात्र 2.58 परसेंट उद्योग ही ये स्थापित करवा पाये, मात्र इतना लाभ ही मिला है। यह कांग्रेस सरकार का इनका विजन था।

महोदय, मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार ने छह माह में जो काम किये हैं, उसके सन्दर्भ में मैं आग्रह करना चाहता हूं। भीलवाड़ा में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु तहसील हुरड़ा में राजस्व ग्राम रूपाहेली, चतरपुरा, सुल्तानपुरा, बड़ला में कुल 209.25 हैक्टेयर भूमि का हमने आबंटन किया है जिसकी तारीख 21.06.2024 को जारी किया, प्रीमियम राशि हमने जमा करवा दी है और आबंटन की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

ऐसे ही हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे उद्योग विभाग के मंत्री नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु रीको के पक्ष में निम्न भूमियों का आबंटन भी हमने किया है, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का विजन है।

भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा तहसील में ग्राम खाखला में 45.55 हैक्टेयर, करेड़ा उपखण्ड क्षेत्र में ग्राम किडिमाल में 47.18 हैक्टेयर, तहसील भीलवाड़ा के ग्राम महुंकलां में 85.28 हैक्टेयर और सलूम्बर जिले में उपखण्ड सेमारी के ग्राम उदासफला में 12.85 हैक्टेयर, डीडवाना जिला उपखण्ड क्षेत्र कुचामन

(श्री कुलदीप)

सिटी के ग्राम कुचामन सिटी की करीबन 33 हैक्टेयर भूमि हमने इसमें आबंटित की है। हमारी सरकार की ओर से प्रीमियम राशि हमने जमा करवायी है। जिला कलेक्टर द्वारा संशोधित मांग पत्र भी हमने इसका जारी किया है और बकाया राशि शीघ्र ही जमा करवायी जायेगी। यह फर्क है गत कांग्रेस सरकार के विजन में और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो हमेशा सिद्धांतों की कांग्रेस के लोग बात करते हैं, वे बहिष्कार करके चले गये, उनके विजन की सरकार 2018-2023 के बीच में थी, यह अच्छा होता कि वे सामने बैठकर सुनते कि आपने आपका जो बजट था, जो आपका चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें क्या-क्या विषय आपने बताये थे और कितने कामों की आपने बजट में घोषणा की और उसमें से कितने काम आपने करवाये हैं?

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे हमारे राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सानिध्य में पांच नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कार्य हमने प्रारम्भ किया। उसमें बरकाना (पाली) में 133 लाख रुपये, धर्मपुरा, धोरीमन्ना, (बाड़मेर) में 272 लाख रुपये, वल्लभनगर (उदयपुर) 520 लाख रुपये, मालवा का चौरा, कोटड़ा, (उदयपुर) में 605 लाख रुपये, नैनवा-बूंदी में 376 लाख रुपये, यह टोटल पांच ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनके लिए राशि हमारी सरकार ने स्वीकृत की है, जिनका काम हमने अभी प्रारम्भ किया है।

(समय: 15.24 बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

महोदय, मैं एक ऐसा विषय आपके सामने एवं सदन के सामने रखना चाहता हूं और मैं विपक्षी दल को भी यह बताना चाहता हूं कि जो बहुत लम्बे समय से, आपके समय में जो ऐसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने थे, उनमें आपने कोई काम नहीं किया। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जयपुर शहर के नजदीक श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कुंजबिहारीपुरा में रुपये 828.36 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हमारी सरकार ने की है। भूखंड सीमांकन, सड़क और पुलियाओं के विकास कार्यों हेतु 34.16 करोड़ रुपये की लागत से कार्यादेश, मौके पर कार्य प्रगति पर है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का विजन है।

महोदय, आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने छह ऐसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में जहां केचवाड़ा-कोटपूतली, बहरोड़, खैरथल-

(श्री कुलदीप)

अलवर, खारा-बीकानेर, कलड़वास-उदयपुर, रतनगढ़-चूरू एवं बगरू-जयपुर में अग्निशमन केन्द्रों की सुविधा के लिए अग्निशमन वाहनों की आपूर्ति कर अग्निशमन सुविधा हमारी सरकार ने प्रारम्भ की है। यह हमारी भाजपा की सरकार का, माननीय भजन लालजी सरकार का विजन है लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछले पांच साल इस राजस्थान को विकास के प्रगति के पथ पर रोका गया और यह पाप कमाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है लेकिन राजस्थान की सारी जनता उनको देख भी रही है।

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में 12 करोड़ रुपये की लागत से हमने उसको बिलकुल मोडिफाइड करने के लिए, सर्व सुविधायुक्त नवीन अतिथि गृह के निर्माण के लिए, अपने पूर्ण रूप से उपयोग के लिए हमने तैयार किया है। हमारी सरकार ने गत छह माह में कुल 138 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करके इसके अंतर्गत पांच नये औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य निष्पादित किये जायेंगे, हमारी सरकार का यह विजन है और राजस्थान की जनता को सौगात देने का काम और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने यह काम किया है।

महोदय, रीको में जो विभिन्न पद हैं, उनमें से कुल 246 कर्मियों को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर हमारी सरकार ने पदोन्नत करने का काम किया है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 606 भूखण्ड विगत छह माह में आबंटित किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक क्षेत्रों में 246 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जबकि हमारा रेवेन्यू कितना है? 280 करोड़ रुपये की वसूली विभिन्न मदों में की गयी है। रीको द्वारा 75.50 करोड़ रुपये के सावधि ऋण भी वितरित कर उद्योगों को सहायता प्रदान की गयी है, यह प्रदेश की सरकार का, हमारे मुख्य मंत्री महोदय का और हमारे उद्योग मंत्री का विजन राजस्थान के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी का जो विजन हमेशा रहा है, पूरे देश में हम सड़कों को बहुत अच्छे तरीके से बनायें और मैं जो आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली मुम्बई कोरिडोर के लिए जो टाउनशिप स्थापित होनी है, उसके लिए डी.एम.आई.सी. परियोजना के तहत जोधपुर, पाली, मारवाड़ विशेष विनिधान रीजन में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप तक पानी पहुंचाने के लिए 90

(श्री कुलदीप)

किलोमीटर पाइप लाइन डालने के लिए रीको के स्रोत से 275 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हमारी सरकार ने जारी की है, इसके लिए हम मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से कि हमारी सरकार ने इतने बड़े विजन के साथ जो काम किया है, उसको लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं।

महोदय, डी.एम.आई.सी. परियोजना के तहत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना विशेष विनिधान रीजन में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ की है, इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक भूमि की उपलब्धता हो सकेगी। ऐसी हमारी राजस्थान की सरकार जो विजन के साथ चलती है, जो कार्ययोजना को बढ़ाने का प्रयास करती है।

महोदय, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि डीएम.आई.सी. परियोजना के तहत खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना विशेष विनिधान रीजन हेतु केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्राप्त हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप विकास कार्य का मार्ग प्रशस्त होगा, जो कांग्रेस के शासन में लगातार पांच साल तक यह मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, इसको कांग्रेस सरकार करवा नहीं पाई थी परंतु हमारी सरकार के आने के बाद छह माह की समयावधि में ही हमने इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 20.05.2024 की बैठक आयोजित कर 50 से अधिक निवेशक इकाइयों को उनके द्वारा राज्य में किये गये लगभग 3,500 करोड़ रुपये के निवेश पर योजनानुसार विभिन्न अनुदान स्वीकृत कर प्रोत्साहित किया गया, जोकि राज्य में निवेश संवर्धन हेतु सकारात्मक परिवेश को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।

सदन को यह अवगत कराने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी पार्टी ने जो मेनिफेस्टो में कहा था, हमारी सरकार बनने के बाद जो हमने हमारे मेनिफेस्टो में कहा था, उस काम को छह महीने में हमारी सरकार ने पूरा करने का प्रयत्न किया है और जो आगे काम शेष बचे हैं, हमारी सरकार निरन्तर दिन-रात एक करके राजस्थान की जनता से हमने जो वायदे किये थे, हमने हमेशा जनता को और गरीब को गणेश मानकर हमने काम किया है, उन कामों को हम पूरा करेंगे।

(श्री कुलदीप)

इस वार्षिक प्रतिवेदन पर जो मुझे बोलने के लिये समय दिया गया, माननीय सभापति महोदय, पुन: राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी को और उद्योग मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं सदन से कहना चाहता हूं कि जोरदार तरीके से अभिवादन अपने स्थान पर बैठकर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. ऋतु बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। "RIICO is a development symbol of any area", अभी हम सब रीको के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं और मैं आप सबको यह बताना चाहती हूं कि बयाना-रूपवास का जो क्षेत्र है, वह चाहे राम मन्दिर का पत्थर हो और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, आज जिस भवन में बैठे हैं, वहां के निर्माण में भी हमारे बंशी पहाड़पुर का पत्थर लगा है। कई बार परिस्थितियां यह आती हैं कि हमारे यहां स्टोन हब होना चाहिये था, लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण हमारे यहां स्टोन हब नहीं बन पाया। बहुत प्रयासों के बाद, लगातार जनता की आवाज के बाद में वहां के पत्थर को वैधानिक रूप भी दिया गया, लेकिन आज भी वहां का जो स्थानीय व्यक्ति है, वह रोजगार से वंचित होता जा रहा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे यहां के पत्थर की उपलब्धता और पौराणिकता दोनों को सरकार को समझना पड़ेगा और चूंकि सरकार और हमारे भजन लाल जी, जो आदरणीय मुख्य मंत्री साहब हैं, वह भी भरतपुर जिले से आते हैं, मेरी यह अपेक्षा रहेगी कि हमारी जो समस्याएं हैं, उनके सामने हैं, वह इन सब समस्याओं को जानते हैं और हमारी इन समस्याओं का निवारण जल्दी से जल्दी किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, बयाना का पत्थर न केवल आज से बल्कि कई दशकों से एक अलग पहचान रखता है और जहां तक इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की बात हो, भरतपुर जिले में एक समय होता था जब सिमको और डालमिया जैसी कम्पनियां वहां पर डवलपमेंट कर रही थीं और काम कर रही थीं, उनकी फैक्टरियां वहां पर लगी हुई थीं लेकिन अब डालमिया बन्द हो चुकी है, सिमको भी उसी कगार पर है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में टी.टी.जेड. लगता है और साथ ही एन.सी.आर. भी है तो नई इंडस्ट्रियों का डवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा, कोई नई इंडस्ट्रियां लग नहीं रहीं, क्योंकि उनकी

(डा. ऋतु बनावत)

शर्तें ही इतनी कठिन हैं। वहां पर रोजगार के साधन लगातार कम होते जा रहे हैं और यह भी कहना चाहूंगी कि साल में कुछ समय ऐसा भी आता है जहां पर ईंट-भट्टे बंद कर दिये जाते हैं, क्रेशर बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि वह टी.टी.जेड. और एन.सी.आर. में आते हैं और मैं यह कहना चाहूंगी कि बयाना में रीको की स्थापना 2010 में हुई और जो डवलपमेंट रीको का वहां पर होना चाहिये था, वह वहां पर आज भी नहीं हो पाया है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक बयाना के रीको की बात है, वहां पर स्थिति हम देखें तो वहां पर मीटर ए.ईएन. आज भी नहीं बैठता है। अगर कोई लाइन में फाल्ट हो जाता है तो चार-चार दिन, पांच-पांच दिन और जरूरत पड़ती है तो आठ-आठ दिन तक भी इंडस्ट्री बंद रहती है, तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वहां पर मीटर ए.ईएन. की पोस्टिंग की जाये जिससे कि वहां के व्यापारियों को सुविधा मिल सके और इंडस्ट्री को बंद नहीं होना पड़े, क्योंकि आप सभी सदन में सब लोग जानते हैं कि एक इंडस्ट्री बंद होती है तो पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। बयाना में इंडस्ट्री के नाम पर केवल वहां की रीको है और पत्थर का ही व्यवसाय वहां पर है। हमारा पूरा बाजार, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उसी से चलती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि वहां पर रीको डवलप होता है तो कुछ शर्तों के साथ डवलप होता है। वहां पर डम्पिंग यार्ड सबसे पहली जरूरत थी और रीको बने आज इतने साल हो गये हैं, रीको के डम्पिंग यार्ड के लिए आज भी जमीन का अलाटमेंट नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रीको के व्यापारियों को डम्पिंग यार्ड दिया जाये ताकि वहां डम्प भी कर सकें और उससे जो प्रोब्लम्स स्थानीय लोगों को हो रही हैं, उससे भी निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि रूपवास में रीको की घोषणा पिछले कार्यकाल में पिछली सरकार ने की थी, लेकिन आज तक उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है और जिस पंचायत में जो चेकोरा पंचायत है, उसमें रीको की स्थापना के लिये जमीन चिह्नित भी की गयी थी, लेकिन वहां की जो सरकारी जमीनें हैं, उन पर भूमाफिया कब्जे करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक भी वहां पर जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी रीको की स्थापना

(डा. ऋतु बनावत)

रूपवास या रूदावल क्षेत्र में करके वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करे, क्योंकि वहां पर यही रोजगार है और यही हमारा भविष्य है, तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। हमारी यह मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है, जल्दी से जल्दी रूपवास या रूदावल में रीको की स्थापना करके हमारी इस परेशानी का समाधान करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही बयाना का जो रीको है, वहां पर एक पार्क रीको ने चिह्नित भी किया था रीको की जमीन में, आज तक उस पार्क का डवलपमेंट नहीं हो पाया है। प्रदूषण की दृष्टि से भी वहां पर बीच में पार्क को डवलप किया जाना बहुत आवश्यक है।

मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहती हूं कि बयाना रीको के एरिया में एक नाला है और नाले में ऐसी कंडीशन है कि वह आधा रेलवे में आता है और आधा रीको के पास है और आज तक नाला बनने के बाद उसकी सफाई नहीं हुई है।

श्री सभापति: विराजें।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): मेरा यही निवेदन है कि हमारी इन समस्याओं को देखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी उन समस्याओं का समाधान करे।

श्री सभापति: विराजें, आपका पूरा विषय आ गया है। गोपाल शर्मा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): आदरणीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता के हित और राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुये दो प्रतिवेदनों के ऊपर सदन में चर्चा करने की स्वीकृति दी और हमारे अध्यक्ष महोदय ने उसको मंजूर किया। इतिहास की यह महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि पिछले पांच साल के कार्यकाल में केवल दो बार प्रतिवेदनों पर चर्चा हुई है और पहले ही वर्ष में दो प्रतिवेदनों पर चर्चा होना उत्साह को जगाता है, उल्लासित करता है।

मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले मैं हमारे आदिवासी भाइयों, कांग्रेस के शासन में हुए मंडावरी नरसंहार के मृतकों और इमरजेंसी के अन्दर शहीद हुए बस्तर के महाराजा को अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। उनकी जिस तरह से नृशंस हत्या की गयी, वह देश के इतिहास का काला अध्याय है। मैं अदृश्य विपक्ष के लिये सिर्फ इतना ही कहूंगा-

(श्री गोपाल शर्मा)

"तू इधर-उधर की बात न कर,
यह बता ये काफिला क्यों लूटा।
हमें रहजनों से गिला तो है,
लेकिन तेरी रहबरी का भी सवाल है।।
ये राजस्थान को नहीं जानते।
मौत आयेगी भी तो मरेगा नहीं यह राजस्थान,
यह दरिया है समंदर में उतर जायेगा।"

मैं रीको के प्रतिवेदन पर कहां से शुरू करूं? कुम्भाराम जी आर्य, जिनका नाम माननीय राहुल गांधी नहीं जानते और +++ कहकर संबोधित किया था, उनके अभिनंदन ग्रंथ में लिखा है कि हम कांग्रेस के तीन प्रमुख नेता, एक तो उस समय मुख्य मंत्री थे, एक मथुरादास जी माथुर थे जोधपुर के और कुम्भाराम जी आर्य थे, यह तीनों चंदा मांगने के लिए कलकत्ता गये तो व्यापारियों ने इनके सामने सीधी शर्त रखी। एक प्रमुख व्यापारी थे, नाम नहीं लेना चाहता, कि ढाई लाख रुपये प्रति सीमेंट की फैक्टरी पर, ढाई-ढाई लाख रुपये ले लो और सीमेंट की फैक्टरी का लाइसेंस दे दो। इस तरह से राजस्थान के औद्योगिक विकास की, कथित औद्योगिक विकास की बुनियाद कांग्रेस की सरकारों ने रखने का काम किया है।

रीको, यानी एक सफेद हाथी, सबसे भ्रष्ट अफसर को रीको में लगाया जाता था। यह 1990 में बंद हुआ, जब आइडेंटिटीफाई किये गये कि यह 2 अफसर रीको में ही क्यों रहते हैं। फिर तमाम सिफारिशें आयीं लेकिन यह तय हुआ कि नहीं, रीको को रीको के काम में लगायेगे।

कैसी घटनाएं होती थीं? मैं ज्यादा सीनियर लोगों का काम नाम लिये बिना, कटुता का उल्लेख किये बिना बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, बगरू के माननीय विधायक अभी तो बैठे हैं, इनके बगरू के अन्दर रीको ने ऐसी संजीवनी फोडर की गारंटी ली जिससे रीको का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ भ्रष्टाचार से वास्ता था। घास पैदा करने की मशीनें वहां पर लाई गयीं और जो काम में आयी शौचालय जाने के। एक दिन भी घास का उत्पादन नहीं हुआ। लोग कैरेट भी उठाकर ले गये। लाइट भी उठाकर ले गये। एयर कंडीशनर भी उठाकर ले गये। कौन था वह व्यक्ति, कौन था उसके पीछे? जो देश का लोक सभा अध्यक्ष भी रहा हुआ था। कांग्रेस का सांसद और राज्यपाल भी रहा हुआ था। यह है रीको की स्थिति।

(श्री गोपाल शर्मा)

केवल ऋण दिलवाना, ब्याज नहीं देना, ब्याज बढ़ते चले जाना और फिर सैटलमेंट करने वाले कांग्रेसी दलालों का सक्रिय होना। यही रीको का पचीसों वर्ष तक इतिहास रहा है। किया कुछ नहीं है।

हमको तो खजाना खाली मिला। दो चूहे दौड़ रहे थे। अगर केन्द्र सरकार का समय के ऊपर भुगतान नहीं आया होता तो बिजली नहीं आ पाती। उसका पेमेंट हुआ तब जाकर के बिजली आयी। अगर भाजपा सरकार नहीं बनती तो ऐसी सरकार बनती जो भागकर के चली जाती और यहां पर रह नहीं पाती तो इस तरह का कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान जब नीचे से दूसरे नंबर पर था तो भैरोंसिंह जी शेखावत के कार्यकाल के अन्दर लोग ध्यान करेंगे कि 10 साल में सबसे नंबर वन राज्य राजस्थान बना। पहला पुरस्कार राजस्थान को मिला। 'बीमारू' से बाहर निकालने का काम भाजपा की सरकार ने किया और 'बीमारू' बनाने का काम कांग्रेस ने किया। जहां-जहां से कांग्रेस जाती गयी वहां-वहां से बीमारू' शब्द हटता गया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ताजा प्रतिवेदन के ऊपर कि इन्होंने पहला यह तय किया कि लेखांकन की पूरी प्रणाली, लेखांकन आईटी प्रणाली से लागू किया जायेगा। पहला विषय तय किया कि आईटी प्रणाली से लेखांकन होगा जिसमें भारत दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन राजस्थान उस काम को भी पूरा नहीं कर सका। जब लिख ही नहीं सके तो कर्म क्या करते। उसके भी उदाहरण मैं आपको बताता हूं।

अतिक्रमण और कानूनी विवाद, इसके केवल 200 करोड़ के मामले के अन्दर तत्कालीन राज्य सरकार और अपने जो पर्यवेक्षक थे, इन लोगों ने जांच करने की कोशिश की, तो पता चला कि उसके अन्दर सरकार ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। 200 करोड़ के मामले वार्षिक प्रतिवेदन के अन्दर सामने आये हैं। लगभग 1,200 एकड़ जमीन जिसके ऊपर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, क्यों नहीं की? समझा जा सकता है। इन्होंने कहा कि सीएसआर फंड के अन्दर हम अपना योगदान देंगे। इनको सीएसआर से मतलब ही नहीं है। आम आदमी से मतलब नहीं। जनता से मतलब नहीं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): गरीबी से मतलब नहीं। भुखमरी से मतलब नहीं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): बस 2-4 मिनट और बोल लेता हूं।

श्री सभापति: 5-5 मिनट ही दिये हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): प्रतिपक्ष वाला समय थोड़ा-सा दे दीजिये। वह नहीं है। 2-4 मिनट खाली बात कह देता हूं।

श्री सभापति: अपनी सूची बहुत लंबी है।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): 2-3 चीजें कह देता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में बात पूरी करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): हां। सवा 2 लाख करोड़ रुपये का ऋण लिया। जो 6 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है और साढ़े 72 हजार रुपये का कर्जा हर राजस्थानी पर पैदा होते ही होता है। उसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस की सरकार। रीको से जुड़े हुए क्षेत्र जयपुर के अन्दर चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे सुदर्शनपुरा हो, लोगों से पैसे ले लिये, उनको सुविधाएं नहीं दीं क्योंकि वह पीछे से पैसा देने में चूक गये।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा राजस्थान है, इसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। सवा 13 परसेंट कृषि के ऊपर निर्भर हैं। सवा 28 परसेंट उद्योगों पर निर्भर हैं। 58 परसेंट के करीब सेवा क्षेत्र के ऊपर निर्भर हैं। जब तक रीको अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदलेगा तब तक राजस्थान को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सवा 13 परसेंट लोग दु:ख पा रहे हैं। सवा 28 परसेंट लोग दु:ख पा रहे हैं। 58 परसेंट लोग दु:ख पा रहे हैं। आप दो जनों की लड़ाई थी। उसको कितना हमारे ऊपर थोपकर के चले गये। एक वह कहावत आती है, दो बैलों की जोड़ी, वह कर दी हमारी स्थिति तो मैं सदन से, आप सभी से, आदरणीय सभापति महोदय ने जो समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। यह निश्चित है कि राजस्थान हमेशा राज करेगा। राजस्थान हमेशा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण विषय पर, रीको के इस प्रतिवेदन में बोलने का मौका दिया।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि मेरे सामने वाले प्रतिपक्ष से कोई हैं नहीं, मगर उन्होंने जो हमारे एससी, एसटी के ऊपर अत्याचार किया, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, रोना आता है।

इन्होंने एससी, एसटी का आरक्षण दिया रीको के प्लाटों में और उन्होंने महिला के आरक्षण में जनरल महिला को डाल दिया। उसमें यह परिणाम निकला कि जनरल का प्लाट तो सस्ता और एससी, एसटी महिला का सबसे हाई क्योंकि 50 परसेंट की छूट होने की वजह से जनरल महिला को लेकर कांग्रेस ने जो हमारे जनजाति और एससी के साथ में कुठाराघात किया, वह भूला नहीं जायेगा।

मैंने भी एक प्लाट पर बोली लगाई थी। मेरी सीमा समाप्त हो गयी कि अब इनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं। जनरल से भी ज्यादा हमारी एसटी और एससी महिला की रेट चली गयी। मैं उन प्रतिपक्ष के लोगों से अगर वह होते तो पूछता कि आरक्षण क्यों दिया? देने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? जो एससी और एसटी के साथ वर्षों से वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, उनसे फायदा लिया। मगर एससी को और एसटी को इन्होंने इतने गर्त में डाल दिया। हमारी भारतीय जनता पाटी की सरकार 2013-18 की बात करूं तो हमारा जो मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया था, उसके अन्दर कैमिकल की फैक्ट्रियां बरसों से लगी हुई थीं, उससे हमारा जल का प्रदूषित हो गया, अंडरग्राउंड वाटर सारा का सारा कैमिकलयुक्त हो गया। पीने का पानी तो छोड़ो, खेती के काम में भी वह नहीं आता। जब मैंने हमारी सरकार में माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्री को अपनी पीड़ा बताई तो 12 फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा, उनकी कैमिकल की जांच करनी पड़ी, वो 12 फैक्ट्रीज 2013-18 के अन्दर बंद करनी पड़ी लेकिन पिछले पांच साल के अन्दर वापस कैमिकल फैक्ट्रीज का इजाफा हो गया। उसका यह परिणाम है कि उनकी जांच करने के लिए पूर्व सरकार के समय में कोई जाते तो वो वहां पर खानापूर्ति करके, उनको परमिशन दे देते थे। इसका यह परिणाम है कि वापस उन औद्योगिक क्षेत्रों में कैमिकल फैक्ट्रीज का बोलबाला हो गया। वो आठ-आठ इंच के बोर पाइप डालकर उनके अन्दर कैमिकल डालते हैं इसलिए अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने परमिशन ली थी कि आप दो मिनट दे दें।

माननीय सभापति महोदय, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र में कैमिकल इंडस्ट्री लगाने का सरकार ने जो वादा किया था, उसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस कलड़वास रीको एरिया में कैमिकल की फैक्टरी न लगाएं क्योंकि यहां से ही हमारे उदयपुर की कम से कम 25 प्रतिशत जनता को मीठा पानी मिलता है। अगर कलड़वास में कैमिकल की फैक्ट्रीज लगाएंगे तो उस इंडस्ट्रियल एरिया का भी वही हाल हो जाएगा जो इंडस्ट्रियल एरिया मादड़ी का है। आज वहां पर पानी की भारी समस्या है। जयसमंद और मानसी वाकल से हमारा पानी आ रहा है, वो बहुत कम है, यह पानी भी अगर प्रदूषित हो जाएगा तो हमारी जनता को वास्तव में बहुत बड़ा झटका लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरी बात को प्राथमिकता से लेकर इस पर ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने रीको पर मुझे बोलने का अवसर दिया। विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 महीनों में औद्योगिक परियोजना पर जो काम किये हैं, उन पर विस्तृत चर्चा की। विराटनगर के माननीय सदस्य के अतिरिक्त गोपालजी शर्मा ने रीको के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की। रीको ने अभी तक जब से रीको बना है तब से लेकर आज तक, माननीय मंत्री महोदय, 4354.88 एकड़ भूमि का तो अधिग्रहण किया है और 1016.30 एकड़ भूमि इसके अगेंस्ट में विकसित करके दी है। यदि रीको की यह प्रोग्रेस हम देखें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि रीको कितनी धीमी गति से कार्य करता है लेकिन व्यक्ति को जब पेट में भूख लगती है तो उसको इतनी धीमी गति से भोजन देंगे तो उसका पेट भी नहीं भरेगा और उसको संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। रीको का मेन उद्देश्य था कि उद्योगों की ओर राजस्थान को आगे लेकर जाए और औद्योगीकरण से हमारे नागरिकों को, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले, रोजगार लेकर वो अपनी रोजी-रोटी कमाकर अपने परिवार का जीवन-यापन कर सकें, लेकिन इस तरह से जब

(श्रीमती अनिता भदेल)

रीको चलता है तो हमें समझ पड़ता है कि किस तरह से रीको की कार्य प्रणाली है।

दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार की बात की है। रीको के बहुत कुछ पिछड़ने का कारण, उसकी योजनाओं का समय पर पूरा नहीं होने का कारण रीको का भ्रष्टाचार भी है। इसलिए मैं आपसे इस बाबत निवेदन करना चाहूंगी कि उद्योग मंत्री के नाते से तो रीको पर अधिकार होता है लेकिन जितनी भी प्राइवेट कम्पनियां रीको की बनी हुई हैं, रीको के अन्दर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमारा वैस्टर्न फ्रेट कोरिडोर के अन्दर जो कम्पनियां बनी हैं, उन कम्पनियों में चाहे डाइरेक्टर्स हों या वित्तीय प्रबंधक, प्राइवेट कम्पनियों से लिए जाते हैं। मैं रात को जब यह प्रतिवेदन पढ़ रही थी, मुझे आज बोलना था, 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा विवरण। आप इसमें देखिए लगभग-लगभग 500 से अधिक आडिट आब्जेक्शंस हैं प्राइवेट फर्म्स के, सरकारी फर्म नहीं है। प्राइवेट फर्म से जो आडिट आब्जेक्शन करवाये हैं, 500 के लगभग आडिट आब्जेक्शन उन्होंने किए हैं कि किस तरह से अधिकारियों ने घपलेबाजी की है और किस तरह से इस आडिट रिपोर्ट के आधार पर ही हम अधिकारियों से पूछ लें तो शायद हमारी स्पीड बढ़ सकती है और हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

माननीय मंत्रीजी, मेरे कुछ और सुझाव मैं आपको इस बहाने से देना चाहूंगी। रीको की जमीन पर औद्योगिक इकाइयों के लिए लोगों को जो आप प्लाट देते हैं वो लीजहोल्ड पर दिए जाते हैं, यानी कि लीज होती है, 30 साल या 90 साल के बाद वापस उनको वह रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन हम यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यपारिक वर्ग, वणिक वर्ग में भी बच्चे व्यापार करते हैं और लगातार व्यापार उनमें बना रहता है। मेरा यह निवेदन है कि एक तो वह लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजी-रोटी दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको लीजहोल्ड की बजाय फ्रीहोल्ड प्लाट दिए जाने चाहिए। यदि वो फ्रीहोल्ड कर देंगे तो निश्चित रूप से वो एक समय के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि हमें अब यहीं पर इस उद्योग को चलाना है और हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला 30 साल या 90 साल में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि रीको में पहले आओ, पहले पाओ की स्कीम है। यह पहले आओ, पहले पाओ की स्कीम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। 85 प्रतिशत भूखण्ड पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आबंटित किये

(श्रीमती अनिता भदेल)

जाते हैं। यदि हमें रोजगार बढ़ाना है, लोगों को रोजगार देना है, राजस्थान में औद्योगीकरण को लाना है तो 85 प्रतिशत तो जो आपका 15 प्रतिशत है, पहले आओ पहले पाओ करना चाहिए और जो 85 प्रतिशत आक्शन का है उसे 15 प्रतिशत करना चाहिए। कोई भी उद्यमी आक्शन में प्लाट लेकर आता है तो करोड़ों रुपया तो उसको सिर्फ प्लाट के लिए ही खर्च करना पड़ता है, बाकी इन्वेस्टमेंट तो वो कहां से करेगा, यह पता नहीं। एक साधारण प्रकार का व्यक्ति यह चाहे कि मैं उद्यमी बनूं, मैं इंडस्ट्री चलाऊं तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती बिना पूंजी के कि वह किस प्रकार से करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति इंडस्ट्री डालना चाहता है, रीको में भी यही हालात हैं, रीको में प्लाट लेने के बावजूद भी उसको लगभग 46 से 47 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके यहां से उसको एन ओ सी लेने जाना होता है। किसी के यहां जेडीए का है तो उसे जेडीए के यहां से भू रूपांतरण करवाना होता है, फिर उसको विद्युत विभाग से, जेवीवीएनएल से विद्युत कनेक्शन लेना होता है, फिर आपको पर्यावरण विभाग से एन ओ सी लेने के लिए पर्यावरण विभाग जाना होता है और ऐसे सभी विभागों में उसको धक्के खाने पड़ते हैं। रीको अपना प्लाट बेचने के बावजूद उस उद्यमी की किसी प्रकार से कोई मदद करने को तैयार नहीं है कि मैंने आपको इंडस्ट्री डालने के लिए प्लाट दिया है तो मैं आपको मदद करूं कि आप यह इंडस्ट्री यहां कैसे डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में रीको इसमें आगे बढ़कर पहल करे, पहल करे रीको सारे विभागों से एन ओ सी लाकर उस व्यक्ति को दे। उस व्यक्ति की क्या गलती है उस व्यक्ति ने रीको से प्लाट लिया तो? ऐसी स्थिति में रीको की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत साधारण-सी बात, बहुत सामान्य-सी बात है। रीको एरिया में यदि हम पानी का कनेक्शन देते हैं, पेयजल का कनेक्शन देते हैं तो हम उससे डोमेस्टिक रेट नहीं लेकर कामर्शियल रेट लेते हैं जबकि रीको एरिया में जो फैक्ट्रियां लगी हैं, उनमें उससे कार्मिकों को ही पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, इन छोटी-छोटी चीजों पर यदि ध्यान दे दिया जाए तो शायद ये बहुत जल्दी से स्पीड पकड़ जाएंगे और एक के बाद एक हमारी इंडस्ट्री डवलप होती रहेगी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मुझे ध्यान है कि 2003-2008 के बीच में मैं जब पहली बार एलएमए बनकर आई थी तो वसुन्धराजी यहां पर महिन्द्रा सेज लेकर आई थीं। आज यदि उस महिन्द्रा सेज की बात करूं तो मुझे लगता है कि उनकी कितनी दूरगामी सोच थी। जिस दूरदृष्टि से उन्होंने इसे देखा था और आज ये महिन्द्रा सेज पूरी तरह से विकसित होने जा रहा है और वहां किस-किस तरह से लोग आ रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आईटी हब वहां पर बनकर तैयार हो गया और लोग वहां पर कितना रोजगार ले पाते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर पानी की रेट कामर्शियल न लेकर डोमेस्टिक लें तो उनको वहां पर सुविधा होगी और उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रीज बहुत प्रकार की होती हैं। उनमें से कई में कचरा भी निकलता है, वहां पर डम्पिंग यार्ड की भी जरूरत होती है, वहां पर डम्पिंग यार्ड भी हो ताकि वहां की फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा वो वहां डल जाए और डोमेस्टिक कचरा वहां पर डल जाए। मेरा निवेदन है कि नगर निगम वहां पर कई तरह के शुल्क थोपता है उन उद्यमियों पर, तो क्यों न रीको स्वयं यह भार अपने ऊपर उठाए जिस तरह से रीको उठा रही है, उस तरह से राजस्थान में जहां-जहां रीको के इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहां पर रीको की ही गाड़ी जाए और ट्रेंचिंग ग्राउंड पर वहीं कचरा डालकर आये और वहीं उनसे शुल्क ले।

(समय: 16.00 बजे)

अगर रीको स्वयं इस काम को करेगी तो उद्यमियों की परेशानी को वह समझ सकती है और उसका समाधान कर सकती है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैं अगर हमारे अजमेर की बात करूं तो वहां मुड्डा और मुड्डी बनाने वाले व्यापारी हैं। मैं लम्बे समय से यह कहती रही हूं कि उन व्यापारियों को भी रिकोग्नाइज करके उन्हें जगह दी जाए, उनके प्रमोशंस किये जाएं, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाए। हाथ से बना हुआ फर्नीचर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत डिमांड में रहता है लेकिन हमारे यहां उसकी कोई डिमांड नहीं है। यदि वह डिमांड वहां तक पहुंचती है तो नयेनये अवसर खुलेंगे।

जैसे आपने स्टोन के लिए किया है। स्टोन में बहुत सारी आर्ट होती है। उन आर्ट्स के माध्यम से, चूंकि किशनगढ़ पूरा हब है स्टोन का, उसके

(श्रीमती अनिता भदेल)

कारण से हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल लेवल पर इतनी अच्छी मार्केटिंग पाता है। यदि वह इतनी अच्छी मार्केटिंग पा सकता है तो मुड्डे और मुड्डी का व्यवसाय भी किया जा सकता है। लकड़ी के क्षेत्र की बात करें तो जैसे सहारनपुर का लकड़ी का फर्नीचर पूरे हिन्दुस्तान में फेमस है। हर आम आदमी चाहता है कि मैं सहारनपुर का फर्नीचर लेकर आऊं। क्या हम राजस्थान की ऐसी चीजों का प्रमोशन नहीं कर सकते? कांग्रेस की सरकार ने कहा, हम 10 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे, लेकिन वह पूरा पैसा भ्रष्टाचार में गया। जितने एमओयूज हुए, वे कैंसल क्यों हुए? वे व्यापारी क्यों चले गये? वे अपना उद्योग राजस्थान में क्यों स्थापित नहीं करना चाहते? यदि किसी अधिकारी ने उनसे भ्रष्टाचार की डिमांड की और इस कारण से वे वापस लौट गये तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिये।

हम हर पांच साल में एक नयी इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करते हैं और पुरानी समिट को भूल जाते हैं। इतने बड़े-बड़े विज्ञापन अखबारों में दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन उसकी परिणति में राजस्थान को कुछ नहीं मिलता। राजस्थान का युवा उसी तरह से बेरोजगार बैठा रहता है। चूंकि सभापति महोदय मेरी तरफ बार-बार इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पूरा करती हूं। व्यक्तिगत रूप से और बहुत सारी चीजें आपको निवेदन करूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए पुन: आभार। आज हम रीको के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। जो 2021-22 का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा गया है, उसके बारे में मैं केवल अपनी आब्जर्वेशन दे रहा हूं। यह न तो किसी की आलोचना है, न किसी की प्रशंसा है। रीको की स्थापना जो की गयी थी, वह किन उद्देश्यों को लेकर की गयी थी? क्यों इसे सरकारी विभाग की जगह पब्लिक लिमिटेड कम्पनी घोषित किया गया था? उसके तहत इसकी परिकल्पना की गयी थी।

जिस भी सरकार ने इसकी स्थापना की, उसका मकसद यह था कि बिजनेस प्रिंसिपल्स के आधार पर रीको को चलाया जाए। मेरा पहला जो आब्जर्वेशन है, बिजनेस प्रिंसिपल्स पर न चलाकर के, इसमें चेयरमैन की जो

(डॉ. सुभाष गर्ग)

पोस्टिंग की जाती है, उसका टेन्योर बहुत कम होता है, because IAS Officers were appointed as the Chairman or CMD और उनका जो टेन्योर होता है वह 6 महीने, सालभर, डेढ़ साल का होता है, तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है। किसी भी कारपोरेट एंटरप्राइज की पहली आवश्यकता है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट हो, उसका मिनिमम टर्म निर्धारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इस चीज पर विचार करें और जिसे भी लगाएं, उसे मिनिमम 3 साल का टर्म दिया जाए।

इसमें मेरा दूसरा सब्मिशन और है। जब एमडी एक प्रशासक होता है तो चेयरमैन क्यों नहीं एक मंत्री हो सकता? जब बहुत सारी आर्गनाइजेशंस में, बोर्ड्स में मंत्री चेयरमैन होते हैं तो मैं समझता हूं, विधायिका और कार्यपालिका मिलकर एक बैलेंस का काम करती हैं।

जो आब्जर्वेशंस, चाहे वे अनिता भदेल जी ने दिये, चाहे और लोगों ने दिये, जो भ्रष्टाचार की बात की गयी, चाहे कोई भी सरकार रही हो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस तो है नहीं, तो कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? Ultimately the officers are involved. डिफरेंट मैनेजमेंट काडर काम कर रहा है। मंत्री का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। मैं समझता हूं बहुत कम फाइलें मंत्री जी के पास आती हैं। सारे डिसीजंस बोर्ड आफ डायरेक्टर्स लेता है, चेयरमैन लेता है, एमडी लेता है। इसकी तह में जाने की जरूरत है कि क्यों इस तरह की चीजें होती हैं।

इसमें तीन तरह की जो आडिट करायी जाती है, कुछ इंडिपेंडेंट आडिटर्स हैं, स्टैट्यूटरी आडिटर्स भी हैं और सीएजी भी हैं। सीएजी के पैराज देखेंगे तो उन्होंने इंडिपेंडेंट आडिटर्स के आधार पर कुछ आब्जर्वेशंस किये हैं। मैं संक्षेप में ही कहना चाहूंगा, जितना अतिक्रमण हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करते हैं और टाइम के साथ-साथ उस पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। उसका कोई हिसाब-किताब रीको के पास नहीं है। सीएजी ने भी उसका पैरा लगाया है। इसका कोई अनुमानित मूल्य भी इनके पास नहीं है। क्या कारण है? दूसरा, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और लम्बे समय से शेष रहे, जो एडवांसेज दे दिये जाते हैं, वे लगभग लाखों में हैं। उनका कोई धणी-धोरी नहीं है। क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर क्वेरी कर लें। इसी तरह से जो ठेकेदार हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, उनके पास करोड़ों के एडवांस अभी भी चल रहे हैं, जिनकी वसूली नहीं हो पा रही है। इसे भी देखें। एक और

(डॉ. सुभाष गर्ग)
आब्जर्वेशन देना चाहूंगा, जो रीको की सब्सिडियरी कम्पनीज हैं, सहयोगी कम्पनियां, मुझे ताज्जुब हुआ रिपोर्ट पढ़कर, आज भी रीको उनमें जो भी इन्वेस्टमेंट करती है या लोन देती है या शेयर इन्वेस्ट करती है, उनके अकाउंट्स अनआडिटेड होते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मंत्री जी बता देंगे। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी सब्सिडियरी कम्पनी में इन्वेस्ट कर रही है या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है और अनआडिटेड अकाउंट्स के आधार पर इवैल्युएशन कर रही है।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि यह जो चर्चा हम कर रहे हैं, बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, यह चर्चा कन्फाइन होनी चाहिये इस प्रतिवेदन के डिस्कशन पर। क्या आब्जर्वेशंस आडिटर्स के रहे, उनकी वर्किंग क्या रही, उनमें क्या एफिशिएंसी हम डवलप कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को दो सुझाव और देना चाहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्रों का जो डवलपमेंट किया जाता है, आप एक डेटा निकलवा लीजियेगा, कितने चेयरमैन और एमडीज ने कितने इंडस्ट्रियल एरियाज के दौरे किये और क्या कभी कोई रिपोर्ट आपको या किसी भी मंत्री को सब्मिट की गयी कि हमने इतने इंडस्ट्रियल एरियाज डवलप किये। जब इन्फ्रास्ट्रक्चर हम डवलप करते हैं तो उसकी डीपीआर भी मुझे लगता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पोलिटिकल तरीके से भी इंडस्ट्रियल एरियाज डवलप या डिक्लेयर कर दिये जाते हैं और इसी की वजह से बरसों तक नहीं हो पाते। तो क्या डीपीआर के बेसिस पर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करने से पहले क्या-क्या बेसिक एमिनिटीज रीको प्रोवाइड करेगी, इसका कुछ भी नहीं है। आज भी मैं भरतपुर का उदाहरण लेना चाहूंगा। ब्रज औद्योगिक क्षेत्र नया औद्योगिक क्षेत्र है। भरतपुर बरसों पुराना एक इंडस्ट्रियल सिटी रहा है। बड़ी-बड़ी फैक्टरियां रही हैं। बाबू राजबहादुर जी केन्द्रीय मंत्री रहा करते थे, तब का डवलप्ड है। आज भी वहां कोई भी बेसिक एमिनिटीज के नाम पर नालियां नहीं हैं, पार्क्स नहीं हैं। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, भविष्य में जब भी इंडस्ट्रियल एरियाज डवलप करें तो बेसिक एमिनिटीज जैसे स्कूल्स, हास्पिटल्स, ये भी जरूरी हैं। जब तक आप नियरबाई ये फैसिलिटीज वहां के रहने वाले लोगों के लिए, लेबर के लिए, एम्प्लाइज के लिए नहीं देंगे, तब तक वहां लोग नहीं जा पाएंगे और वे इंडस्ट्रियल एरियाज डवलप्ड नहीं हो पाएंगे।

(डॉ. सुभाष गर्ग)

मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा, रीको जमीन आबंटित कर देती है और लेट-आन वे शहर डवलप हो जाते हैं और बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है डिविजन और प्लाट्स का। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। 20 हजार, 50 हजार गज जमीन करा ली, दो साल फैक्टरी चलायी, बन्द कर दी गयी और फिर उसे टुकड़ों में बांटकर रीसेल कर दिया जाता है और करोड़ों रुपये लोग कमाते हैं। माफिया उसमें घुस गये हैं। इसकी भी एक स्टडी करायी जाए। माननीय मंत्री महोदय, उसके ऊपर आप कोई ऐसा एक्ट लेकर आएं कि जिस इंडस्ट्रियल परपज के लिए वह जमीन दी गयी है, अगर वह पांच साल, दो साल बाद सिक कर दी जाती है तो वापस वह सरकार में निहित होनी चाहिये। तब ही जाकर लोगों को फायदा मिलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय जेठानन्द व्यास।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे रीको पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी उद्योगों के विकास में अग्रणी है, पूर्णतया प्रयासरत है, लेकिन रीको एक ऐसी संस्था है जो उद्योगों में उदासीनता पैदा कर रही है। पिछले पांच साल में तो ऐसा लगा कि व्यापारी, उद्योगपति रीको में जाना ही नहीं चाहते।

मैंने अभी बीकानेर में उद्योगपतियों की एक मीटिंग की, जिसमें बाहर के लोग भी थे और शहर के भी। रीको के भी उद्योगपति उस मीटिंग में थे। "मेरी जन्मभूमि और मेरी जिम्मेदारी" नाम से हमने बीकानेर में एक अभियान शुरू किया है। उसमें कई उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने भाग लिया है। उनकी उदासीनता सामने आई। उनका कहना है कि रीको अपनी जमीन बेचकर फ्री हो जाता है, वहां कोई सुविधा नहीं देता है और उनको भटकना पड़ता है। मेरा इस आसन के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि एक खिड़की पर उन उद्योगपतियों के सारे काम हो जाएं तो उद्योग अवश्य आगे बढ़ेंगे।

दूसरा, यह जो रीको है, बीकानेर में खारा रीको, बीछवाल रीको, करणी रीको, गजनेर रीको भी शुरू हो रहा है। करणी रीको और बीछवाल रीको जो हैं, वहां पर गन्दे पानी का एक बहुत बड़ा तालाब बन गया है, वहां ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, इस कारण वहां पर मच्छर हो रहे हैं। वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पानी की लाइनें पर्याप्त नहीं हैं। उद्योगपति कहते हैं कि वहां

(श्री जेठानन्द व्यास)

सफाई की, ट्रीटमेंट प्लांट की, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने लगातार अपनी समस्याएं बताई हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि रीको केवल जमीन बेचने का काम कर रही है, उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। मेरा निवेदन है कि जहां-जहां रीको अपने उद्योग शुरू करती है, जहां क्षेत्र लेकर उद्योग लगाने का काम करवाती है, वहां पर वह उद्योगपतियों को व्यवस्था दे। यह मेरा निवेदन है। इससे ही उद्योग आगे बढ़ेंगे। इस कारण बाहर के उद्योगपति वहां आना नहीं चाहते हैं। वे कहते हैं कि अन्य स्टेट्स में हमें सहायता मिल रही है, लेकिन राजस्थान में जब आते हैं और विशेषकर, क्योंकि मैं तो बीकानेर का रहने वाला हूं तो वहीं की बता रहा हूं। वे कह रहे हैं कि यहां आते हैं तो हमें यहां कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, इसलिए हम यहां क्यों आएं।

बीकानेर के विकास, राजस्थान के विकास, उद्योगों के विकास के लिए हमें विशेष चिन्तन करना चाहिए और चिन्तन करके रीको के माध्यम से अगर हम उद्योग बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ें, इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय यूनुस खान।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं रीको पर थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रतिवेदन पर यह चर्चा करवा रहे हैं, यह अच्छी शुरुआत है, इसके लिए मैं सरकार का अभिनन्दन करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह जो कारपोरेशन है, वैसे तो इसे 55 साल हो गये हैं, 45 साल तो रीको के रूप में और उससे पहले मिनरल्स और रीको दोनों मिलकर थे। अगर इसकी 55 साल की हिस्ट्री को हम देखें, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 55 साल में इसको जितना काम करना चाहिए था, इस कारपोरेशन ने काम नहीं किया। उसके राजनीतिक कारण रहे होंगे, आर्थिक कारण रहे होंगे, क्या रहे होंगे, मुझे पता नहीं है।

सबसे पहले तो अजमेर से जो माननीय सदस्या आती हैं, उनको मैं संशोधित करना चाहूंगा कि उन्होंने 4 हजार हैक्टेयर जमीन बताई थी कि इन्होंने अवाप्त की है। इन्होंने कारपोरेशन बनने से लेकर अब तक 92 हजार

(श्री यूनुस खान)

629.24 एकड़ भूमि अवाप्त की है। उसमें से जो विकसित की है, वह 51 हजार 299.51 एकड़ भूमि की है। इनका जो लास्ट प्रतिवेदन है, 2023-24 का, उसके आंकड़े हैं।

सभापति महोदय, अर्थात् कहने का मतलब यह है कि 41 हजार 329.73 एकड़ जमीन आज भी अविकसित पड़ी है। उन किसानों की जमीन, जो गरीब थे। सरकारें आईं और गईं, उन्होंने जमींनें अवाप्त कर लीं और जमीनों को वहां पर पटक दिया। या तो वे जमीनें खुर्द-बुर्द हो गयीं या जमीनों पर कब्जा हो गया। उन गरीब किसानों का क्या दोष था।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि लगभग 41 हजार, मतलब करीब 50 परसेंट जमीन तो अविकसित पड़ी है। प्रथम तो आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी जांच कराएं। जब से यह कारपोरेशन बना है, तब से लेकर यह भूमि गई तो कहां गई, किन-किन लोगों ने इसको खुर्द-बुर्द किया, तो मुझे लगता है कि उन गरीबों के साथ न्याय होगा, जो अन्याय हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इसका जो मूल उद्देश्य था वह था एम.एस.एम.ई. को भी साथ-साथ डवलप करना। हमारा सौभाग्य है कि इसके जो वर्तमान माननीय मंत्री हैं, वे केन्द्र में भी मंत्री रहे हैं, वहां का अनुभव भी है और युवा भी हैं। अब यहां भी मंत्री बन गये हैं। मुझे लगता है कि एम.एस.एम.ई. को किस तरीके से हम यहां डवलप कर सकते हैं इस रीको के माध्यम से, उस पर हमको फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जो जी.डी.पी. है, उस जी.डी.पी. में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हमें राजस्थान को विकसित करना है, राजस्थान की जी.डी.पी. को बढ़ाना है तो मैं सोचता हूं कि इस ओर हमें ध्यान देना होगा।

अब औद्योगिक व्यापार कैसे बढ़ें, उस पर भी आपको स्टडी करवाकर, क्योंकि इसका मूलभूत उद्देश्य जो था, वह जमीन खरीदकर बेचना नहीं था। सभापति महोदय, अब क्या है, चाहे जे.डी.ए. हो, चाहे रीको हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, इनका काम हो गया जमीन खरीदकर बेचना, लाभ कमाना और ये अपनी खाताबही में लाभ दिखाते हैं, तो ये कोई प्रोपर्टी डीलर थोड़े ही हैं। यह सरकार का कारपोरेशन है, जो जन हित के लिए, जन कल्याण के लिए बनाया गया है। उस उद्देश्य से भटके नहीं, यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा।

(श्री यूनुस खान)

मानननीय सभापति महोदय, इन्होंने यहां राजस्थान में अभी तक 413 क्षेत्र विकसित किये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा और सौभाग्य है कि यहां शायद चेयरमैन भी अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं, वे भी सुन रहे होंगे, वे भी नोट कर रहे होंगे। ये 413 हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, हमारे जितने भी उप खण्ड हैं, उनमें सबमें विकसित करने का काम सरकारें कर रही थीं, लेकिन वह काम आज तक अधूरा पड़ा है। अगर आप इनको देखें तो हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। अगर इनके लोन डिस्बर्समेंट को देखें, 93 करोड़ रुपये, 8 करोड़ की पापुलेशन में और 3 लाख 42 हजार किलोमीटर क्षेत्रफल। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसकी अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अगर आप बाड़मेर, जैसलमेर जायेंगे तो 100 देशों से बड़ा यह संसदीय क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, आप बूंदी जायेंगे तो सबसे छोटा जिला है, उससे भी छोटा प्रतापगढ़ जिला है, तो मेरा कहने का मतलब प्रतापगढ़ में कौन से रीको के नियम लागू होने चाहिए और बाड़मेर, जैसलमेर में कौन से होने चाहिए, इनको एक नीति बनाकर यह काम करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, स्थापना से लेकर आज तक इन्होंने 3 हजार 981 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया। अगर इन वर्षों का गैप भी देखेंगे, स्वीकृति के बाद में भी वितरण में एक हजार करोड़ का अन्तर इनके प्रतिवेदन में आया है। सभापति महोदय, एक हजार करोड़ रुपये सैंक्शन होने के बाद भी वितरित नहीं हो रहे हैं तो यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम है।

माननीय सभापति महोदय, एक ईआरसीपी की बड़ी, माननीय मंत्री जी चले गये, मैं बोलना चाहता था, ईआरसीपी की बड़ी चर्चा होती है। सर, उद्योग के लिए पानी, बिजली, सड़क, सभी आधारभूत सुविधाएं चाहिये। राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की कमी है। ये जो वर्तमान में 21 जिले हैं, उनमें से 13 जिले, जिसमें 80 विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें चम्बल का पानी आता है। मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहूंगा, माननीय उद्योग मंत्री जी, आपसे और माननीय मंत्री जी, दोनों से, क्योंकि उद्योगों के लिए पानी चाहिए। आज हमारी जो चम्बल है, चम्बल को धौलपुर सीडब्ल्यूसी गैज साइट है, अगर उसकी पिछले 30 साल की स्टडी आप करेंगे तो उसमें लगभग 19 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर पानी चम्बल में एक्स्ट्रा बहकर चला जाता है। आप

(श्री यूनुस खान)

ईआरसीपी में सिर्फ 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का यूज ले रहे हो और आपके हिस्से में आ रहा है 3921 मिलियन क्यूबिक मीटर, इसलिए डीएमआईसी, जिसकी बात करते हैं, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर, उसमें 286 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आप ले रहे हो। मेरा आग्रह है कि यह जो वेस्ट जा रहा है, धौलपुर में, उस पानी को रोकें और राजस्थान में इंडस्ट्री डवलप करने के लिए जयपुर तक उस पानी को दें, तब जाकर आपकी इंडस्ट्री डवलप होगी, नहीं तो राजस्थान में कोई इंडस्ट्री नहीं लगायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि राजस्थान में यह मिनरल्स के साथ क्यों था? मैं बात करूंगा, सिरेमिक और विट्रिफाइड टाइल्स का एक उदाहरण दूंगा, माननीय मंत्री महोदय। इसमें पोटाश, सोडा और चाइना क्ले क्वार्ट्ज काम आता है। ये पूरा का पूरा पोटाश होता है ब्यावर में और सोडा होता है अजीतगढ़ या अपने यहां भीलवाड़ा में, क्वार्ट्ज होता है भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में और चाइना क्ले होती है नागौर में। यह हमारा सारा रॉ मैटेरियल मोरवी जाता है और मोरवी के अन्दर एक हजार फैक्ट्रियों में विट्रिफाइड टाइल्स बनती हैं। राजस्थान के पास सारा सामान पडा है तो राजस्थान इसको क्यों नहीं डवलप करे? आपका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट डवलप करे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से उसके लिए मेरा एक सुझाव है आपको कि यह जो नैचुरल गैस है यह राजस्थान से होकर गुजर रही है और चित्तौड़गढ़ के अन्दर हमने एक छोटी-सी जगह आइडेंटीफाई की है, उसमें सोनियाना में गैस आधारित प्लांट लगाने का, एक कम्पनी का, इस रिपोर्ट में सरकार ने कहा है। मेरा यह कहना है कि वहां पर अगर आप यह गैस दे दें तो यह जो विट्रिफाइड टाइल्स गुजरात, मोरवी में बन रही हैं, यह राजस्थान में बनेंगी। राजस्थान का जो कच्चा माल देने वाला व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिलेगा। इसलिये चित्तौड़गढ़ में चूंकि यह गैस प्लांट गुजरात से आगे जा रहा है दूसरे प्रदेशों में और उसमें आपको वह हिस्सा मिल रहा है, उसमें आप रुचि लेकर के इस काम को करने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट और लूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बहुत गम्भीरता से लेते हैं चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही।

श्री सभापति: सोनियाना मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय के बाहर नहीं जाऊंगा। मैं तो सुझाव ही दे रहा हूं, बाकी मानना नहीं मानना सरकार के हाथ में है। मेरा यह मानना है कि यह बोर्स ज्वेलरी, बोर्स अपन सुन रहे हैं। आप में से बहुत सारे भैरोंसिंह जी के साथ में विधायक रहे हैं और भैरोंसिंह जी को अपन सब जानते हैं और यह जो हमारा सेन्ट्रल पार्क है वह ज्वेलरी का, एक बोर्स जिसको बोलते हैं, वो डवलप करना चाह रहे थे। वह आज तक, आपकी रिपोर्ट में जब कल, माननीय मंत्री महोदय, पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि अभी भी उसमें अपन ने थोड़ी-सी जमीन दी है तो यह ज्वेलरी का काम राजस्थान में बहुत है और इसमें आप रुचि लेकर के करेंगे तो चूंकि आप जयपुर से विधायक भी हैं और सांसद भी रहे हैं, आपकी कांस्टिट्यूएंसी भी है, आपके पास विभाग भी है, तो मुझे लगता है कि आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, दिल्ली में आप रहे हैं तो दिल्ली में जो एमएसईसीडीपी, जो केन्द्र के द्वारा है, उसमें जो सहायता दी जाती है माइक्रो स्माल एंटरप्राइजेज क्लस्टर डवलपमेंट की, उसका आप देखिये। मैं एक नमूना बताना चाहूंगा कि 36 परियोजनाएं यहां आयीं और उनमें आप देखिये कि सिर्फ 106 करोड़ रुपये। भारत सरकार के पास पैसा पड़ा है। पैसा लेने वाला नहीं है, तो इसलिये एमएसईसीडीपी को आप डवलप करिये। चूंकि केन्द्र में आपके अच्छे रिश्ते हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार है और उसका फायदा मिल सकता है। उधर अपने को बढ़ना चाहिये। यह मेरा आपको सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भिवाड़ी के बारे में कहना चाहता हूं। जब मैं मंत्री था तो सड़क का एक इश्यू आया, जिसमें सीईटीपी बनना था। वह 2003 में जब हम एमएलए बने उस समय बनना था और आज 2024 में हम बात कर रहे हैं, यानी इतने साल तक वह सीईटीपी भिवाड़ी का बन रहा है। उसमें क्या दिक्कत है? भिवाड़ी आपका बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि एनसीआर में आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते तो राजस्थान को इसका लाभ लेना चाहिये। चूंकि डीएमआईसी भी आ रहा है आपके पास, एक्सप्रेस-वेज बन गये और यह जो पूरा एरिया है जिसमें आपका ईआरसीपी आयेगा, यहां आप इंडस्ट्री ला सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सप्रेस-वे बन गये और दूसरा एक्सप्रेस-वे जो हमारा पंजाब से आता है और गुजरात जाता है, इन दोनों एक्सप्रेस-वेज पर आप इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करें।

(श्री यूनुस खान)

माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट में बात खतम करने से पहले इसलिये कहूंगा कि यह जो गैप आया यह क्यों आया, इसका एक कारण तो मुझे नजर में आया कि इसके जो भी चेयरमैन बनते हैं, वे मुख्य मंत्री के सचिव भी होते हैं, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, एसीएस टू सीएम, तो मेरा यह कहना है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। आप भी जानते हो कि एसीएस, सीएम के पास कितना टाइम है। अब वह चेयरमैन बन गया, लेकिन उसके पास काम नहीं है। पिछली सरकार में यही हुआ कि वही तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम और वह ही इसका चेयरमैन। उनको मीटिंग करने का ही समय नहीं है, क्योंकि हर विभाग को वे खुद देखते थे, इसलिये, क्योंकि उन्हीं के मंत्री ने कहा कि उन्हीं को दे दो मेरा विभाग। तो मेरा कहना है, मैं अबकी बार सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने सेपरेट चेयरमैन बनाया और मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को भी कहना चाहूंगा, उनको टाइम दीजिये और जहां तक मैंने लिस्ट देखी है, जो वर्तमान चेयरमैन हैं, काबिल अफसर हैं, उनको समय दीजिये और आपके साथ अच्छी टीम बन करके काम करेगी तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे आयेंगे।

दूसरा, मैं आपसे लास्ट निवेदन यह करूंगा, जैसे मैंने कल डीडवाना के बारे में, माननीय मंत्री महोदय, निवेदन किया तो यह जब माननीय वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय ये अलाटमेंट हुए थे तो 124 प्लाट हुए। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसमें से बाकी प्लाट क्या होता है कि जब रीको काटता है तो उसमें बाहर के प्रवासी लोग और प्रोपर्टी के काम करने वाले आकर के खरीद लेते हैं, क्योंकि उन जमीनों के भाव बढ़ जाते हैं और वे लोग न तो इंडस्ट्री लगाते हैं, वे तो यह देखते हैं कि इस प्रोपर्टी का भाव कब बढ़े तो कम से कम अब चेयरमैन और आप बैठ कर इस बात को सुनिश्चित करें कि रियल में जो इंडस्ट्री लगा रहा है उसी व्यक्ति को यह प्लाट मिले, तब राजस्थान में जाकर के यह इंडस्ट्री डवलप होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात को समापन करने से पहले बताऊंगा कि आज भी 56 भूखण्ड ऐसे हैं जो दिल्ली के लोगों ने ले रखे हैं। बार-बार रीको वाले उनको नोटिस भेजते हैं। वे नोटिस ही नहीं लेते। जब तक नोटिस तामील नहीं होगा, तब तक आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। फिर जब उनको भाव मिलेगा वे बेच जाएंगे। जो खरीदेगा, वह आकर के मंत्री जी के

(श्री यूनुस खान)

और चेयरमैन साहब के हाथ जोड़ेगा कि हमारे को यह दे दो। यहीं पर मेरी बात को मैं पूर्ण विराम देते हुए यह निवेदन करूंगा कि यह सिरामिक और विट्रिफाइड का जो मैंने सुझाव दिया, चूंकि उस जिले से मैं आता हूं, लोग जुड़े हुए हैं, हमारे लोग भी मोरवी में बहुत सारे काम कर रहे हैं।

मेरे पास सुझाव तो बहुत थे, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, आप बार-बार कह रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि यह जो रीको है, यह एमएसएमई को भी साथ ले और इसके अलावा भी चूंकि माननीय मंत्री जी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं और जो प्राइवेट सैक्टर में भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वे भी अपने ही हैं, उनको भी आप लैंड कन्वर्जन करने का, लैंड यूज करने का मौका दीजिये। रीको तो एक छोटी जगह को डवलप करेगा लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो अलग-अलग इंडस्ट्री लगाते हैं, यह खाली कहने का ही है, माननीय मंत्री महोदय, आप पर नहीं है, क्योंकि आप तो अभी नये मंत्री बने हैं। यह सिंगल खिड़की कुछ नहीं है, यह एक स्लोगन है और यह स्लोगन आपकी सरकार पर लागू नहीं होता। मुझे उम्मीद है आप टाइमली काम करोगे और चेयरमैन भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे हैं। मैं कोई उनकी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आफिसर्स दीर्घा में बैठे हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन यह टीम मिल करके काम करेगी तो राजस्थान को इसका फायदा होगा।

सभापति महोदय, बाकी जो इन्होंने प्रतिवेदन में चीजें लिखी हैं उन विषयों को मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि प्रदूषण बोर्ड के जो दो एक्ट हैं, एक तो एयर एक्ट है...

श्री सभापति: विराजो।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): और एक वाटर एक्ट है, इन दोनों का बहुत ज्यादा वायलेशन होता है। इंडस्ट्रीज वाले परेशान होते हैं। उनके ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक हो जाए और जो गन्दा पानी है उसको किस तरीके से शोधित करके बाहर भेजा जाए, जिससे लोगों पर पर्यावरण के भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ें, इस पर भी सरकार ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री आदू राम मेघवाल।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): आदरणीय सभापति महोदय, आपने

(श्री आदू राम मेघवाल)

मुझे रीको पर चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। दोनों विषय रीको और राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन प्रतिवेदन के अन्दर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी को कि ये दोनों विषय, अग्रणी राजस्थान का संकल्प धरातल पर शत -प्रतिशत सफल होगा। बाड़मेर जिला, विगत कई वर्षों से ग्रेनाइट, लिग्नाइट, बेंटोनाइट और तेल के उत्पादन क्षेत्र की वजह से औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की प्रबल सम्भावनाएं हैं। जिला मुख्यालय पर वर्तमान में रीको के दो चरण विकसित हैं और वर्तमान में यहां तीसरा चरण विकसित करने की पूर्ण आवश्यकता है। इस हेतु यहां अनुकूल परिस्थितियों के अन्दर तथा पर्याप्त निवेश विद्यमान है। मेरा विधान सभा क्षेत्र चौहटन जो सीमा का पहला विधान सभा क्षेत्र है और गुजरात से कच्छ का क्षेत्र लगता है। कच्छ के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र से तीस किलोमीटर के ऊपर नमक का उत्पादन होता है और मेरे बाकासर रण क्षेत्र में करीब 10 हजार बीघा जमीन लवणीय तथा बंजर पड़ी है। इस क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों से नमक उद्योग को स्थापित कर नमक उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। पिछली वसुन्धरा जी की सरकार में बाकासर रण क्षेत्र में कुछ काम हुआ था, दो ट्यूबवैल भी खुदे थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और इन पांच सालों की कांग्रेस सरकार में इस क्षेत्र पर और नमक उद्योग पर ध्यान ही नहीं दिया गया। यह सरकार पांच वर्ष तक होटल में कुर्सी की लड़ाई में रही और इससे उद्योग क्षेत्र में बहुत भारी नुक्सान हुआ है। यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में बाकासर रण क्षेत्र में नमक उद्योग को स्थापित करने की घोषणा की जाती है तो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। साथ ही विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अन्य नवीन उद्योगों को स्थापित किया जाता है तो यहां के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, लोकहित में राज्य को शिखर पर ले जाने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा उद्योगों में रोजगार प्रदान किये जाएं। हमारे बाकासर रण क्षेत्र में बंजर पड़ी जमीन में हमारा नमक उद्योग शुरू होता है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के अनेक युवाओं को

(श्री आदू राम मेघवाल)

रोजगार मिलेगा और उद्योग को भी प्रबल ताकत मिलेगी। बाड़मेर जिला यदि देखा जाए तो उद्योग क्षेत्र में केवल राजस्थान की आर्थिक राजधानी ही नहीं, पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है। इस क्षेत्र में विशेषकर जो हमारे उद्योग हैं, उन उद्योगों को यदि चार चांद लगते हैं तो निश्चित रूप से बाड़मेर जिला और आगे बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चौहटन क्षेत्र का हथकला का काम भी उद्योग में ही आता है। हथकला एवं नक्काशी के काम को डवलप किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में अनेक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: डॉक्टर प्रियंका चौधरी।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): धन्यवाद, सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने रीको के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए मुझे समय दिया। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी एवं आदरणीय उद्योग मंत्री जी को, जिन्होंने 6 महीने के कार्यकाल में ही, अभी पूर्व में हमारे माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की, जो कार्य किये हैं, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी एवं उद्योग मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं और धन्यवाद करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने के कार्यकाल में जो निर्णय लिये गये हैं, उस आधार पर मुझे भरोसा है कि मेरे बाड़मेर का क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं, उसमें आप निर्णय लेंगे और हमारे वहां के युवाओं को रोजगार देने के लिये जो आपकी भूमिका है, वह भूमिका अदा करेंगे।

सभापति महोदय, मैंने पहली बार इस सदन में किसी चर्चा में भाग लिया है, अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो मैं अपने सभी सीनियर्स से माफी चाहूंगी और आपका मार्गदर्शन भी चाहूंगी।

सभापति महोदय, मैंने अभी सभी माननीय सदस्यों को सुना। बहुत सारी चीजें जैसे आदरणीय अनिता दीदी ने कहीं, यूनुस जी ने कहा और अभी मेरे से पूर्व आदरणीय आदू राम जी ने हमारे बाड़मेर जिले की बात रखी। मैं आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि हमारे बाड़मेर में लिग्नाइट, बेंटोनाइट है, कोल है और साथ ही साथ तेल मिल रहा है। रीको क्षेत्र की हालत देखें तो 1980 से लेकर 2000 के बीच में तीन रीको के इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किये गये थे, उसमें 530 औद्योगिक भू-खण्ड आबंटित किये गये।

(डॉ. प्रियंका चौधरी)

आज के दिन वहां कोई भी खाली भू-खण्ड नहीं है। चूंकि अब रिफाइनरी बन रही है और आने वाले समय में बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे, उनके साथ उस रीको इंडस्ट्रियल एरिया में युवा अपने उद्यम स्थापित कर सकें, इसके लिये सबसे पहली तो मेरी आपसे यही मांग रहेगी कि उस रीको इंडस्ट्रियल क्षेत्र का बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विस्तार किया जाए, ताकि आने वाले समय में और ज्यादा व्यापारी वहां पर अपना उद्योग स्थापित कर सकें।

दूसरी बात है, यह अच्छी बात है कि बालोतरा जिला एक नया जिला बना है, लेकिन चूंकि पहले के समय जब रीको की शुरुआत हुई थी, वह बालोतरा में हुई थी लेकिन अब बालोतरा जिला अलग हो गया और बाड़मेर जिला अलग हो गया है और इकाई कार्यालय अभी बालोतरा में ही स्थापित है। अब जो भी नये उप खण्ड सरकार डवलप कर रही है या करेगी, चाहे वह चौहटन में हो, शिव में हो, रामसर, धोरीमन्ना, शेरगढ़, गुड़ामालानी, गडरारोड हो, यहां प्रस्तावित है कि आने वाले समय में वहां रीको का विस्तार होगा। वहां के जो भी उद्योगकर्मी हैं, उनको कोई भी छोटे-मोटे काम के लिए बालोतरा जाना पड़ेगा और 150-200 किलोमीटर दूरी पर बालोतरा है। मेरी आपसे मांग रहेगी कि इकाई कार्यालय को जिला बाड़मेर मुख्यालय पर स्थापित कराने की कृपा करें। अभी जैसा पहले कहा कि संभावनाएं अपार हैं, उद्योगकर्मी आसानी से वहां काम कर पाएं, चूंकि बहुत लंबा-चौड़ा क्षेत्र है, इसलिए दूरी कम करने के लिए इकाई कार्यालय को मुख्यालय पर स्थापित किया जाए।

मेरी एक और मांग रहेगी, 2000 के बाद रीको का विस्तार हुआ, लेकिन वहां की मूलभूत सुविधाओं को लेकर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले जो बाईपास रोड थी, अब वह शहर के अन्दर आ गई है। जो ट्रक्स पहले रीको इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए उस बाईपास रोड का इस्तेमाल करते थे, अब चूंकि वह घनी आबादी के बीच में आ गई है तो वहां ट्रक्स को आवागमन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इतनी ज्यादा परेशानी है कि कुछ फैक्ट्रीज तो बंद होने के कगार पर आ गयीं। एक गेट कृषि मण्डी के सामने है और दूसरा एक हैण्डलूम के बगल में है, जो सिर्फ 30 फीट की रोड है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि वहां जब तक सुगम आवागमन या पहुंच सुगम नहीं होगी तो वहां पर उद्योग इतने विकसित नहीं कर पायेंगे। मेरी आपसे यह भी एक प्रार्थना रहेगी कि आने वाले

(डा. प्रियंका चौधरी)

समय में उस रीको इंडस्ट्रियल एरिया तक जो पहुंच का रास्ता है, उसके लिए एक बार फिर से विचार किया जाए, ताकि लोगों को भी सुविधा हो और ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम नहीं हो और वहां जो उद्योग बंद होने के कगार पर हैं, एक बार फिर से वहां लोग अपना काम शुरू कर पाएं। आपने बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री राम सहाय वर्मा।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): सम्माननीय सभापति जी, आज इस विधान सभा में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं निवाई विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और निवाई में रीको की जो प्रमुख समस्याएं हैं। (व्यवधान) आप सिखायेंगे तभी तो सीखेंगे, आप तो उधर बैठकर हल्ला करवाते हैं, वह तो नहीं चलेगा न।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि टोंक जिले की पिछड़े जिलों में गिनती आती है और मेरा अपना उद्देश्य यह है कि टोंक जिला अग्रणी जिलों में आये और यह तभी आयेगा, जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया डवलप होगा। आज कन्हैया लाल जी मंत्री महोदय यहीं बैठे हैं। किसी टाइम पर जूट उद्योग में मालपुरा सबसे अग्रणी था। आज वहां ट्रेन बन्द हो गयी, इस वजह से वहां का वह उद्योग फेल हो गया। इसके अलावा जो अभी अनिता दीदी बता रही थीं कि जो रीको के अधिकारी हैं, वे एन ओ सी के चक्कर में आदमी को इतना घुमा देते हैं कि वे रीको का कोई प्लाट लेते हैं तो एन ओ सी के बिना पैसा लगा ही नहीं पाते हैं। जो भी एन ओ सी है वह उनको वहीं पर मिले और इसी वजह से उनको सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि वे पैसा देकर जमीन खरीद रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे हैं।

इसी सन्दर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीको में आज की तारीख में 6 परसेंट एससी-एसटी का आरक्षण है। यह 2011 के सेन्सस के आधार पर है। मैं बता रहा हूं कि आज की तारीख में वहां एससी-एसटी की संख्या बढ़ गयी है। रीको में कई लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं। उनकी संख्या 15 परसेंट कर दी जाए, यह मैं मंत्री जी को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। नीलामी के अन्दर एससी-एसटी की 50 परसेंट है, लेकिन नीलामी में एक रास्ता निकाल रखा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नीलामी की रेट इतनी हो जाती है कि जो रिजर्व प्राइस है उससे

(श्री राम सहाय वर्मा)

15-20 गुना रेट पर वह छूटता है और एससी-एसटी का उद्यमी वह जमीन नहीं ले पाता है। फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज में एससी-एसटी को मजदूरी करने के लिए आरक्षण है। इसी तरह से जो कामर्शियल प्लाट हैं, उनमें इस तरह का कोई आरक्षण नहीं है। जो संस्थागत होते हैं, एससी, एसटी की जो संस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक संस्था हो, उसके लिए आरक्षण नहीं है, धार्मिक स्तर पर। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में संस्थाओं में भी आरक्षण किया जाए। जैसे दस्तकार, चर्म उत्पाद, मूर्ति निर्माण, हथकरघा इत्यादि जितने भी हैं, क्लस्टर बनाकर रीको अपनी तरफ से कोई कार्यवाही करे, जिससे ये इंडस्ट्रियल एरिया डवलप हों। दतवास मेरे यहां एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें एसटी के करीब 10 परसेंट लोग रहते हैं और अगर दतवास में इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं, क्योंकि निवाई का जो औद्योगिक क्षेत्र है वह शहर के अन्दर है और शहर के अन्दर इतना कन्जस्टेड हो गया कि वहां कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि दतवास को इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं।

इसके अलावा मेरा सभी से, जितने भी जन प्रतिनिधि बैठे हैं, इन कम्पनियों का जो सीएसआर फंड है, वह उसी विधान सभा क्षेत्र में खर्च हो, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं। उसमें न तो कांग्रेस का है न बीजेपी का है। अगर सीएसआर फंड उसी विधान सभा क्षेत्र में लगेगा तो विधायक का भी सम्मान बढ़ेगा, सदस्य का भी सम्मान बढ़ेगा और वे काम पूरे हो पायेंगे।

मंत्री महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि हमारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इनमें हमारे स्थानीय व्यक्ति को रोजगार मिले। होता क्या है, कोई बिहार से लेबर आकर वहां काम कर रही है, कोई झारखण्ड से कर रही है, कोई पश्चिम बंगाल से कर रही है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कोई उद्योग लगा रहा है तो स्थानीय लेबर को उसमें लगाएं, ताकि उनका डवलपमेंट हो जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय अशोक कुमार कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, रीको प्रतिवेदन पर समय प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति जी, भीलवाड़ा में रीको टैक्सटाइल पार्क के लिए जमीन आबंटित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी का हृदय से आभार। आपके इस

(श्री अशोक कुमार कोठारी)

निर्णय से टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त भूमि को आप पीएम-मित्र पार्क के लिए रिजर्व रखें। राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास करके पीएम-मित्र पार्क का आबंटन भारत सरकार से करवाये। यदि भारत सरकार से पीएम-मित्र पार्क का आबंटन नहीं होता है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर भारत सरकार से पीएम-मित्र पार्क में मिलने वाली सभी सब्सिडी, सुविधाएं, छूट इत्यादि इस टैक्सटाइल पार्क को मिलें। ऐसी हमारी आपसे आशा है।

माननीय सभापति जी, रीको का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराना है, लेकिन रीको कामर्शियल उद्देश्य के लिए कार्य करता है, जो कि उचित नहीं है। रीको द्वारा जमीन आबंटन नीलामी द्वारा किया जाता है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए रीको द्वारा जमीन लागत मूल्य पर दी जाए, यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामबिलास।

श्री रामबिलास (लालसोट): सभापति जी, आज रीको की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां बीच से एक्सप्रेस-वे निकल रहा है। वहां से दिल्ली की दूरी ढाई घंटे की है, मुंबई की दूरी आठ घंटे की है और जयपुर की दूरी एक घंटे की है। पानी वाला क्षेत्र है। इंडस्ट्रीज के लिए वहां मध्य में एक ऐसी जगह है कि इंडस्ट्रीज को अच्छा विकसित किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने वहां के लिए दो-तीन घोषणाएं की थीं। एक तो फूड पार्क के नाम से घोषणा की थी, जिसके लिए 100 बीघा जमीन निझरणा में आबंटित हुई है, पर आबंटन होने के बाद कोई अता-पता नहीं है कि वह जमीन कहां गयी। किसी के प्लाट काटे या नहीं काटे, इसमें कोई प्रोग्रेस मुझे आज तक कहीं नजर नहीं आयी। लालसोट में रालावास की 320 बीघा भूमि का आबंटन किया, जो कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज से मात्र चार किलोमीटर की दूरी पर है। माननीय मंत्री महोदय, उस जगह पर यदि पानी की बात करेंगे तो पानी की अच्छी मात्रा है। हमारे यहां बेरोजगारी का सबसे बड़ा मामला है। आप वहां बड़ी इंडस्ट्रीज डवलप कर दें तो बेरोजगारी से काफी बढ़िया छुटकारा मिले। हमारे कई युवा साथी रोजगार के चक्कर में दिल्ली, मुंबई, जयपुर तक भटकते रहते हैं और उनको रोजगार

(श्री रामबिलास)

उपलब्ध नहीं हो पाता है। वहां पर अगर ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़ी फैक्टरी लग जाती है तो हमें रोजगार का बड़ा फायदा मिलता है। जैसे कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि रीको को एक प्रोपर्टी का व्यापार बना रखा है। कम दर में आबंटन करवा लेते हैं, शुरुआत में डीएलसी दर पर आबंटन हो जाता है, 2 साल में वह उसी प्लाट को दूसरे आदमी को बेच देता है। तीन साल बाद उसी प्लाट को थर्ड पार्टी को बेच देता है। आपसे मेरा आग्रह है कि इसमें एक पाबन्दी होनी चाहिए, एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि इतने समय के अन्दर इसमें उद्योग नहीं लगता है तो उसका आबंटन रद्द किया जाए, तब जाकर इसमें सुधार होगा, अन्यथा यह एक प्रोपर्टी का बाजार बनकर रह गया है।

मेरा आपसे पुन: आग्रह है कि लालसोट में राजस्थान की लकड़ी की सबसे बड़ी मण्डी है, वहां चिराई का काम होता है, जहां से देश ही नहीं, विदेशों में भी लकड़ी की बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है। वह मण्डी शहर के बीच में आ चुकी है। उसको अगर आप वुड पार्क के नाम से दूसरी जगह पर, हमारे पास जमीन अवेलेबल है, उसको वहां शिफ्ट कर दें और उसको वहां पर बढ़ावा दिया जाए तो मैं समझूंगा कि रोजगार का एक बहुत बड़ा फायदा होगा जहां हजारों की संख्या में लोग रोजगार कर रहे हैं, यह मेरा मंत्री जी से आग्रह है। हमारे लालसोट में तीन बड़ी जगहें हैं, लकड़ी मण्डी, फूड पार्क, निझरणा में जो जमीन आबंटित कर रखी है और रालावास जहां 320 बीघा जमीन आबंटित कर रखी है। मेरा आपसे आग्रह है कि उनको चिह्नित करे और उनके लिए इस बजट में प्रावधान रखकर बड़ा इंडस्ट्री एरिया घोषित करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

श्री केसाराम चौधरी।

विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) व राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-21 व 2021-22) पर विचार

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर आज सदन में चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने दिल्ली फ्रेट कोरिडोर, जो दिल्ली से लेकर बोम्बे तक औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्रेट कोरिडोर का निर्माण गति से किया है, उस गति से, उनकी सोच यह है कि औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए। ये क्षेत्र जोधपुर से लेकर भीलवाड़ा के बीच में और मारवाड़ जंक्शन को सेन्टर मानते हुए जोधपुर और भीलवाड़ा के बीच का क्षेत्र पूर्ण रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इंडस्ट्रियल फ्रेट कोरिडोर के अंदर में इंडस्ट्री के लिए विकसित करने का जो प्लान है, उसको विकसित करने के लिए हमें औद्योगिक क्षेत्र को विकसित रूप में शहरों से दूर, मतलब पूरा प्लान करके करना चाहिए। नहीं तो आज जिस तरह से पाली, पूरे शहर के अन्दर जो टैक्सटाइल उद्योग का काम चल रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है।

इसी तरह से मारवाड़ जंक्शन में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी यही हालत है। पानी की निकासी का कोई साधन नहीं। केवल उद्योगों के लिए प्लाट काटकर बेचकर के रीको इतिश्री कर देता है, मगर वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रखता, जिसके कारण से औद्योगिक क्षेत्र फेल हो रहे हैं। आज की तारीख में जो उद्योग लगे हुए हैं, उन औद्योगिक क्षेत्र में जो प्लाट काटे गये, उनमें आज कामर्शियल और आवासीय के रूप में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि वह क्षेत्र आबादी के बीच में आ जाने के कारण से लोग उनका कामर्शियल उपयोग करते हैं। आज जयपुर की पावन धरा पर भी औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो कोई हॉस्टल चला रहा है, कोई किसी तरह की होटल चला रहा है। इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में या तो यह छूट दे दी जाए कि जो आबादी के क्षेत्र के बीच में आ गये हैं, उन क्षेत्रों को वापस या तो कामर्शियल कर दिया जाए या आवासीय कर दिया जाए। बाहर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए। रानी के क्षेत्र में रानी औद्योगिक क्षेत्र बिलकुल आबादी के बीचोंबीच में हैं। 100 के करीब फैक्ट्रियां हैं। वह आबादी के बीच में आने के

(श्री केसाराम चौधरी)

कारण उनसे प्रदूषण भी फैलता है और आज की तारीख में काफी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। ऐसी जगह पर जैसे फ्रेट कोरिडोर जो मारवाड़ जंक्शन के लिए स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, न्यू मारवाड़ जंक्शन, उसको फीड करने के लिए भीलवाड़ा के बीच में आज देवगढ़ के अन्दर, बग्गड़ के अन्दर जो औद्योगिक क्षेत्र लग रहा है, उसका डवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह से भीलवाड़ा और जोधपुर के बीच में भी रीको इंडस्ट्रियल एरिया काटकर तरह-तरह की औद्योगिक इकाइयां लगायी जाएं। फ्रेट कोरिडोर के माध्यम से, जो मालगाड़ियां करीबन 60-65 डिब्बों की आती थी, आज की तारीख में डेढ़ किलोमीटर लम्बी और डबल डेकर गुड्स लेकर जा रही हैं। उनको फीडिंग के लिए भी औद्योगिक क्षेत्र इस फ्रेट कोरिडोर के नियर अबाउट बनाना चाहिए ताकि जो माल यहां पैदा होता है, आज तो ट्रक के ट्रक भी मालगाड़ियों पर चढ़ाकर, जो इंडस्ट्रियल एरिये में माल पैदा होता है वह सीधा ट्रक में लोड होकर वह ट्रक रेल के ऊपर चढ़ाकर गोदाम तक माल मात्र 18-20 घंटों के अन्दर पहुंचा देता है। वापस खाली ट्रक वहीं से लोड हो सकता है। इसलिए रेलवे के फ्रेट कोरिडोर के नजदीक इंडस्ट्रियल एरिये को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जनता के व देश के विकास में ये महती भागीदार हो सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से भारतीय लेखा परीक्षा, लेखा विभाग ने एक पत्र स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लिखा है कि उपरोक्त अवधि में वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा की रिपोर्ट का सात प्रतियों में साधारण सभा में रखी जावे तथा स्वीकृत की जावे, उसके बाद लेखा के लिए भिजवाने का श्रम करें। मतलब अभी तक वर्ष 2022 का प्रतिवेदन हम रख रहे हैं। वर्ष 2024-25 चल रहा है। एक वर्ष का प्रतिवेदन पेश किया है। क्यों नहीं हर साल का हर साल प्रतिवेदन पेश किया जाए, ताकि आगे की जो गतिविधि है, उसको हम समझ सकें। कई प्रतिवेदन तो चार-चार साल, पांच-पांच साल तक पेश भी नहीं किये जाते। वार्षिक प्रतिवेदन समयबद्ध पेश किये जाएं।

राजस्थान की विधान सभा में आज पहली बार जो प्रतिवेदन विचार-विमर्श के लिए रखा गया है, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इसके ऊपर सदन में चर्चा करायी है, निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। रीको इंडस्ट्रियल एरिया मजबूती से काम करे और जो कामर्शियल गतिविधियां और आवासीय जो बस गये हैं, हॉस्टल चल रहे हैं, उनके लिए भी कोई चिंतन करके, विचार करके हमें सोच पैदा करनी चाहिए। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय शत्रुघन गौतम (अनुपस्थित), माननीय अतुल भंसाली।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आज रीको के प्रतिवेदन पर जो सदन में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति जी, मैं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से आता हूं। यह राजस्थान की एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है और रीको के वहां पर और उसके नजदीक काफी इंडस्ट्रियल एरिये पिछले कई सालों में डवलप हुए हैं। जैसा कि आदरणीय यूनुस खान जी ने, गर्ग साहब ने और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात रखी कि रीको का काम था इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करने का, परंतु अपने मूल काम से रीको भटक गया और उसको एक लैंड डवलपर के रूप में पिछली सभी सरकारों ने विकसित किया। चूंकि उद्योगों के लिए सस्ती जमीन की आवश्यकता होती है, जिससे उद्योग की लागत कम हो सके और उद्योग अच्छी तरह मुनाफे में चल सके, परंतु उस सस्ती जमीन की जगह खुद एक बिजनेस डवलपर बन गया, प्रोपर्टी डवलपर बन गया और सस्ती जमीन खरीद कर महंगी जमीन बेचने का उनका एक बिजनेस बन गया। आज की तारीख में रीको पूर्णत: इसी काम में लगा हुआ है। जैसा कि पूर्व विधायक ने बताया था कि 15 गुना दाम तक भी जमीन बिक रही है। जिस उद्देश्य के लिए रीको बनाया गया था, रीको अपने उस उद्देश्य से भटक गया।

दूसरा, जब रीको ने कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया बसाया, जैसा कि गर्ग साहब ने बताया कि उसका एक डवपलमेंट प्लान, उसका भी एक मास्टर प्लान होना चाहिए था। उसमें सारी चीजों की व्यवस्थाएं चाहे वह स्कूल हो, अस्पताल हो, उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, उनकी हाउसिंग की व्यवस्था हो, परंतु एक भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहां ऐसा नहीं है जहां व्यवस्थित रूप से इस तरह का काम हुआ है। सबसे बड़ी तकलीफ पश्चिमी राजस्थान के सभी इंडस्ट्रियल एरिया जो रीको द्वारा बसाये गये, उनके अन्दर ये है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो कालोनी है और जो इंडस्ट्रियल कालोनी भी है और जो मजदूरों की कालोनी बनी हुई है, उनके सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। सीवरेज का पानी, प्रदूषित पानी जो उद्योगों से निकलता है, वह उसके अन्दर चला जाता है और ट्रीटमेंट प्लान के अन्दर जाता है तो वह सारा उसको औद्योगिक पानी समझकर, उसको डिस्चार्ज समझकर उद्योग जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर शंका की दृष्टि से देखते हैं कि उनका वाटर का डिस्चार्ज बढ़ गया, जबकि वह वाटर का डिस्चार्ज जो लोग रह रहे हैं, उनके घरों का और उस क्षेत्र में जो अन-औद्योगिक इकाइयां और घर-बार हैं, उनका होता है। इस ओर भी

(श्री अतुल भंसाली)

ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण विभाग की है और वहां आए दिन पाली में, जोधपुर में, बालोतरा में इंडस्ट्रियां चालू होती हैं, बंद होती हैं, प्रदूषण विभाग के वाटर डिस्चार्ज की हमेशा चैकिंग होती रहती है। परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

(समय: 17.00 बजे)

दूसरा, रीको ने अच्छे दाम लेकर, अपने प्लाट काटकर औद्योगिक एरिया तो बसा दिये लेकिन औद्योगिक एरिया बसाने के बाद उस एरिया की कभी सार सम्भाल नहीं करती है। जब भी हमारे जोधपुर में कलेक्टर के माध्यम से मीटिंग होती है तो नगर निगम, जेडीए, पीडब्ल्यूडी और रीको, इन चारों का झगड़ा होता रहता है और रीको के अलावा तीनों विभाग कहते रहते हैं कि, साहब, डवलपमेंट चार्जेज तो रीको वसूल करती है और जब वहां साफ सफाई की बात हो, रोड की बात हो, सीवरेज की बात हो, पानी की हो, बिजली की हो, वह पूरा पैसा नगर निगम या जेडीए के द्वारा दिया जाता है और रीको उसमें जब भी बात करते हैं तो वह 99 परसेंट, मैंने भी सात महीने में ऐसी मीटिंग्स अटेंड की हैं, वह अनुपस्थित रहते हैं, वहां आते ही नहीं हैं। किसी भी रूप में उनकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने में वह अक्षम हैं और उन्होंने नहीं की। इसकी ओर भी संज्ञान लिया जाए।

तीसरा, जब रीको ने इण्डस्ट्रियल जोन के हिसाब से प्लाट काटे तो जो प्रदूषित पानी है उसके लिए सीईपीटी की जो बात हो रही है उसकी भी व्यवस्था हो। रीको हजार रुपये गज में लिया हुआ प्लाट आज दस हजार या बीस हजार में बेच रही है, तो जो सीईपीटी प्लांट लग रहे हैं उनके अन्दर भी रीको को पार्टिसिपेट करना चाहिए मॉनिटरिंग टर्म में। जब उन्होंने रीको की औद्योगिक बस्ती बसाई तो उसमें वापस सीईपीटी, चूंकि सरकार का ही काम है, भले ही विभाग अलग-अलग हों, उसमें भी रीको का आर्थिक रूप से योगदान होना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सुझाव देता हूं।

चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री औद्योगीकरण पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। बचपन से सुनते आए हैं, उद्योग से उत्पादन और उत्पादन से रोजगार। आज रोजगार का बहुत ज्यादा महत्व है। आज राजस्थान का लक्ष्य है अगले पांच साल में 0.5 ट्रिलियन इकोनोमी का और दस साल में 01 ट्रिलियन इकोनोमी का लक्ष्य है। हम उसको कैसे प्राप्त करें, उसको प्राप्त करने के लिए उद्योग ही एक ऐसा

(श्री अतुल भंसाली)

माध्यम है जो किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी शहर की इकोनोमी में इतनी वृद्धि कर सकता है।

दूसरा, रीको के अन्दर क्लस्टर वाला हिसाब है जो हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अन्दर हो रहा है। नये औद्योगिक क्षेत्र बसाए जा रहे हैं, उनमें क्लस्टर बनाकर कुछ विशेष प्रोडक्ट जो उस एरिया के हों, उनके माध्यम से किया जाएगा तो वह उद्योग के लिए और अच्छा होगा।

मैं एक बात के लिए और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जोधपुर संभाग में एम्स सबसे बड़ा चिकित्सा का केन्द्र बन चुका है। लगभग साढ़े पांच हजार आउटडोर पेशेंट और 12 से 13 हजार पेशेंट और उनके परिजनों का आवागमन एम्स के अन्दर रोज होता है। एम्स तीनों ओर से उद्योगों और रीको के इण्डस्ट्रियल जोन से घिरा हुआ है। कई बार एम्स की मीटिंग में यह सामने आया है कि उद्योगों से होने वाले प्रदूषण और जिस तरीके से एम्स के अन्दर फुटफाल हुआ है, उसके अन्दर वहां के सामने के जो उद्योग हैं उनको वहां से हटाकर और कहीं स्थानान्तरित किए जाएं। हम लोगों ने वहां पर उद्यमियों व उद्योग संगठनों से मीटिंग भी की थी। सारे संगठन वहां से अपने उद्योग स्थानान्तरित करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उनका डर है कि हम यहां से उद्योग कहीं ओर स्थानान्तरित करेंगे, वहां जमीन तो खरीद लेंगे लेकिन जो यह जमीन है इसका लैण्ड यूज इस झगड़े में फंस जाएगा कि इस लैण्ड का कोई और यूज नहीं हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। स्वास्थ्य बहुत जरूरी विषय है, एम्स इस दिशा में काम कर रहा है, वह अपने आप में एक अनुकरणीय है, इसका संज्ञान लेते हुए, एम्स के नजदीक जो रीको के क्षेत्र आए हुए हैं, उनमें अगर उद्योग ट्रान्सफर करते हैं तो उनके लैण्ड यूज में बदलाव का कोई नियम बनाकर, कोई सिस्टम बनाकर, अगर उसको सिस्टम से किया जाएगा तो लोगों का फायदा होगा।

चूंकि उद्योग भविष्य की सम्भावनाओं पर चलते हैं। उद्योगपति एक साहसी आदमी होता है जो अपनी रिस्क पर पूरे घरबार को, पूरी जिंदगी को दांव पर लगाकर उद्योग लगाता है। वह बैंकों से लोन लेता है, परिवारजन से लोन लेता है और उद्योग का संचालन करता है। उद्योग में आगे आने वाले ऐसे संकटों का सामना करने के लिए उतनी दूरदृष्टि और उतने साधन नहीं

(श्री अतुल भंसाली)

होते हैं जिससे वह उस उद्योग को लम्बे तक चला पाए। रीको इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र का संचालन करती है, सीएसआर में उनको एक ऐसा सेंटर खोलना चाहिए जो आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में रिसर्च करे और उद्योगपतियों को उसकी जानकारी दे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): मैं समझता हूं कि मैंने जितना कहा आप सबको अगर ठीक लगे तो आप भी अपने माध्यम से इस बात को आगे करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय राजस्थान।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने यह तय किया कि रीको, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, उद्योग, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होते हैं, राजस्थान के अन्दर जिसके पास जिम्मेदारी है उसके 2021-22 के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हो।

करीबन हमारे 14 साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया। कुलदीप धनखड़ जी, डा. ऋतु बनावत जी, गोपाल शर्मा जी, अनिता भदेल जी, डा. सुभाष गर्ग जी, जेठानंद व्यास जी, यूनुस खान साहब, आदू राम मेघवाल जी, प्रियंका चौधरी जी, रामसहाय वर्मा जी, अशोक कोठारी जी, रामविलास जी, केसाराम चौधरी जी और अतुल भंसाली जी। सभी ने अच्छे सुझाव भी दिए, कुछ समस्याएं जो चलती आ रही हैं, वह सदन व पूरे राजस्थान के भी ध्यान में लेकर आए।

2021-22 का जब पिछली सरकार का कार्यकाल था, उसके उद्योगों के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा हो रही है, आप विडम्बना देखिए आज विपक्ष गायब है। यही तो मौका था, सभापति जी, यही तो मौका था राजस्थान के सामने, सदन के सामने या सत्ता पार्टी के सामने, अगर जितना शानदार काम किया था तो टिकते यहां पर और अपने काम को डिफेंड करते। यह मदन दिलावर जी तो, मदन तो था बहाना, सदन से था भागना। मैं उस चर्चा में ही नहीं जाता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक बार फिर से बोलना, मदन तो था...

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मदन तो था बहाना, सदन से था भागना। मैं उस चर्चा पर ही नहीं जाता कि किस कारण से वह गए, क्योंकि वह पूरी एक अलग चर्चा है।

उद्योग और इन्वेस्टमेंट जिस क्षेत्र में आते हैं, जिस प्रदेश में आते हैं, जिस देश में आते हैं वहां अर्थव्यवस्था सुधरती है, एम्प्लायमेंट जनरेशन होता है, एनसिलरी यूनिट आ जाती है, बहुत सारे व्यवसाय उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा, देश में पिछले दस साल में कितना परिवर्तन आया, केवल इसी कारण से कि देश के अन्दर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्योगों के लिए रास्ते खोले गए, इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोले गए। आज दुनिया अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो भारत में करना चाहती है। इतना महत्व है इण्डस्ट्रीज का, इन्वेस्टमेंट का।

राजस्थान के अन्दर इस इण्डस्ट्री और इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वह रीको के पास है। राजस्थान के जितने भी व्यवसायी हैं, मैं आज के दिन सदन की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। प्रधान मंत्री मोदी जी जब यह कहते हैं कि देश आज दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो कहीं न कहीं राजस्थान के व्यवसायियों का भी हाथ है इसके अन्दर, मैं उनको बधाई देता हूं। हमें निश्चित रूप से उन्हें और अवसर देने हैं, और बढ़ाना है। हमें राजस्थान को ट्यूरिज्म के साथ-साथ, योद्धाओं के राज्य साथ-साथ, इंडस्ट्रियल राज्य भी बनाना है और यही हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी का लक्ष्य है।

मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं और यह बहुत जरूरी बात है कि प्रधान मंत्री जी जब कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, उसके अन्दर, पिछली सरकार विपक्ष की थी फिर भी रीको को पूरा समर्थन केन्द्र सरकार ने दिया। यह एक उदाहरण है, एक शानदार उदाहरण है कि विपक्ष की सरकारें होने के बावजूद भी इंडस्ट्रियल डवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आये, उसमें कोई रुकावट नहीं करी, सबका साथ हो, सबका विकास हो इसीलिए रीको कुछ काम कर पाया, लेकिन आप अंतर देखिये।

जो पिछली सरकार के मुख्य मंत्री थे, मुख्य मंत्री तो पूरे प्रदेश के होते हैं पर उन्होंने पता नहीं, कहां अपने आपको शायद एक विधान सभा क्षेत्र का मुख्य मंत्री मान लिया। मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे जो सदस्य थे उनमें से एक ने यह कहा भी था। प्रधान मंत्री मोदीजी की यह योजना थी कि भीलवाड़ा

(कर्नल राज्यवर्धन राठौड़)

के अन्दर जहां पर कपड़ा तैयार होता है वहां पर एक टैक्सटाइल पार्क आये, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह कहा कि नहीं, भीलवाड़ा में नहीं, जोधपुर में लायेंगे। चलो कोई नहीं, जोधपुर में ही ले आते हैं लेकिन जोधपुर में जब कपड़ा बनता ही नहीं है तो टेक्निकली वह फेल हो गया, तो राजस्थान के अन्दर न तो भीलवाड़ा में आया और न ही जोधपुर में आया, तो आप बताइये मुझे कि नुकसान किसका हुआ?

अब पिछली सरकार के अन्दर अर्थव्यवस्था जो इतनी बिगड़ी हुई थी तो वे तो उसी को देखते थे कि कहां से पैसा लाया जाये क्योंकि उनको उस पैसे का इस्तेमाल करना था। अब प्रधान मंत्री मोदीजी जिस रीको को मदद कर रहे थे तो वह प्रोडक्शन भी कर रहा था, वहां पर मुनाफा भी हो रहा था तो रीको के पास पैसा भी था। हजारों-करोड़ रुपये रीको से लेकर चुनावी फायदे की जो योजनाएं बनाई गईं, वहां पर इस्तेमाल कर दिया गया। यह रीको के अन्दर जितने भी क्षेत्र हैं, अलग-अलग विधायकों ने जो अपने क्षेत्र की पीड़ा बतायी है कि वहां पर उसका डवलपमेंट नहीं हुआ, तो वह इसी कारण से तो नहीं हुआ कि पैसे तो दूसरी योजनाओं में जा रहे थे, चुनाव की योजनाओं में जा रहे थे और वह पैसा अभी तक लौटा भी नहीं है रीको के पास। हजारों-करोड़ रुपये चुनाव के प्रचार-प्रसार के अन्दर भी लगाये गये, यह वेस्टेज हुआ।

मैं आपको एक और शानदार उदाहरण देता हूं, इससे बड़ा उदाहरण इस सदन के लिए नहीं हो सकता। बजट की घोषणा तो बहुत महत्वपूर्ण होती है और जो सरकार बजट की घोषणा करती है तो फिर पूरे दमखम से उस बजट की घोषणा को पूरा करती है। पिछले पांच साल के अन्दर राजस्थान की पिछली सरकार ने, पिछले मुख्य मंत्रीजी ने औद्योगिक क्षेत्र की संख्या बजट के अन्दर घोषणा करी वन हंड्रेड सेवंटी सिक्स, एक सौ छिहत्तर औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन बनाये कितने? इन्होंने 176 बनाने का वादा किया और बनाये 31, मात्र 31 ही बनाये और उन 31 के अन्दर भी जो कुल आबंटित भूखण्ड थे, वे थे तकरीबन 1660, इतने आबंटित थे।

(समय 17.12 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

अब आप सुनिये मजेदार बात। 1660 के करीब आबंटित थे, उसमें से प्रोडक्शन में कितने आये? पिछले पांच साल में प्रोडक्शन में 1660 में से मात्र

(कर्नल राज्यवर्धन राठौड़)

43, मात्र 43, यानी ढाई परसेंट का रिकार्ड है प्रोडक्शन में। काम में तो ढाई परसेंट और पता नहीं लेने-देने में कितने परसेंट होगा? आप समझ सकते हो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप बता ही दो कितना हुआ?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): यह बात मुझे नहीं पता। यह बात मुझे नहीं पता, यह विपक्ष ही बता सकता था लेकिन विपक्ष यहां से निकल गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर हम उदाहरण भी लेते हैं प्रधान मंत्री मोदीजी का। अगर हमें वाकई में अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो उसके अन्दर नीति, नीयत और दृष्टि होना बहुत जरूरी है और हमारी इस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अभी से यह तय कर लिया है कि राजस्थान के अन्दर हम सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेकर आएंगे। वैसे भी सूर्य देव की कृपा है राजस्थान के ऊपर। सोलर पावर है हमारे पास में, पवन पुत्र हनुमान, हवा की कोई कमी नहीं है यहां पर, तो इन सबका फायदा हमारे को उठाना है।

हमारे माननीय सदस्यों ने बिलकुल सही कहा है कि अगर किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो रेट कम होनी चाहिए। हम काम्पिटिशन में भी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को मान लीजिए कि राजस्थान दूसरे प्रदेशों के साथ मुकाबले में भी है। कोई बिजनेस लगाना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं है, यहां वह बगल में भी लगा सकता है कहीं पर, तो इसलिए इस मुकाबले के अन्दर हमारे को सस्ती जमीन देनी बहुत जरूरी है तो लैंड कोस्ट कम हो, इसके ऊपर हमारी चर्चा, चिंतन चल रहा है। हमारी नई पालिसी हम तैयार कर रहे हैं। कोस्ट आफ बिजनेस कम होगा अगर लैंड कोस्ट कम होगी तो और आप यह देखिये कि राजस्थान के अन्दर और यह अखबारों में भी आ चुका है कि सबसे कीमती जो कामर्शियल बिजली है पूरे देश के अन्दर, वह राजस्थान में थी, तो हमें उसको भी बदलना है।

बिजली की जो हालत विपक्ष करके गया है वह तो सब जानते हैं। हमारे को बिजली भी सस्ती करनी है तो सोलर के ऊपर बड़े काम हो रहे हैं, मैं उसके ऊपर आगे आऊंगा। हमें जेनुइन बिजनेसमैन को आगे बढ़ाना है। इसकी

(कर्नल राज्यवर्धन राठौड़)

भी चर्चा आयी थी कि रियल एस्टेट वाले नहीं आ जायें कि वे लेकर बैठ जायें और उसके बाद कीमत बढ़ती रहे। यह नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे जो जेनुइन बिजनेसमैन हैं, उनको बढ़ावा देना है, तो उसके ऊपर भी पूरा सोच विचार चल रहा है कि किसी तरह से और कितने समय के अन्दर प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए और प्रोडक्शन शुरू नहीं हो तो पेनल्टी लगनी चाहिए। अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उसको वापस ले लो क्योंकि यह जमीन राजस्थानियों की है, इसको कोई हथिया नहीं सकता और अगर हम जमीन दे रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं ताकि एम्प्लायमेंट जनरेशन हो, ट्रेडिंग हो ताकि वहां पर व्यवसाय और बढ़े।

हमारे एम.एस.एम.ई. के अन्दर बहुत अच्छा सुझाव दिया था यूनुस खान साहब ने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एम.एस.एम.ई. के लिए 250 अलग से हमने उपखंड रखे हुए हैं जहां पर 250 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर के प्लाट अलग से एम.एस.एम.ई. के लिए रखे हुए हैं। हमने एम.एस.एम.ई. के लिए, पहले ई-ऑक्शन होता था, हमारे एक माननीय सदस्य ने सही कहा कि ई-ऑक्शन होता था तो कीमतें बहुत ऊपर चली जाती थीं, तो कीमतें ऊपर जाएंगी और दूसरे राज्य के अन्दर उसको सस्ते में अगर जमीन मिल रही है तो वे यहां पर क्यों बिजनेस करेंगे? हमने एम.एस.एम.ई. के अन्दर लॉटरी सिस्टम शुरू कर दिया है, आपकी जानकारी के लिए।

अभी यूनुस खान साहब ने यह बोला था कि करीबन 51,000 एकड़ जमीन हमारे पास इसके लिए है, उद्योगों के लिए ली हुई है लेकिन डवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब ज्योग्राफिकल एरिया को ध्यान में रखते हुए जिस क्षेत्र के अन्दर जो प्रोडक्ट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर इंडस्ट्री लगनी जरूरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब जैसे ब्लू पॉटरी जहां पर होती है वहां पर ब्लू पॉटरी का उद्योग लगे। जहां पर कॉटेज इंडस्ट्री होती है वहां पर कॉटेज के लगे। जैसलमेर के अन्दर अगर काष्ठकारी होती तो वहां पर वह उद्योग लगे। अगर कहीं पर मिठाई का उत्पादन होता है, कहीं पर नमकीन बनती है तो वहां पर वह लगे। कहीं पर पत्थर का काम होता है तो वहां पर वह लगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए डवलपमेंट होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ।

हमारे लिए एक आशीर्वाद है कि पूरे राजस्थान के अन्दर जो दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका एक तिहाई हिस्सा राजस्थान में है।

(कर्नल राज्यवर्धन राठौड़)

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर का एक तिहाई हिस्सा राजस्थान में है तो उसको एक्सप्लाइट करने का हमारा लक्ष्य है। प्रधान मंत्री मोदीजी ने यह भी कहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट यानी, जो कोर-स्ट्रेंथ है, उस कोर-स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट भी हमें ऐसा लेकर आना है जिसके अन्दर स्किल डवलपमेंट हो, एम्प्लायमेंट जनरेशन हो, जॉब्स हो। जो राजस्थान पिछड़ गया है उसको अगर हमें एक छलांग लगाकर आगे पहुंचना है, महाराष्ट्र या गुजरात जैसे राज्यों के साथ में आना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी के अन्दर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा है, राजस्थान के अन्दर जमीन है, सूर्य ऊर्जा है तो डेटा-सेंटर हमारे यहां पर आराम से लग सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हमारा फोकस हो रहा है। तो इनको ध्यान में रखते हुए भी काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहला होता है ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास ऐसे युवा हों जो स्किल्ड हों। उसके बाद जरूरत होती है पावर की, तो पावर की हम बात कर चुके हैं कि कितनी ऊंची कीमतें थीं। अब मैं यहां पर आज इसका अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि जो पावर के मंत्री हैं और अभी बजट की घोषणा होगी, उसमें नई घोषणाओं की हम सबको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से राजस्थान सरकार, किस तरह से हमारे मुख्य मंत्री साहब, डबल इंजन सरकार की ताकत से यहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। बिजली की तरफ से हम पूरी तरह से सेल्फ-रिलायंट राजस्थान बन जायेगा, आत्मनिर्भर बन जायेगा बिजली में, तो उसकी तैयारी चल रही है।

पानी की जरूरत होती है। पावर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया और पानी की जरूरत होती है। आप मुझे यह बताइये, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि विपक्ष इंडस्ट्री की बात करता है पर जो 13 जिले हैं, जिनके अन्दर ई.आर.सी.पी. आनी थी, जिसके लिए प्रधान मंत्री मोदीजी इनको पैसा देने के लिए तैयार थे पिछले पांच साल लेकिन इन्होंने राजनीति के कारण नहीं करा, तो अब आप नुकसान देखिये कि उसका कितना हुआ कि 13 जिलों के अन्दर पानी की रिक्वायरमेंट, पीने का पानी अलग, इंडस्ट्री के पानी की रिक्वायरमेंट होती है 22 करोड़ लीटर प्रतिदिन। 22 करोड़ लीटर प्रतिदिन। यह पूर्ति राजस्थान की अब भजन लालजी की सरकार और मोदीजी की सरकार इसको पूरा करेगी।

(कर्नल राज्यवर्धन राठौड़)

पिछले छह महीने हुए हैं जिसके अन्दर एक चुनाव भी हो गया, आचार संहिता भी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर जहां पानी की कमी थी, वहां हमारे रीको ने 275 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिये हैं ताकि पानी जोधपुर से लेकर हम वहां इंडस्ट्रियल एरिया तक ले जायें। इसी तरह के.बी.एन.आई.आर. वहां पर ई-क्लियरेंस एनवायर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिली हुई थी, इन छह महीनों के अन्दर हमारी सरकार ने चुनाव तो लड़ा ही लड़ा, इसके साथ-साथ हमने एनवायर्नमेंट क्लियरेंस भी के.बी.एन.आई.आर. के लेकर आ गये।

एस.टी.पी. और कामन एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट पार्क, गंदा पानी जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भिवाड़ी इलाके में एक दिन के अन्दर जो हमने सी.ई.टी.पी. लगाया है, वहां एक दिन के अन्दर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पांच-सात मिनट में खतम कर रहा हूं। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट में समाप्त कर दीजिये। अभी एक और हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप तो राजस्थान के विकास के लिये दो घंटे नहीं, दस घंटे बोलो, हम सब तैयार हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मैं पांच मिनट और लूंगा, अध्यक्ष महोदय। इसको जल्दी ही खतम करता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मंत्री और हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): भिवाड़ी के अन्दर एक दिन में जो हमने पानी का ट्रीटमेंट कराया है, वह है 22 लाख लीटर प्रतिदिन गंदा पानी आता है, हम उस गंदे पानी को साफ करके 80 इंडस्ट्रीज को साफ पानी दे रहे हैं।

रीको की फैसेलिटी के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा। 450 करोड़ रुपये विपक्ष खर्च कर रहा था इन्फ्रास्ट्रक्चर की मेंटीनेंस के ऊपर। जिन सड़कों की आप बात करते हैं, जिन लाइटों की बात आप करते हैं, उसके ऊपर यह प्रतिवर्ष 450 करोड़ खर्च कर रहे थे। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम इससे दुगुने से ज्यादा खर्चा करेंगे और जो भी अपने इंडस्ट्रियल पार्क हैं, उनको और बेहतर बनायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर दी हैं। अब किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के पास जाने की

(कर्नल राज्यवर्धन राठौड़)

जरूरत ही नहीं है। अपने मोबाइल के ऊपर वह सीधे हर काम, जो रीको के अन्दर होता है, हर तरह की फीस, हर तरह की क्लियरेंस अपने मोबाइल पर घर बैठे ले सकते हैं। यह हमने लालफीताशाही बंद की है और ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गये हैं।

प्रधानमंत्री गति शक्ति के अन्दर इंडिया इंडस्ट्रियल लैण्ड बेस प्रोजेक्ट्स के अन्दर आज नया पूंजी निवेश करने वाला व्यक्ति अपने घर बैठकर देख सकता है कि मुझे कौनसा प्लाट चाहिये। वह सारे प्लाटों को देख सकता है कि कौनसा प्लाट अवेलेबल है, कौनसा प्लाट अवेलेबल नहीं है। उसके अन्दर वह यह भी देख सकता है कि रेलवे लाइन कहां है, एयरपोर्ट कहां पर है, पानी कहां पर आया है। यह सारी व्यवस्था प्रधान मंत्रीजी के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ हमने इसको कर दिया है। हम वाकई राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं। संकल्प भी है, नीति भी है, नीयत भी है, जिसके कारण राजस्थान आगे बढ़ेगा।

लॉजिस्टिक हब को हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि बड़ी ट्रेडिंग होती है। इंडस्ट्रियल कोरिडोर यहां से निकल रहा है, उसको हम प्रमोट करेंगे। वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर को पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं, जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क हैं, ऐसे अनेकों हम स्पेसिफिक मेडिकल पार्क बनायेंगे। मैं आज उसका अनाउंसमेंट नहीं कर रहा क्योंकि सरकार के शुरुआती दौर में ही यह चर्चा रख दी गयी है, बहुत जल्द आप इन सबके नाम सुनेंगे और हम वाकई में पूरे राजस्थान के अन्दर एक नया ऊर्जावान, एक समय ऐसा लेकर आयेंगे, जहां डबल इंजन की सरकार वापस से सब लोगों में अब भरोसा लौट आया है, विश्वास लौट आया है कि अच्छा काम आयेगा। अच्छे दिन आ गये हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ आत्मनिर्भर राजस्थान भी बनेगा। पांच ट्रिलियन की इकोनोमी में राजस्थान भी उसके अन्दर पूरा योगदान देगा। हम रोजगार को बढ़ायेंगे, रीको को प्रभावी शस्त्र बनायेंगे। हम राजस्थान की पहचान बदलेंगे और उसके अन्दर हम राजस्थान को इंडस्ट्रियल स्टेट बनायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरा मंत्रीजी से निवेदन है, क्योंकि यह उद्योग मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब के बाद प्रश्न नहीं होते।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): जवाब नहीं मांग रहा हूं। मेरा सुझाव यह है कि दिल्ली-मुम्बई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर बारह नदियां बहती हैं, पानी बहुत है और उसके पास जमीन भी बहुत है क्योंकि पूरी एक्वायर नहीं हुई है, उस पर भी आप खुद एक सर्वे करवाकर वहां जितनी इंडस्ट्रीज लाओगे तो दिल्ली की सारी इंडस्ट्रीज आ जायेंगी, बड़ी इंडस्ट्रीज भी लग जायेंगी। इतना ही कहना था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब दूसरा, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार। श्री गुरवीर सिंह।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आज आपने राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड पर बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार के इस नवाचार का धन्यवाद करता हूं कि आपने इन प्रतिवेदनों पर चर्चा इस सदन में करायी और सबको खुले मन से अपने विचार रखने का आपकी तरफ से हमें व्यवस्था दी गयी।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट में अपनी बात रखें।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): मैं आपके सामने इस प्रतिवेदन में जो आंकड़े पेश किये गये हैं कि अब तक पूरे राजस्थान के 50 जिलों में सिर्फ 24 जिलों में हमारी डेयरी सोसायटी स्थापित हैं, जिनमें से 19 जिलों में ही अवशीतन केन्द्र अब तक स्थापित किये गये हैं और राजनीतिक अखाड़ा यह को-आपरेटिव सोसायटी नहीं बने। 2023-24 का जो आंकड़ा है, कुल 18,598 सोसायटीज रजिस्टर्ड हैं, जो काम कर रही हैं, पर वास्तव में जो वर्किंग में हैं वह 10,971 हैं, जोकि 60 प्रतिशत से भी कम हैं। यह हमारे लिये एक चिंता का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक डेयरी की बात करें तो आज जो दूध है वह मिलावटी दूध हमारे राजस्थान ही नहीं, पूरे देशभर के लिये एक चिंता का विषय है। आज जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, मैं सोचता हूं कि को-आपरेटिव सोसायटी और पशुपालन विभाग को न सिर्फ इन को-आपरेटिव सोसाइटीज पर निर्भर होकर हम हर जिले में फोकस करके जहां भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स हैं, तहसील हैडक्वार्टर्स हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा टैस्टिंग उपकरण रखें ताकि दूध की सही जांच हो सके और यह पशुधन, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति इसका सही मायने में उनका उपयोग जानते हैं, महिलाओं को, कृषकों को एक अच्छा रोजगार का अवसर

(श्री गुरवीर सिंह)

पैदा कर सकते हैं और जिस तरीके से आज सरकार ने प्रतिवेदन में लिखा है कि चारे के लिये जो बीज तैयार किये गये, इसके लिये भी मंत्री महोदय से मैं मांग करता हूं कि जितने भी चारे के बीज उपलब्ध हुए उनका सत्यापन जरूर होना चाहिये कि कितने कृषकों तक यह बीज पहुंचा, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या उत्पादन रहा? उसकी प्रति हैक्टेयर क्या यील्ड आयी, इससे हमें और बेहतर नतीजे मिलेंगे।

इस प्रतिवेदन में सीमन बैंक के लिये काफी कुछ लिखा गया है। मेरा यह निवेदन है कि हमारे राजस्थान ही नहीं, पूरे देशभर की गौमाता, जो हमारी खुद की देशी ब्रीड हैं, चाहे वह राठी है, थारपारकर है, गिर है, साहीवाल है, इनका दूध किसी औषधि से कम नहीं है। इनकी उपयोगिता को हमें समझना चाहिये। हो सकता है इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो। आज अमेरिकन गायों की बात करें, वह हो सकता है कि एक टाइम का 20-20 लीटर दूध दे रही हों, पर थारपारकर गाय की बाजार में आप पता करेंगे तो 4 लाख रुपये में भी गाय उपलब्ध नहीं है। गिर और साहीवाल की बात करें तो दुनिया ढूंढ़ रही है और लोगों को घरों में रखने के लिये साहीवाल गाय नहीं है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सब पर हमें काम करने की जरूरत है। ज्यादा फैट का दूध अगर प्राप्त करना है तो जो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस है, वह भी गांवों में समाप्त हो रही है, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के सामने बीमा पालिसी की बात करूं। अभी जो लम्पी डिजीज को भुगता है और कांग्रेस सरकार की यह सबसे बड़ी लापरवाही रही कि लाखों पशु मारे गये और सरकार सोती रही। कहीं सरकार की दवा नहीं पहुंची, कहीं सरकार का डाक्टर नहीं पहुंचा और जो आज इन्होंने आंकड़ा रखा है, 1,53,302 कुल बीमा हुआ है जोकि बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि यह रेशो आप सदन के सामने रखें कि आपके आंकड़े के अनुसार हमारे राजस्थान में कुल कितने पशु हैं और कितने पशुओं को हमने बीमा प्रोवाइड किया है। प्रधान मंत्री मोदीजी मात्र 12 रुपये में 2 लाख का बीमा व्यक्तियों का कर सकते हैं तो पशुओं के बीमे में कितना खर्चा आयेगा? इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है।

(श्री गुरवीर सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है नेशनल प्रोग्राम फोर डेयरी डवलपमेंट, जिसमें गुणवत्ता के लिये काम करने के लिये हमने उपकरण उपलब्ध कराये हैं, मिश्रण की जांच करने के लिये उपकरण उपलब्ध कराये हैं, मात्र छह जिले राजस्थान के इसमें लाभान्वित हुए हैं, बाकी सारा राजस्थान भी आपकी ओर आशाभरी निगाह से देख रहा है। मुझे उम्मीद है डबल इंजन की सरकार इस पर काम करेगी। हर जिला हैडक्वार्टर पर आप इसे प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। दूसरी ओर मोदीजी की केन्द्र सरकार ने आर.सी.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत भी 235 करोड़ रुपया राजस्थान को पिछली सरकार के समय दिया था। दो जिलों में इसका फायदा मिला। मेरा आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में यह उपकरण पहुंचे ताकि हमें इसका फायदा हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेज नम्बर 13 के पाइंट नंबर 6 में जो दिसम्बर माह में टैस्ट हुए हैं, वह टोटल टैस्ट 2394 हुए हैं और महकमे ने खुद ही क्लीन चिट दे दी। इसमें लिखा है कि एक भी जांच में मिलावटी दूध नहीं पाया, जो चिंता का विषय है। मुझे नहीं लगता कि यह आंकड़े सही हैं। इस पर और ज्यादा गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

इसके अलावा, हमारे मुख्य मंत्रीजी और डबल इंजन की सरकार से आशा करता हूं कि प्रधान मंत्रीजी का जो लखपति दीदी का टार्गेट है, जो हमारे महिला सैल्फ हैल्प ग्रुप हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा और काम दिया जाये। अभी तक 185 डेयरीज और 501 शॉप एजेंसीज जो डेयरी के मार्फत महिलाओं को आबंटित हुई हैं, इसका भी रेशो बढ़ाकर के महिलाओं को और अधिक सम्बल प्रदान करने की जरूरत है।

जहां पिछली सरकार ने 5 रुपये लीटर का बोनस दिया, मैं हमारी सरकार से मांग करता हूं कि दूध को प्रमोशन देने के लिए, आज अगर सही दूध बाजार में मिले तो 100 रुपये में भी उपलब्ध नहीं हो सकता है, यह जो दूध की जगह-जगह फैक्ट्रियां लगी हैं, इनके ऊपर सख्ती से पहरा देते हुए इनको बंद कराया जाये।

मैं माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किये गये नवाचारों का धन्यवाद करता हूं कि ऊंटनी का दूध जो कैंसर तक के रोगियों को सही कर सकता है, उसके लिए पहली बार काम हुआ है। ऊंटनी के दूध का

(श्री गुरवीर सिंह)

भी 200 एमएल का पाउच और उसका घी आज राजस्थान की सरकार जनता के लिए लेकर आयी है।

मुझे खुशी है कि मोबाइल वैन के नाम पर जो आज टेस्टिंग के प्रावधान, फेसिलिटी प्रोवाइड की है, आज कोई भी, कहीं भी इसका फायदा ले सकता है। गाय के दूध का जो नवाचार पिछले हफ्ते इस सरकार ने किया, इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो रीको पर भी मैं एक मिनट का समय लूंगा। एक मिनट का समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष: इसी पर बोल लो न। रीको पर तो हो गया।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। Today RIICO is supported and sponsored by the Government of Rajasthan. मेरी आपसे उम्मीद है कि यह पैसे कमाने का जरिया न बनकर के एम्प्लायमेंट जनरेशन पर भी आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डेयरी पर ही बोलिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): सर, एक मिनट का समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष: चाहे दो मिनट बोलिये, लेकिन डेयरी पर ही बोलिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): 58 परसेंट एडिबल आयल जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के पास पोटेंशियल है, पूरे देश की 47 परसेंट सरसों की पैदावार यहां हो रही है। आयल मिल्स के माध्यम से आप इस पर और अधिक काम करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह विषय नहीं है। माननीय सदस्य, डेयरी पर बोलना हो तो बोलिये।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): आप मुझसे इस पर बाद में बात कर सकते हैं।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह राजपुरोहित (अनुपस्थित)। श्री अर्जुन लाल। पांच मिनट में। माइक आन करें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को-

(श्री अर्जुन लाल)

आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के इस वार्षिक प्रतिवेदन पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

2018-19, 2020-21 का जो यह प्रतिवेदन रखा है, यह एक ऐसा उदाहरण है विगत सरकार का जो 05 साल का एक साथ वार्षिक प्रतिवेदन दे रहे हैं। इस पर मेरा आब्जेक्शन भी है कि एक साथ नहीं देकर के प्रति वर्ष बजट के पहले इसका प्रतिवेदन दे देते तो ठीक रहता, लेकिन यह उस सरकार की कार्य शैली का एक उदाहरण है। इसके अन्दर विगत सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना चलाई थी और उसमें प्रत्येक पशुपालक को 02 रुपये से 05 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाता था। उसमें पूरे राजस्थान के सभी संघों में जांच करवाई जाये कि कहां-कहां पशुपालकों को उस अनुदान का लाभ मिला है। मेरे पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ, जोधपुर में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पशुपालकों को वह पैसा नहीं मिला, वह जो कर्मचारी थे, संघ के संचालक थे, उनके परिवार के खाते में चला गया। कम से कम 51 लाख रुपये का वहां गबन, घोटाला है। वहां के एक हैल्पर को लेखाधिकारी बना दिया गया और उसने अपने परिवार की बहन और बहनोई के नाम पर सारा पैसा डाल दिया। जो गत सरकार ने इस योजना को चलाया, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उसकी जांच होनी चाहिए।

दूसरा, इसके अन्दर दुग्ध पाउडर के लिये मुख्य मंत्री जी ने विगत सरकार में घोषणा की थी। मिड-डे मील के अन्दर विद्यालयों में छात्रों के लिए 200 मिलीलीटर दुग्ध पाउडर के रूप में भेजना था। विभिन्न संघों ने दुग्ध पाउडर का इतना उत्पादन कर दिया कि वह विद्यालयों में भी पहुंचा, कुछ इनके पास स्टाक रह गया। उसकी एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है। अब 650 से 800 करोड़ रुपये का वह दुग्ध पाउडर अभी तक इनके पास पड़ा है। इसकी एक्सपायरी डेट निकलने के बाद इसका पता नहीं क्या करेंगे? इससे संघों को नुकसान हुआ है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय, आप इसकी जांच करवायेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसमें भी गबन निकलेगा।

तीसरा, मंत्री महोदय को आपके माध्यम से सुझाव देता हूं कि जितनी भी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा जो वहां पर दुग्ध कलेक्शन किया जाता है तो वहीं पर बीएमसी मशीनें जो दूध ठंडा करने के

(श्री अर्जुन लाल)

लिए, चिलिंग सेंटर के रूप में उस सोसायटी के अन्दर ही उस दूध को इकट्ठा कर दिया जाये ताकि परिवहन में जो समय लगता है, उसमें पशुपालकों का दूध खराब नहीं होगा और वह समय पर, दूसरे दिन भी अगले चिलिंग सेंटर तक पहुंचाया जा सकता है।

चौथा, यह जो सभी डेयरीज के अन्दर, संघों में स्टाफ की बहुत कमी है जिसकी बदौलत मैं जैसे बता रहा हूं कि हैल्पर को लेखाधिकारी बना देते हैं। वैसे उस छोटी पोस्ट वाले को उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक बना दिया जाता है और उनको एमडी का चार्ज दे देते हैं, जिससे डेयरीज के अंदर भ्रष्टाचार भी होता है, न उनकी गुणवत्ता का कोई ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा दूध की रेट बढ़ाने के लिए वहां के संघों को अधिकार दिया जाये या संघ के जो संचालक मंडल हैं, उनको अपने कांफिडेंस में लेकर आरसीडीएफ यदि रेट बढ़ाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो सर्दी के नाम से अक्टूबर से फरवरी तक रेट कम करते हैं, लेकिन अभी तक वहां कोई रेट नहीं बढ़ाई गयी। बहाना बना दिया गया कि कोड आफ कंडक्ट लग गया है। ऐसी स्थिति में संघों को भी जो संचालक मंडल हैं, उसको रेट बढ़ाने की अनुमति दी जाये।

एक लास्ट है मेरा। यहां पर जो भी 24 संघ बताये हैं, उनमें एमडी की पोस्ट पर जो लोअर पोस्ट के अधिकारी लगे हुए हैं, उनकी जगह आरएएस अधिकारियों को यदि लगा दिया जाता है तो निश्चित रूप से डेयरी के काम में गुणवत्ता आयेगी और हमारे प्रदेश को निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री उदयलाल भड़ाणा (अनुपस्थित), श्री रामस्वरूप लांबा (अनुपस्थित), श्री लक्ष्मण राम।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने डेयरी पर बोलने का मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, भारत में डेयरी उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। इसके लिए सभी राजस्थानवासियों को बधाई, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, गांवों में ज्यादा सहकारी पोइंट खोले जाएं और किसानों का दूध

(श्री लक्ष्मण राम)

सीधे वहां पर लिया जाए जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, उनको फायदा मिले। मैं आपको निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार में, हमारे पूर्व मंत्री महोदय विराजमान हैं, हमारे नागौर जिले में दूध में 08 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। उसकी जांच अभी चल रही है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। एक्चुअली गांवों में ऐसी डेयरी वालों की मनमानी चलती है कि भैंस के दूध में ज्यादा फैट आती है, तो हमें यह भी करना चाहिए कि गाय का दूध लेने के लिए भी सरकारी डेयरी वालों को पाबंद किया जाए, जिससे किसान की आमदनी बढ़े और गो माता की सेवा हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने पशुओं के लिए, गायों के लिए बहुत ज्यादा जमीनें छोड़ी थीं, उन पर आजकल लोगों ने बहुत ज्यादा कब्जे कर लिए हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाए।

मैं निवेदन करूंगा कि जितना भी पशु आहार मिलता है किसानों को, उस पर सब्सिडी देने का काम हमें करना चाहिए जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सके, उनका खर्चा कम हो, ऐसा भी हम लोगों को करना चाहिए। सदन के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बीटी कपास की खळ, 'खळ' कहते हैं हम मारवाड़ में लोग, वो ज्यादा देने से कैंसर की बीमारी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर बीटी कपास को कम कैसे किया जाए और पशुओं को अच्छी गुणवत्ता की खळ मिले, उसके लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेड़ता में पहले बहुत बड़ा प्लांट था डेयरी का, बहुत बड़ी जमीन है डेयरी प्लांट की, उस प्लांट को भी आप दोबारा शुरू करने का काम करें, वहां पर कर्मचारी लगाएं जिससे मेड़ता और उसके आसपास की जनता को उसका फायदा मिले।

मेड़ता और नागौर का जो बैल है, वो विश्व में और देश में प्रसिद्ध है। हमारे यहां मेले भरते हैं, अभी कुछ महीने पहले मेला भरा गया था। किसान की आमदनी होती है बछड़ों से, पिछली सरकार ने तीन साल के बछड़ों पर जो रोक लगायी थी जिसके कारण हमारे बछड़े जो बाहर से व्यापारी आते हैं, एमपी से, यूपी से, वो पर्चेज तो करते हैं लेकिन बोर्डर पर उनकी गाड़ियां रोकी जाती हैं। इसमें कहीं न कहीं त्रुटि है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस

(श्री लक्ष्मण राम)

त्रुटि को आप पूरा करें जिससे किसान को बछड़ों से आमदनी पैदा हो और हमारी गो माता की भी सेवा हो। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह। पांच-पांच मिनट में सब माननीय सदस्य अपना वक्तव्य खतम करें।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर आज विचार-विमर्श हो रहा है, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जो ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं वो बहुत देरी से प्रस्तुत किये गये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पर है।

"जिन्दगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं,
जिन्दगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारे कारण
हजारों-लाखों लोग खुश हो जाते हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसी तरह का विभाग है। इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारा इसमें प्रयास रहता है और रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादकों को, किसानों को इससे जोड़ें और उनको हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लाभांवित कर सकते हैं, उस तरह से उनको लाभांवित करें। दुग्ध उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं। सहकारी क्षेत्र में दुग्ध संकलन में हम पांचवें स्थान पर थे, अब हम दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अगर इस सरकार का कार्यकाल देखें, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पिछले छह माह में प्रदेश के किसानों को 03 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का दूध उत्पादन के लिए भुगतान किया गया है जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नये सदस्य भी बनाए गए हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि नये सदस्य राजस्थान की तुलना में बहुत कम है राजस्थान के

(श्री अजय सिंह)

किसानों की यदि हम संख्या देखें तो हमारे जो नये दुग्ध उत्पादक सदस्य हैं, वो बहुत कम हैं।

मैं देख रहा था कि सामाजिक सुरक्षा के हेतु आप बीमा योजना लेकर आए, उसमें 1 लाख 28 हजार आपके उत्पादक सदस्य हैं, उनका ही बीमा कराया है जबकि अगर सहकारिता का क्षेत्र जो कि मिला हुआ है, उसका अगर देखें तो गत सरकार में उसका दायित्व जब मेरे पास था, तो उनका जो बीमा करवाते हैं, जो दुर्घटना बीमा आपने करवाया है वो उसमें करवाया है 25 लाख किसानों से ज्यादा का और आप करा रहे हैं केवल 1 लाख 28 हजार का, तो इसमें अभी बहुत गुंजाइश है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। जो बीमा आप करवा रहे हैं, आरसीडीएफ जो बीमा करवा रहा है वो बीमा करवा रहा है केवल 5 लाख रुपये का, मतलब यदि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, अंग भंग हो जाए तो उसको 5 लाख रुपये का बीमा क्लेम मिलेगा जबकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013-18 में 10 लाख रुपये तक का हमने दुर्घटना बीमा का क्लेम किसानों को और डेयरी में भी शायद आपने दिया है, तो इस ओर आपको विचार करना चाहिए। आज का आर्थिक युग है और जिस तरह से एक्सीडेंट होते हैं तो उसको एक अच्छा आर्थिक संबल मिल सके, ऐसा मेरा आपसे कहना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चारा-बीज वितरण तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो चरागाह भूमि पड़ी हुई है उस पर भी आपके द्वारा इस तरह की योजना चालू की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों बीघा चरागाह जमीन पड़ी हुई है, उसको इस काम में लिया जा सकता है।

मैं यह भी कहूंगा कि हमारा जो टर्न ओवर रहा है, डेयरी का टर्न ओवर देखें तो लगातार हमारा टर्न ओवर बढ़ रहा है आरसीडीएफ का और जो इसका नेट प्रोफिट है वो भी बढ़ा है। अगर पिछले वर्ष से हम तुलना करें तो इसका दुगुना हो गया है 2023-24 में, जो कि बहुत अच्छी बात है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आरसीडीएफ की वहां पर जो सीएमडी हैं उनका कार्य भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा है। मैं देख रहा हूं क्योंकि यह विभाग पहले मेरे पास भी रहा था। 02 वर्ष में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में और मंत्रीजी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम इसमें होगा।

(श्री अजय सिंह)

अभी विभाग ने, आरसीडीएफ ने कई नवाचार भी किये हैं, जैसे ऊंटनी के दूध को बीकानेर में दुग्ध संघ द्वारा विपणन किया जा रहा है। इसके अलावा नकली घी की रोकथाम के लिए क्यूआर कोड अंकित करना चालू किया है। यह भी एक बहुत अच्छा कदम है। इससे हर व्यक्ति को पता चल जाएगा कि वो जो घी खरीद रहा है, वो नकली है या असली है।

एक और अच्छा काम जो हमारे आरसीडीएफ ने किया है, आइसक्रीम का जो उत्पादन यहां पर हो रहा है, उसमें आप देखिए कि अच्छे-अच्छे फ्लेवर, केसर, मैंगो, चाकलेट, अमेरिकन नट्स, स्ट्राबेरी आदि ये कर रहे हैं। अच्छा होगा कि हम छोटे शहरों तक हमारी पहुंच बनाएं हम हमारा उत्पादन बढ़ाकर लोगों तक पहुंचाएं। अलवर का प्रसिद्ध मिल्क केक आपके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। यह भी आपका एक अच्छा कदम है। छाछ के भी नये फ्लेवर, तड़का और पुदीना भी आपने अभी शुरू किया है, यह भी बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात जो विभाग कर रहा है, होम डिलीवरी के लिए 1000 से ज्यादा सरस मित्र बनाए गए हैं जो घर-घर जाकर आपके आर्डर को पहुंचाएंगे।

मेरा माननीय मंत्रीजी से कहना है कि दुधारू पशुओं की बीमा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह से उनका नि:शुल्क बीमा किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आरसीडीएफ द्वारा डीबीटी ट्रांसफर किसानों के भुगतान, खुदरा विक्रेताओं एवं वितरकों की डिजिटल बिलिंग एवं संग्रह एवं सरस बीसी एप्लीकेशन के क्रियान्वयन के आवश्यक समाधान के लिए मार्च 2023 में यस बैंक से आपका एमओयू किया गया था लेकिन आरसीडीएफ के ईआरपी वेंडर द्वारा जानबूझकर की गई देरी के कारण एपीआई एकीकरण अभी तक नहीं हो सका, अभी भी वो लंबित है। डिजिटल भुगतान भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मेरा माननीय गोपालन मंत्रीजी से आग्रह है कि आरसीडीएफ की सीएमडी को निर्देशित करें कि वो यस बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं जिससे लाखों डेयरी परिवारों एवं शहरी निवासियों को लाभ हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भागचन्द टांकड़ा।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड पर बोलने का मौका दिया।

(श्री भागचन्द टांकड़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि पशुधन संख्या निरन्तर घटती जा रही है और दूध पीने और उसका उपयोग करने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। आखिरकार यह दूध कहां से आ रहा है और कितना कहां उत्पादन हो रहा है? इस पर अगर गौर किया जाये तो स्थिति यह है कि जिस गांव में डेयरी के बूथ बने हुए हैं, कलेक्शन सैंटर्स बने हुए हैं, उन कलेक्शन सैंटर्स के गांवों की पशुधन संख्या अगर गिनी जाये तो मुझे लगता है सौ से ऊपर नहीं होगी, लेकिन उस कलेक्शन सैंटर पर ढाई से 3-4 हजार लीटर तक दूध आता है। मैं इस चीज से पूर्णत: आश्वस्त हूं कि वहां 70 परसेंट दूध मिलावटी आता होगा।

आज की स्थिति यह है कि अपने यहां शादी-ब्याह होते हैं तो पहले कहीं भी दूध-मावे का काम न के बराबर होता था। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं। लड्डू पूरी, सब्जी बनकर रह जाती थी, लेकिन आज ग्रामीण परिवेश में भी दूध-मावे की भी शादी में बुकिंग करेंगे तो एक क्विंटल मावा चाहिये और दो क्विंटल दूध चाहिये। पांच-पांच शादियों में एक आदमी 20-20 क्विंटल दूध देता है और 10-10 क्विंटल अगर मावा देता है तो यह मावा बन कहां रहा है? इसमें बड़ा ही गोरखधंधा चल रहा है। इसे रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई होनी चाहिये। पशुधन को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक यह गोरखधंधा चलता रहेगा।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पशुधन को बढ़ावा दिया जाये और जगह-जगह चारे के बड़े डिपो बनाये जाएं ताकि पशु मालिकों को चारे के लिए कहीं इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। राजस्थान में चारे की भी कमी है। हर डिपो पर उचित मूल्य का आपका निर्धारित रेट हो, जिससे उसे चारा मिले। स्थिति यह पैदा हो गयी कि पहले आदमी को जहर धोखे से दिया जाता था, लेकिन आज आदमी पैसे से जहर खरीदकर ला रहा है। मिलावटी दूध, घी आदमी पैसे से खरीदकर लाकर अपने बच्चों को जहर दे रहा है। इस पर अत्यावश्यक कार्रवाई होनी चाहिये।

घटती पशुधन संख्या को बढ़ावा मिलना चाहिये। पशुओं का बीमा डेयरी के माध्यम से नि:शुल्क होना चाहिये।

पशुपालकों को एक बहुत बड़ी परेशानी है कि पशु चिकित्सालयों पर कर्मचारी नहीं हैं। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो करीब 35

(श्री भागचन्द टांकड़ा)

ऐसे सब-सैंटर्स या हास्पिटल्स हैं, जिनमें से अगर एक-एक भी रखा जाये तो 19 कर्मचारी निकलेंगे। कर्मचारियों की भर्ती की जाये। पशुओं को बीमारी होती है तो दवा दिलाने के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। लम्पी में बहुत मौतें हुई हैं। ऐसी मौतों को रोकने के लिए डाक्टरों की भर्ती की जाये। किसानों को अपने पशुओं के लिए हास्पिटल्स में व्यवस्थित रूप से इलाज मिले।

अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत मिल जाये तो रीको पर भी निवेदन करूंगा। मेरा क्षेत्र बांदीकुई पड़ता है और दिल्ली एनसीआर से अगर सबसे पहले कोई जिला पड़ेगा तो दौसा जिला पड़ता है। दौसा जिले में एशिया की सबसे बड़ी सैंडस्टोन की मण्डी है। पिछली सरकार ने स्टोन पार्क के नाम से घोषणा भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह चर्चा रीको पर नहीं केवल डेयरी पर है। अपने वक्तव्य को वहीं तक सीमित रखिये।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): हमें बोलने का मौका कभी-कभी तो मिलता है।

श्री अध्यक्ष: श्री जितेन्द्र गोठवाल।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान के डेयरी प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं हमारी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार बनने के बाद अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है तो वह किसान से, पशुपालक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रत्येक परिवार के उपयोग में आने वाली वस्तु पर चर्चा हो रही है। मैं माननीय भजन लाल सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान में डेयरी के माध्यम से, रीको के माध्यम से कैसे रोजगार मिले, इस पर चर्चा का पूरा एक दिन रिजर्व रखा।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने डेयरी के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया, चाहे वह किसान के प्रति लीटर मूल्य बढ़ाने की बात हो, जैसा कि हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रति किसान के लिए हमने तय किया। पिछली सरकार में डेयरी संघ के माध्यम से कई बार आन्दोलन हुए, धरने दिये गये, प्रदर्शन किये गये और उनमें बार-बार मांग रखी गयी कि हम लोग इतनी मेहनत करके दूध को डेयरी तक पहुंचाते हैं, कंजूमर तक पहुंचाते हैं उसके बाद भी पिछली सरकार ने इस पर कोई अनुदान नहीं बढ़ाया।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

चिन्ता का विषय तो तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि पशुधन की संख्या कम हो रही है और दूध उपयोग में लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने सुना और देखा कि डेयरी में लगातार पिछली सरकार में कई घोटाले हुए। माननीय मंत्री महोदय, उसी घोटाले से जोड़ता हुआ एक विषय सवाई माधोपुर जिले का आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे यहां पर सवाई माधोपुर डेयरी संघ में एक बड़ा पार्लर है, जिसमें करीब 10 बीघा जमीन को किसी विधायक परिवार को मात्र 11 हजार रुपये महीने की लीज पर दिया। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि एक छोटे-से कर्मचारी राजकुमार शर्मा को वहां का चार्ज दिया गया और इस इंटेंशन से दिया गया कि वहां के नेताओं को वे लोग ओब्लाइज करें।

सवाई माधोपुर पर्यटन नगरी है, रणथम्भौर टाइगर क्षेत्र है। वह 10 बीघा जमीन रोड पर है। उस जमीन पर एक छोटा-सा पार्लर बनाया और उस पार्लर को आने वाले भविष्य में होटल के हिसाब से डवलप करने के लिए टेंडर किया गया। चूंकि यह किसान का पैसा है, गरीब का पैसा है, इसलिए मैं आपका ध्यान उस ओर लेकर जाना चाहता हूं। उस करोड़ों रुपये की जमीन की जब ओपन टेंडर के माध्यम से आक्शन होती है, जो लोएस्ट उसके अन्दर आता है, उसे टेंडर न देकर वहां के पड़ोस के विधान सभा क्षेत्र के विधायक के पुत्र को वह टेंडर दे दिया जाता है, खण्डार विधान सभा क्षेत्र के विधायक के पुत्र को टेंडर दे दिया जाता है। लोएस्ट होने के बाद भी एक आम आदमी को वह टेंडर नहीं दिया जाता। कारण, हमारे निवर्तमान मुख्य मंत्री के सुपुत्र **+++** उस टेंडर के अन्दर इन्वोल्व होते हैं और वे लोग इसके अन्दर एक बड़ा घोटाला करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं लें। नाम को हटा दें।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): वहां पर डेयरी की जमीन पर मल्टी नेशनल फाइव स्टार होटल बनाना चाहते हैं और होटल बनाकर वहां पर उसकी लीज की जाती है 20 साल की और उसे मात्र 01 लाख रुपये डिपोजिट मनी पर उन लोगों के लिए बुक कर दिया जाता है। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं, जो डेयरी संघ के लोग हैं, उन्होंने बार-बार जिला कलेक्टर को, वहां की लोकल संस्थाओं को, एमडी को, निवर्तमान मंत्री तक भी इस विषय को बार-बार पहुंचाने का काम किया, लेकिन चूंकि बड़े नेता के सुपुत्र उसमें जुड़े हुए थे, एक नहीं सुनी।

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बड़े घोटाले की जांच करवाएं। राजस्थान में अगर बड़े घोटाले खुलेंगे तो उसमें एक घोटाला राजस्थान सवाई माधोपुर दूध डेयरी का भी होगा पिछली सरकार का। आपसे निवेदन है, जांच करवाकर किसानों को उनकी जमीन वापस दिलवायी जाये। धन्यवाद।

(समय: 18.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष मील। अन्तिम वक्ता, टाइम भी हो गया है। अब मंत्री महोदय का रिप्लाई।

श्री सुभाष मील (खंडेला): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपने राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही, इससे बड़ी विडम्बना नहीं हो सकती कि किसानों का जो मुद्दा है, जिससे किसानों का हित जुड़ा है, आज ग्रामीण परिवेश में किसान परिवारों के पास आय का एक मात्र स्रोत डेयरी है, वे दूध के जरिये अपना परिवार पाल रहे हैं। ऐसे मुद्दे पर आज सदन में चर्चा हो रही है और विपक्ष का यहां पर न होना, उनकी संवेदनहीनता दर्शाता है और किसानों के प्रति उनके असत्य प्रेम को प्रदर्शित करता है। जो खोखले दावे, वादे वे लोग करते हैं, किसान के भले की बात करते हैं, आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है और यहां सदन से विपक्ष गायब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि वर्तमान में आरसीडीएफ के अन्तर्गत, जो भी संघ पंजीकृत हैं और जहां हम दूध एकत्रित कर रहे हैं, वहां पर आज किसानों की स्थिति यह है कि सरकारी अनुदान मिलने के बाद भी, पांच रुपये अनुदान मिलने के बाद भी आज भी किसान के दूध की रेट प्राइवेट डेयरी से कम है। पिछले पांच साल में कांग्रेस सरकार दुग्ध उत्पादकों के लिए एक भी ऐसी कोई योजना नहीं लाई जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान डेयरियों से जुड़े या उनके परिवारों को दूध से ज्यादा आमदनी हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनका समय पर भुगतान हो। जो प्राइवेट डेयरियां हैं हमारी रेट उनसे ज्यादा हो, तभी इस परिस्थिति के अन्दर ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें जुड़ सकते हैं।

(श्री सुभाष मील)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात, आरसीडीएफ के अन्दर और पूरे डेयरी संघों में 3 हजार 983 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 927 पद भरे हुए हैं और 3 हजार 56 पद खाली हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है, क्योंकि पिछले पांच साल में सरकार ने कोई भर्तियां नहीं कीं, जिससे ये पद रिक्त रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है कि अगर ये पद नहीं भरे जायेंगे तो दुग्ध उत्पादकों का भला नहीं हो सकता और डेयरी का विकास नहीं हो सकता, सदन के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं।

मैं सदन के ध्यान में एक और बात दिलाना चाहता हूं। श्रीमान् जी, पूरे राजस्थान के अन्दर ई-प्रिक्योरमेंट सिस्टम से लेबर के कांट्रेक्ट होते हैं, लेकिन टोंक और सीकर डेयरी में नियम विरुद्ध लेबर के टेंडर किये जाते हैं और सीकर-झुंझुनूं दुग्ध उत्पादक संघ में पिछले बीस सालों से एक ही फर्म और उसकी शेडो फर्म को कांट्रेक्ट दिये जाते हैं। किसी भी संस्था का लाभ तभी होता है जब उसकी आय व्यय से अधिक हो। सबसे बड़ा खर्चा सीकर-झुंझुनूं दुग्ध उत्पादक संघ में ठेकेदार का जो लेबर कांट्रेक्ट है, उसमें दिया जा रहा है और महीने के लगभग 60 से 66 लाख रुपये उनको दिये जा रहे हैं, जबकि यदि पारदर्शिता से वे ठेके दिये जायें तो मुश्किल से 15 से 20 लाख रुपये महीने में वे काम करवाये जा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में जनश्री योजना के तहत जो दुग्ध उत्पादक सदस्य होते थे, उनके बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति दी जाती थी, जिसे पिछली सरकार ने पांच साल में बन्द कर दी, जिससे भी दुग्ध उत्पादकों का मोह डेयरी के प्रति थोड़ा भंग हुआ है। माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी जो समितियां हैं, उन पर बीएमसी दी जाये और सभी डेयरियों को कैशलेस किया जाये। सीकर डेयरी को विशेष तौर पर, मैं मंत्री महोदय को सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको कैशलेस करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार कम से कम हो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री सुभाष मील (खंडेला): अध्यक्ष महोदय, लास्ट दो मिनट में मैं अपनी बात खतम करूंगा।

श्री अध्यक्ष: छह मिनट हो गये हैं।

श्री सुभाष मील (खंडेला): पिछली कांग्रेस सरकार में डेयरी में जो चुनाव हुए हैं बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हुआ और आज ठेकेदार इतने मजबूत हो चुके हैं। पिछले पांच साल का मैंने कार्यकाल देखा है, सीकर-झुंझुनूं दुग्ध उत्पादक संघ का, एमडी जो ठेकेदार लगाता है, वह एमडी वहां डेयरी में लगता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पांच साल से जो परिपाटी रही है, जो ठेकेदारों की मनमर्जी और भ्रष्टाचार चला है, वह अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन्द हो, ताकि पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिले।

अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी दुग्ध उत्पादक हैं, सरकार के माध्यम से ऐसी व्यवस्था हो कि हर दुग्ध उत्पादक को पशुपालन के लिए लोन का सरलीकरण हो और उनको ज्यादा से ज्यादा लोन मिले, ताकि वे पशु पालकर डेयरी में अपना योगदान दे सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी। चार मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार रखने का मौका दिया। आज रीको और आरसीडीएफ के प्रतिवेदन जो आये हैं, मैंने देखा की आरसीडीएफ के प्रतिवेदन जो हैं वे चार साल के एक साथ आज दिये गये हैं। मुझे लगता है कि यह सदन की अवमानना है। प्रतिवर्ष आडिट प्रतिवेदन दिये जाने थे, वे समय रहते देते तो कई सारी चीजें हो सकती हैं।

आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि पहले भी तमाम सदस्यों ने तमाम प्रकार के घोटालों के बारे में बात की, भ्रष्टाचार की बात की। आदरणीय सदस्य ने अभी कहा सीकर में, टोंक में, झुंझुनूं में, जैसे ही ये प्रतिवेदन आये, उसके बाद हमने थोड़ी-बहुत जो तैयारी की तो हर जगह कई तरह की स्थितियां निकलकर आईं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो साल पूर्व मालपुरा में एक बटर पैकिंग मशीन खरीदने के लिए साढ़े चार करोड़ का एक टेंडर हुआ। सिंगल टेंडर किया गया। 01 करोड़ 80 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया गया पर दुर्भाग्य है कि न तो वह मशीन आई, पैसा किसके खाते में गया, कोई नहीं जानता और वापस कभी किसी ने सुध भी नहीं ली।

मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आरसीडीएफ

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

की अभी बात चल रही थी कि ये जो स्टाक है, दूध का, पाउडर का, लगभग 14 हजार टन घी का स्टाक पड़ा है, इसका क्या करेंगे? इसके अन्दर भी एक बहुत बड़ा खेल है। तमाम तरह के जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आ रहे हैं, इन पर प्रोडक्शन की कोई डेट नहीं लगी हुई है, एक्सपायरी डेट उस पर लिखी गई है, क्योंकि यह री-प्रोसेस करके मार्केट में लाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा मामला है। एक तरफ हम सब शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं आगे आती हैं, तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को इस मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सरकारी उपक्रम ही जब एक्सपायरी माल मार्केट में बेचेंगे तो फिर आप अच्छी चीजों की किससे उम्मीद करेंगे। जेएलएन मार्ग पर मैंने डेयरी का इतना बड़ा शोरूम टाइप का देखा है। साहब, हमारे वहां नहीं है। हमारे यहां पशुधन सबसे ज्यादा हैं पर डेयरी के मामले में हम बहुत पीछे हैं।

अभी बात चल रही थी कि, साहब, इतने अनुपात में पशु हैं, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है। साहब, हमारे वहां पर प्रोडक्शन बहुत है पर यहां तक लाने वाला कोई नहीं है। अभी बात चल रही थी कि ऊंटनी के दूध से कैंसर को सही किया जा सकता है। अभी सेवण घास की बात चल रही थी, थारपारकर नस्ल की बात चल रही थी। ये तमाम चीजें हमारे उस तरफ हैं पर उनको कलेक्ट करके यहां तक कौन लाये? मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप गांवों को मजबूत करने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी को और सुदृढ़ करें। हमारे उस तरफ, उस रेगिस्तान में, उस सीमान्त क्षेत्र में आप कलेक्शन के नये सेंटर डवलप करें।

जेएलएन की मैंने बात की कि यहां पर जयपुर डेयरी का एक पार्लर है, जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो कई सारी चीजें निकल कर आईं। अभी एक बार किसी फर्म को इन्होंने लीज पर दिया। ढाई करोड़ रुपये खर्च किये गये उसके रिनोवेशन पर। वहीं एक ही फर्म को बिना किसी टेंडर के सीधा काम दे दिया गया। पता नहीं कैसे, मुझे लगता है कि वहां अन्दर बैठे हुए लोगों को लगता है कि यही करने वाले हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिये।

सीकर के टेंडर की अभी बात हुई तो मैं बताना चाहूंगा कि सीकर में अभी तक कभी कोई टेंडर हुआ ही नहीं। ठेकेदार करोडों रुपये डेयरी के लेकर भाग गये पर आज तक उसकी कोई रिकवरी नहीं। बाड़ ही जब खेत को खायेगी तो बचाने वाला कौन होगा? आज जयपुर डेयरी के जो चेयरमैन हैं उनका खुद का कालाडेरा में एक किसान केसरी नाम का कैटल फीड प्लान्ट

(श्री रविन्द्र सिंह भाटी)

संचालित है और पिछले पांच साल से तमाम जो समितियां हैं उनको यह माल बेचा जा रहा है, जो नहीं लेता उसके खिलाफ ये सख्त कार्यवाही करते हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह आरसीडीएफ जो है इसका नाम राजस्थान चोर ठेकेदारों की फैडरेशन कर दिया गया है। हमारे लिए सभी के लिए यह बड़े दु:ख की बात है और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आप कड़े फैसले लें, संवेदनशीलता दिखायें क्योंकि यह जो मामला है, यह जो डेयरी है यह सीधा आम आदमी से जुड़ाव रखती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी सोसायटी आरसीडीएफ के प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के चार वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन आज आपके आशीर्वाद से और माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश से सदन में पेश हुए निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

यह पिछले लम्बे समय से 2018 से, कई माननीय सदस्यों ने मांग उठाई कि लम्बे समय से यह प्रतिवेदन सदन में पेश नहीं हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले पांच साल से 2018 से कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने इस डेयरी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और पांच साल तक वो अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही। आपस में लड़ने में लगे रहे लेकिन कभी-भी राजस्थान के पशुपालकों की चिन्ता नहीं की। डेयरी व्यवसाय को और कैसे मजबूत करें, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को रोजगार कैसे मिले, इस सम्बन्ध में उन्होंने कभी भी चिन्ता नहीं की और उनकी उदासीनता के कारण से यह प्रतिवेदन भी पेश नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से आपने यह पेश किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

अभी माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मण राम जी मेघवाल, श्री जितेन्द्र गोठवाल जी, श्री अजय सिंह किलक जी, श्री भागचन्द जी, श्री सुभाष जी मील, श्री रविन्द्र सिंह जी भाटी ने इस सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव दिये। निश्चित रूप से आपके सुझावों पर हम आने वाले समय में कैसे अमल करें

(श्री जोराराम कुमावत)

और डेयरी को और कैसे उपयोगी सिद्ध करें जनता के लिए, इस दिशा में हम काम करेंगे।

अभी भ्रष्टाचार वाली बात हुई तो मैं आप लोगों को सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि डेयरी में कहीं भी भ्रष्टाचार की बात आये या मिलावट की शिकायत आये तो निश्चित रूप से आप मुझे सीधे उसकी शिकायत करें और हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप हम किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार और मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सम्बन्ध में हम पूरी कार्यवाही करेंगे, चाहे कितना भी प्रभावशाली आदमी है उन लोगों को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे।

माननीय सदस्य, भागचन्द जी ने बताया बीमा योजना के सम्बन्ध में, और भी माननीय सदस्यों ने बीमा योजना के सम्बन्ध में बताया, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पशुपालकों के लिए बीमा योजना सरकार अभी लाने वाली है और पहले वाली सरकार ने दुधारू गाय और भैंस की बीमा योजना लागू की थी लेकिन पांच साल में लाने के बाद में सिर्फ तीन परिवारों को उनका फायदा मिला, इसके अलावा किसी को कुछ भी फायदा नहीं मिला। वह योजना पूरी तरह से फेल रही। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी है कि हम सभी पशुओं का बीमा करेंगे और इस सम्बन्ध में आने वाले समय में हमारे मुख्य मंत्री जी योजना लायेंगे और आने वाले समय में सभी पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा।

पशुओं के इलाज के सम्बन्ध में अभी बात हुई कई जगह पद खाली हैं, डाक्टर्स, एलएसए के पद खाली हैं तो पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में भी ज्यादा सजगता नहीं दिखायी और भर्ती प्रक्रिया भी नहीं की, उस कारण से आधी भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है और नयी भर्ती भी करने की आवश्यकता है, तो आने वाले समय में हम नयी भर्तियां भी करेंगे और कोर्ट में 900 डाक्टर्स की अटकी हुई है उसका भी जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाये तो उनको भी नियुक्तियां देंगे। अभी एक मोबाइल वेटरिनरी यूनिट शुरू की है हमारी सरकार ने। माननीय भजन लाल जी के आशीर्वाद से यह शुरू हुई है जिसमें 536 गाड़ियां पूरे राजस्थान भर में दी हैं, उस मोबाइल यूनिट में एक डाक्टर है, एक कम्पाउण्डर है और एक ड्राइवर-कम-हेल्पर है। सभी तरह की दवाइयां हैं और

(श्री जोराराम कुमावत)

वह पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने की उसमें व्यवस्था है। यह पूरी जगह गाड़ियां पहुंच गयी हैं। एक कॉल सेन्टर अभी महीने भर में खुलेगा। कॉल सेन्टर खुलने के बाद में यदि कोई पशुपालक उस कॉल सेन्टर में फोन करेगा तो सीधी वह गाड़ी पशुपालक के घर जाकर इलाज करने का काम करेगी। यह राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत भी हमारी सरकार ने की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आरसीडीएफ एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों का वार्षिक टर्न ओवर व शुद्ध लाभ विवरण सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। वर्ष 2018-19 का वार्षिक टर्न ओवर 4,906.69 करोड़ रुपये एवं शुद्ध लाभ 42.29 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2019-20 का वार्षिक टर्न ओवर 5,286.79 करोड़ रुपये एवं शुद्ध लाभ 47.31 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2020-21 का वार्षिक टर्न ओवर 5,002.16 करोड़ रुपये व शुद्ध लाभ 174.79 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2021-22 का वार्षिक टर्न ओवर 5,834.49 करोड़ रुपये एवं शुद्ध लाभ 117.62 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2022-23 का वार्षिक टर्न ओवर 5917.43 करोड़ रुपये एवं शुद्ध लाभ 101.93 करोड़ रुपये रहा। इसी के साथ में वर्ष 2023-24 का वार्षिक टर्न ओवर 8,979.63 करोड़ रुपये रुपये एवं शुद्ध लाभ 224.7 करोड़ रुपये रहा, यह मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी आरसीडीएफ निश्चित रूप से आज जैसे कई सरकारें भी घाटे में रहती हैं और अपने घाटे वाला बजट पेश करती हैं लेकिन आरसीडीएफ का जो यह इतने सालों का टर्न ओवर है और निश्चित रूप से जो मुनाफा है हर साल निश्चित रूप में मुनाफे में है, कहीं पर भी आरसीडीएफ घाटे में नहीं है, तो यह निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के लिए यह गर्व की बात है।

अभी आरसीडीएफ के मार्फत सभी जिलों में संघ खुले हुए हैं और उन संघों के मार्फत गांव-गांव में समितियां खोली हुई हैं उन समितियों के माध्यम से दूध का कलेक्शन होता है। निश्चित रूप से आरसीडीएफ जो एक सहकारी संस्था है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को संयुक्त रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। दूध समितियां, दूध संघों व आरसीडीएफ ने राजस्थान में सहकारिता की मुहिम से बेरोजगारी को दूर करने, महिला सशक्तीकरण में योगदान देने, किसानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(श्री जोराराम कुमावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान दूध उत्पादन के क्षेत्र में 3.30 करोड़ मैट्रिक टन दूध उत्पादन के साथ पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्थान में आरसीडीएफ के अंतर्गत कुल 24 डेयरी संघ हैं और उनमें 18,811 समितियां बनी हुई हैं। इन समितियों के माध्यम से दूध का संकलन होता है, जिसमें प्रति वर्ष अनुमानित 12.28 लाख मैट्रिक टन दूध का संकलन होता है। राजस्थान डेयरी के माध्यम से दूध संकलन करने में गुजरात और कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पर है। निश्चित रूप से डेयरी का कार्यक्रम राजस्थान के लिये और पशुपालकों एवं किसानों के लिये भी गर्व की बात है। डेयरी के माध्यम से गांव-गांव में जो समितियां बनी हुई हैं, उन समितियों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है। आजकल जयपुर डेयरी ने ऐसा निर्णय लिया है कि यहां पर जितनी भी समितियां बनेंगी, उसमें अध्यक्ष महिला ही बनेगी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि महिलाओं को मजबूती मिले, महिलाओं का सशक्तीकरण हो, इस दिशा में भी हमारी डेयरी समितियां महत्वपूर्ण काम कर रही हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में अभी जो हमारी सरकार बनी, सरकार के बनने के बाद में हमने 243 नई समितियों का गठन किया और 13,926 नये सदस्य जोड़े। इससे महिलाओं एवं युवाओं में रोजगार भी बढ़ा है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि गांव-गांव तक डेयरी का व्यवसाय फैले, कोई ऐसा गांव वंचित न रहे जिसमें डेयरी न हो। इस दिशा में सरस डेयरी, आरसीडीएफ निश्चित रूप से काम करेगी, जिससे किसानों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। हमारा लक्ष्य भविष्य में दूध संकलन कैसे बढ़े, इस हेतु नई समिति गठित कर किसान, पशुपालक, महिला एवं युवा बेरोजगारी को डेयरी व्यवसाय के माध्यम से रोजगार के अवसर देने की दिशा में हम कदम उठायेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री जी एवं मुख्य मंत्री जी की मंशा अनुरूप किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिये 'मुख्यमंत्री दूध संबल योजना' के तहत खरीद मूल्य के अतिरिक्त पांच रुपये अनुदान राशि के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना के तहत माननीय मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री जी की भ्रष्टाचार में जीरो टोलरेंस नीति के तहत, पहले कई

(श्री जोराराम कुमावत)

बार आरसीडीएफ के संघों को सीधा भुगतान होता था और आरसीडीएफ के संघ उस भुगतान को समय पर किसानों के खाते में नहीं डालते थे और कई बार बाकी भी रह जाता था, किसान वंचित भी रहते थे, इसलिए हमारे आरसीडीएफ ने निर्णय लिया और आरसीडीएफ से सीधे किसानों के खातों में डालने का काम किया। अब पांच रुपये का भुगतान सीधा किसानों के खातों में जा रहा है, एक रुपये का भ्रष्टाचार भी इसमें नहीं हो रहा है। 2023-24 में 525 करोड़ रुपये का भुगतान हमने किसानों के खातों में सीधा डालने का काम किया है।

दूध संघों द्वारा संकलित दूध से दूध पाउडर, घी, विभिन्न तरह की आइसक्रीम, छाछ, पनीर, दही, श्रीखण्ड, फ्लेवर्ड मिल्क बनाकर सरस डेयरी बूथ, सरस पार्लर सहित विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से विक्रय कर आमजन को शुद्ध दूध से बने उत्पाद उपलब्ध कराने का काम राज्य की सरस डेयरियां कर रही हैं। इससे कई बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव था, आपने अनेक नई-नई शुरुआत की हैं, आपने लंच ब्रेक किया है, तो सरस डेयरी की ओर से आइसक्रीम वगैरह लंच में आ जाये तो सब काम ठीक हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: विचार करेंगे।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): आपके सुझावों पर अमल करेंगे। नहीं, विचार नहीं करेंगे, जब भी अवसर आयेगा तो अमल करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही 'मुख्यमंत्री बाल-गोपाल योजना' में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दूध पाउडर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु आपूर्ति की जा रही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,500 मैट्रिक टन दूध पाउडर, 67,327 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सप्लाई करने का काम भी हमारी डेयरी ने किया है। आरसीडीएफ व इससे सम्बन्धित दूध संघों द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए बीमा योजना भी चलाई जा रही है और बीमा योजना का फायदा सीधा किसानों, महिलाओं एवं बेरोजगारों को मिल रहा है। बीमा योजना के बारे में कई सुझाव भी कई माननीय सदस्यों ने दिये हैं। इसका दायरा बढ़ाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और जो इसके भुगतान की राशि कम है, इसका भी एनालिसिस करा कर ज्यादा से ज्यादा इस राशि को बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे।

(श्री जोराराम कुमावत)

चारे वाला मामला है, तो चारे के लिये भी उन्नत चारा बीज डेयरी द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें मुख्यत: ज्वार, बाजरा, मक्का, रिजका, इत्यादि फसलों का प्रमाणित बीज वितरित किया जाता है। वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर, 2023 से 2024 तक 9700 क्विंटल चारा बीज का वितरण हमारी तरफ से किया गया है, निश्चित रूप से इसका भी फायदा मिलने वाला है। आरसीडीएफ द्वारा राज्य भर में 7 कैटल फीड प्लांट संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें उच्च क्वालिटी का पशु आहार निर्मित कर किसानों व पशुपालकों को सस्ती दर पर यह पशु आहार उपलब्ध कराने का काम भी हमारी डेयरी कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को आश्वस्त कराना चाहूंगा कि जो हमारे प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि किसानों, महिलाओं एवं युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिये डेयरी के माध्यम से गांव-गांव तक रोजगार मिले, इस डेयरी के माध्यम को हम गांव-गांव तक फैलायेंगे और निश्चित रूप से सबको रोजगार देने की प्रधान मंत्री जी की जो मंशा है, उस अनुरूप हम काम करेंगे और आने वाले समय में इसको और कैसे बढ़ायें, इस दिशा में हम काम करेंगे। विशेष रूप से भ्रष्टाचार और मिलावटखोरों के विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.28 बजे बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2024 के 11.00 तक के लिये स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

शिव में सी.एस.आर. फण्ड की राशि का उपयोग

13. श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक सीएसआर फण्ड के तहत किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य परीक्षण किये गये और किन-किन बीमारियों की कितनी राशि की दवाइयां नि:शुल्क वितरित की गईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक सीएसआर एक्टिविटी के तहत कराये गये कार्य एवं उनकी स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) शिव विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. की गिरल लिग्नाइट खदान पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए माइन्स रूल्स, 1955 व कोयला खान विनियम, 2017 के तहत फर्स्टएड या आकस्मिक चिकित्सा प्रदान करने हेतु खदान क्षेत्र के लिए एक चिकित्सा अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

खनन क्षेत्र के आस-पास के ग्राम यथा गिरल, थुंबली, जालीला, कोटडा एवं पाबुपुरा के स्थानीय ग्रामवासियों को आकस्मिक चिकित्सकीय आवश्यकता होने पर कम्पनी द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चिकित्सा सहायता दी जाती है एवं जो दवा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है, वही दवा ग्रामवासियों को आवश्यकतानुसार नि:शुल्क दी जाती है।

इस मद पर कम्पनी द्वारा गिरल खदान के लिए वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कुल रुपये 3,18,918/- व्यय किये गये। उक्त

(खान मंत्री)

व्यय मुख्य रूप से कोविड महामारी के दौरान सेनेटाइजर एवं मास्क के लिये ही किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीनमाल में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

14. श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा उक्त में कितनी महिलाएं व बच्चे लाभाविन्त हो रहे हैं? क्या उक्त सभी केन्द्रों में कार्यकर्ता नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त में कार्यकर्ता नियुक्त करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के अन्तर्गत 3 परियोजनाएं आती हैं जिनमें निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं-

क्र. सं.	परियोजना	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	लाभान्वितों का विवरण			
			महिलाएं		बच्चे	
			गर्भवती	धात्री	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	3 से 6 वर्ष के बच्चे
1	भीनमाल	96	313	242	2316	2562
2	बागोडा	119	390	319	2771	3163
3	जसवंतपुरा	89	215	235	2136	2359
	कुल योग	**304**	**918**	**796**	**7223**	**8084**

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

इस प्रकार भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में कुल 304 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें 1714 महिलाएं एवं 15,307 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। 292 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ताएं नियुक्त हैं तथा 12 आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्यकर्ता सेवानिवृत्त होने के कारण कार्यकर्ता के 12 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने हेतु सम्बन्धित जिले के उपनिदेशक द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। मानदेय के रिक्त पदों को भरने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, जो एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में वर्तमान में कोई भी केन्द्र किराये के भवन में संचालित नहीं है। कुल 304 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 22 आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवनों में निःशुल्क संचालित हैं। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु सरकार द्वारा परीक्षण करवाया जावेगा। परीक्षण के दौरान गुणावगुण एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीगंगानगर में डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान

15. श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में विगत तीन वर्षों में कितने किसानों ने डिग्गी निर्माण हेतु आवेदन किया तथा कितनों ने स्वीकृति पश्चात् डिग्गी का निर्माण करा लिया है व कितनों का भुगतान शेष है? डिग्गी से वंचित किसानों को कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन किसानों ने आवेदन पश्चात् विभागीय स्वीकृति के बिना डिग्गी का निर्माण कर लिया है, क्या वह अनुदान के पात्र हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में विगत 3 वर्षों में वर्षवार कुल प्राप्त आवेदन, प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत निर्मित डिग्गियों की संख्या एवं भुगतान हेतु लम्बित कृषकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

वर्ष	आवेदनों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत निर्मित डिग्गियों की संख्या	डिग्गी निर्माणकर्ता किसान जिनका भुगतान लंबित है। (संख्या)
2021-22	13,959	1308	-
2022-23	13,670	1473	-
2023-24	6,557	1445	153
कुल	**34,186**	**4226**	**153**

श्रीगंगानगर जिले में विगत 03 वर्षों में 34,186 किसानों ने डिग्गी निर्माण के लिए आवेदन किया है, इनमें से प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत 4226 किसानों ने डिग्गियों का निर्माण करा लिया है। बजट अभाव के कारण वर्ष 2023-24 में निर्मित डिग्गियों में से 153 किसानों की डिग्गियों का अनुदान दिया जाना शेष है, जिन्हें शीघ्र भुगतान करा दिया जायेगा। आवेदन पश्चात् वंचित किसानों को डिग्गी का लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की पारस्परिक प्राथमिकताओं और बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) कृषि आयुक्तालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिग्गी निर्माण हेतु जारी विभागीय दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 8 के उप बिन्दु 8.5 अनुसार "प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात् निर्मित डिग्गी पर ही अनुदान देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के दिनांक से पहले निर्मित डिग्गी पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।'' इस प्रकार जिन किसानों ने आवेदन पश्चात् विभागीय स्वीकृति के बिना डिग्गी का निर्माण कर लिया है, वे अनुदान के पात्र नहीं हैं।

लाडपुरा में मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना से लाभान्वित परिवार

16. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2021 से माह दिसम्बर, 2023 तक प्रदेश में UNIVERSAL HEALTH COVERAGE योजनान्तर्गत आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के NFSA एवं SECC परिवारों के

(श्रीमती कल्पना देवी)

साथ-साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कितने व्यक्तियों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत उक्त अवधि में कितने परिवारों को मुफ्त चिकित्सा बीमा के तहत कितनी राशि का पुनर्भरण किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में वर्ष 2023 में कोटा जिले के कौन-कौन से अस्पतालों में कितने व्यक्तियों की नि:शुल्क जांच की गयी है तथा उक्त जांचों से कितना वित्तीय भार एक वित्तीय वर्ष में पड़ा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पूर्व में संचालित आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक प्रभावी रही, इसमें केवल NFSA एवं SECC परिवारों को ही योजनान्तर्गत कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाता था।

दिनांक 01 मई, 2021 से प्रदेश में UNIVERSAL HEALTH COVERAGE के तहत संचालित योजनान्तर्गत NFSA एवं SECC 2011 के चयनित परिवारों के साथ-साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों, कोविड अनुदान प्राप्त परिवारों एवं ई.डब्ल्यू.एस. (कुल वार्षिक आय 8 लाख रु. से कम) परिवारों को निःशुल्क श्रेणी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन श्रेणियों के अतिरिक्त आर.जी.एच.एस./सी.जी.एच.एस. के पात्र परिवारों को छोड़कर अन्य सभी परिवार 850 रु. प्रति परिवार प्रति पालिसी वर्ष प्रीमियम राशि जमा करवाकर योजना में शामिल किया जाकर चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के 19 ग्राम पंचायतों में योजना के प्रारम्भ दिनांक 01 मई 2021 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक पात्र परिवारों के 5526 व्यक्तियों (मरीजों) को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाकर लाभान्वित किया गया है, जिनकी ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) उक्त योजनान्तर्गत पात्र परिवारों के मरीजों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। उपचार में व्यय राशि का पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान नहीं है। केवल राज्य के बाहर अंग प्रत्यारोपण करवाने वाले मरीजों को ही पैकेज राशि की सीमा राशि तक पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान है।

राज्य में योजनान्तर्गत दिनांक 01 मई 2021 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक 31,99,805 परिवारों के 38,84,939 मरीजों को योजना से सम्बद्ध चिकित्सालयों में राशि 6899.22 करोड़ रु. का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है।

(3) जी हां। मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग के अधीन कोटा जिले में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2023 में 5,15,040 मरीजों की 16,71,523 नि:शुल्क जांच की गई, जिन पर वर्ष 2023 में राशि रुपये का 91,37,967.50 वित्तीय व्यय हुआ। व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त योजना के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कोटा जिले में संचालित चिकित्सा संस्थानों में वर्ष 2023 में 15,21,606 मरीजों की 75,53,569 नि:शुल्क जांच की गई, जिन पर वर्ष 2023 में राशि रु. का 8,06,11,752 वित्तीय व्यय हुआ। व्यय का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा में भवनविहीन विद्यालयों का भवन निर्माण

17. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में विगत तीन वर्षों में कितने विद्यालय प्रबन्धन द्वारा पुराने भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण हेतु सरकार को मांगपत्र भेजे गये हैं? यदि हां, तो कितने विद्यालयों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्तमान में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनके भवन जर्जर तथा अन्य सरकारी भवनों में संचालित हैं? विद्यालयों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(3) क्या सरकार जर्जर भवनों की मरम्मत एवं भवनविहीन विद्यालयों को नवीन भवन उपलब्ध करवाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत 03 वर्षों (2021-22 से 2024-25 तक) में कोटा जिले के 11 जर्जर भवनों के नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट अन्तर्गत प्रेषित किये गये थे। इन प्रेषित प्रस्तावों में से 04 विद्यालयों में जर्जर भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ऐसे प्रस्तावित एवं स्वीकृति वाले विद्यालयों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले में ऐसे विद्यालय जिनका स्वयं का भवन नहीं है तथा अन्य विभागों के (सरकारी भवनों) में संचालित हो रहे हैं, की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्य करवाये जाते हैं।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

जहाजपुर में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना

18. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम बैराणी, गाडौली व घांघीतला में राजकीय पशु चिकित्सालय नहीं होने से पशुओं का इलाज नहीं हो पा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने तथा पशु चिकित्सालय अमरवासी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत

(श्री गोपीचन्द मीणा)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम पंचायत घांघीतला में वर्ष 2023 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत किया जा चुका है तथा ग्राम बैराणी एवं गाडौली वर्तमान में पशु चिकित्सा संस्था विहीन हैं।

पशु चिकित्सा संस्था विहीन ग्रामों में नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा शिविर आयोजित कर पालतू, दुधारू व अन्य पशुओं का आवश्यकता अनुसार इलाज किया जाता है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थायें आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलबधता अनुसार खोली व क्रमोन्नत की जाती हैं।

निम्बाहेड़ा तहसील में कदमाली नदी पर पुलिया निर्माण

19. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार निम्बाहेड़ा तहसील सिगरी हनुमान जी मन्दिर के मध्य कदमाली नदी पर क्षतिग्रस्त कॉजवे के स्थान पर पुलिया का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में सम्पर्क सड़क सिगरी (हनुमानजी) की कदमाली नदी पर 100.00 मीटर लम्बाई में वेन्टेड कॉजवे (3 लाइन 600 एमएम पाइप) बना हुआ है, जो कि वर्तमान में संतोषप्रद स्थिति में है एवं यातायात योग्य है।

उक्त स्थान पर नवीन पुलिया निर्माण करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

संविदाकर्मियों को नियमित करने की योजना

1. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों के लिये Rajasthan Contractual hiring to civil posts rules, 2022 बनाया गया था? यदि हां, तो उक्त नियम के तहत कुल कितने संविदा कार्मिकों के पदों का सृजन किया गया तथा कितने-कितने संविदा कार्मिकों को कौन-कौन से पदों पर नियुक्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार संविदा कर्मियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो प्रक्रिया को कब तक पूर्ण कर संविदा कार्मिकों को नियमित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। संविदा कार्मिकों के लिए पदों का सृजन कर सृजित पदों पर संविदा कार्मिकों को नियुक्त/समायोजित किये जाने की विभागवार, पदवार सूचना परिशिष्ट-A के कॉलम संख्या 3 एवं 4 पर उपलब्ध है।

(2) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के द्वारा नये संविदा नियम, 2022 जारी किये गये। उक्त नियम, 2022 के नियम 20 के अनुसार यदि सरकार की किसी स्कीम/परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में शामिल किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति जिसने 5 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है, उसे उस पद पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा।

विभागवार विवरण परिशिष्ट-A के कॉलम संख्या 5 पर उपलब्ध है।

(3) संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विभागवार विवरण परिशिष्ट-A के कॉलम संख्या 5 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां व झालावाड़ में अवैध गिट्टी क्रेशरों के विरुद्ध कार्यवाही

2. श्री कंवरलाल (अंता): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां व झालावाड़ में विगत तीन वर्षों में अवैध गिट्टी क्रेशरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो किन-किनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि जुर्माने की कार्यवाही की गयी है, तो किन-किन क्रेशर मालिकों द्वारा कितना-कितना जुर्माना जमा करवाया गया?

(2) क्या यह सही है कि जिन क्रेशर मालिकों द्वारा जुर्माना जमा नहीं करवाया गया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त में से किन-किन क्रेशर मालिकों ने पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बारां एवं झालावाड़ में विगत तीन वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2023-24) में खान विभाग द्वारा अवैध गिट्टी क्रेशरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। की गई कार्यवाही में क्रेशर्स का नाम, क्रेशर मालिकों द्वारा जमा कराई गई शास्ति राशि सहित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। इन जिलों में उक्त अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जिन क्रेशर मालिकों द्वारा शास्ति राशि जमा नहीं करवाई गई, उनके विरुद्ध खान विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण भाग संख्या 1 के जवाब में उल्लेखित परिशिष्ट-1 में अंकित किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा बिना स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त किये संचालित उद्योगों को पूर्णतया बंद करा दिये जाने से जुर्माना संबंधित कार्यवाही नहीं की गई है। विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित किया गया है।

(3) गिट्टी क्रेशर उद्योगों को पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। गिट्टी क्रेशर उद्योगों के संचालन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्थापना एवं संचालन

(खान मंत्री)

सम्मति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। जिन क्रेशर मालिकों द्वारा क्रेशर के संचालन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त की गई है, का विवरण भाग संख्या 1 के जवाब में उल्लेखित परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2 में अंकित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रेमसागर तालाब (आसीन्द) का डी.एम.एफ.टी. फण्ड से सौन्दर्यीकरण

3. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नगरपालिका आसीन्द मुख्यालय पर स्थित प्रेमसागर तालाब का डी एम एफ टी फण्ड से सौन्दर्यीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से क्या-क्या कार्य करवाये जा सकते हैं, के प्रावधान राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 में किये गये हैं एवं इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप कार्य करवाये जा सकते हैं। नियमों के संबंधित प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। अनुमत कार्यों में से क्या कार्य डी.एम.एफ.टी. फण्ड से उस जिले में कराया जाना है, का निर्णय जिले की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फॉउण्डेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल करती है। सन्दर्भित प्रेमसागर तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य के बारे में जिला गवर्निंग काउंसिल सक्षम स्तर है। वर्तमान तक नगरपालिका आसीन्द मुख्यालय पर सवाईभोज मन्दिर के पास स्थित प्रेमसागर तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु प्रस्ताव डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, भीलवाडा को प्राप्त नहीं हुआ है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति

4. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कहां-कहां पर वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ की अवस्थित 337 सम्पत्तियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरण

5. श्री भीम राज भाटी (पाली): क्या बाल अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत तीन वर्षों में कितने मामले दर्ज किये गए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त न्याय बोर्ड के समक्ष कितने बालक व बालिकाएं किन-किन अपचारों के तहत पेश किये गए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों में उक्त पेश बालक व बालिकाओं पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश के जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड में कितने प्रकरण पांच वर्ष से लंबित हैं? जिलेवार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गठित किशोर न्याय बोर्ड में विगत 03 वर्षों में कुल 19,389 मामले दर्ज किये गये। जिलेवार एवं संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 20,571 बालक-बालिकाएं हत्या, चोरी, बलात्कार, जानलेवा हमले, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती एवं अन्य अपराधों में लिप्तता के आधार पर पेश किये गये। उक्त बालक व बालिकाओं का विगत 3 वर्षों का जिलेवार एवं अपराधवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) (अ) दिनांक 15 जनवरी, 2016 से लागू नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 18 वर्ष तक की आयु के विधि का उल्लंघन करने वाले बालक/बालिकाओं को पेश किया जाता है।

(बाल अधिकारिता मंत्री)

पेश किये गये बालक/बालिकाओं की धारा 14 के तहत बोर्ड द्वारा जांच की जाती है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 10 के अनुसार बच्चे को प्रस्तुत किये जाने पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, निरुद्ध किये जाने की परिस्थितियां तथा बच्चे को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत विवरण एवं रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए अधिनियम की धारा 17 एवं 18 के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित किये जाते हैं।

(ब) गत पांच वर्षों में जिले में गठित विभिन्न किशोर न्याय बोर्डों द्वारा बोर्डों के समक्ष पेश किये गये बालक-बालिकाओं के निस्तारित प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) प्रदेश के समस्त जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड में कुल 4258 प्रकरण 05 वर्ष से अधिक अवधि के हैं जो लंबित चल रहे हैं। जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट- द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मारवाड़ जंक्शन में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन

6. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में तथा कितने किराये के भवन में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किराये एवं अन्य भवनों में संचालित केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्तमान में समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बालक व बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में 167 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

के भवन में संचालित हैं तथा 21 केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। विभागीय एवं किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की परियोजनावार संख्या निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**परियोजना**	**विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या**	**किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या**
1	खारची	113	15
2	रानी	34	05
3	देसूरी	20	01
	कुल योग	**167**	**21**

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र की सूची का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभागीय भवन के अलावा अन्यत्र संचालित किये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में राज्य सरकार विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का विचार रखती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमशः किराये के भवनों, निःशुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नोर्म्स के अनुसार करवाया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन अंतर्गत तीन परियोजनाएं आती हैं, जिनके अंतर्गत वर्तमान में 330 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बालक/बालिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**परियोजना**	**आ.बा. केन्द्रों की संख्या**	**पंजीकृत बालक/ बालिकाओं की संख्या**			
			6 माह से 3 वर्ष के		**3 से 6 वर्ष के**	
			बालक	**बलिकाएं**	**बालक**	**बलिकाएं**
1	खारची	224	3304	3153	2092	2113
2	रानी	79	1153	1112	721	660
3	देसूरी	27	443	426	302	294
	कुल योग	**330**	**4900**	**4691**	**3115**	**3067**

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

आंगनबाड़ी केन्द्रों में बालकों की निर्धारित आयु

7. **श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर** (करणपुर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शाला पूर्व शिक्षा के लिये आंगनबाड़ी में आने वाले बालकों की निर्धारित आयु क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी में ग्रीष्मकाल के दिनों में बालकों के आने का क्या समय निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा के लिए पंजीकृत किया जाता है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की समय सारणी निम्नानुसार है -

ग्रीष्मकाल - 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक आंगनबाड़ी संचालन का समय प्रातः 08 से दोपहर 12 बजे तक

शीतकाल - 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक आंगनबाड़ी संचालन का समय प्रातः 10 से दोपहर 02 बजे तक

ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल में आवश्यकता होने पर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में बदलाव किया जाता है।

धोद में सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना

8. **श्री गोरधन** (धोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धोद मुख्यालय पर सहायक अभियंता कार्यालय व डाक बंगला स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

धोद विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर सहायक अभियंता कार्यालय स्वीकृत है। धोद मुख्यालय पर सहायक अभियंता कार्यालय भवन एवं डाक बंगला स्वीकृत किया जाना राज्य सरकार के कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

मनोहर थाना में स्वीकृत सड़कें

9. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत पांच वर्षों में कौन-कौनसी सड़कों की स्वीकृति जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से वर्तमान में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी सड़कों का निर्माण कार्य शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत 05 वर्षों में सड़कों की जारी स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत 05 वर्षों में कुल 128 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई, जिनमें से 111 सड़कों के कार्य पूर्ण कर लिये गये है एवं 17 सड़कों के कार्य शेष हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिव में आपदा पीड़ितों को सहायता

10. श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में विगत पांच वर्षों में आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदा की घटनाएं कहां-कहां घटित हुईं तथा उक्त में कितनी-कितनी जनहानि व पशु हानि हुई? ग्रामवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आगजनी व प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त घटनाओं में सहायता के वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित हैं तथा उक्त का कब तक निस्तारण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शिव में विगत 05 वर्षों में आगजनी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से 08 जन हानि एवं 213 पशु हानि हुई है जिनका ग्रामवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आगजनी एवं प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित 07 मृतकों को राशि 28.00 लाख रु. तथा 27 व्यक्तियों (184 पशु हानि होने पर) को राशि 6.60 लाख रु. की भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई गई है। भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-अ के अनुसार है।

(3) उक्त घटनाओं में 01 जन हानि, 05 व्यक्तियों के (29 पशु हानि) के प्रकरण लंबित हैं, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शीघ्र भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में किसान सेवा केन्द्र की स्थापना

11. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केन्द्र भवन बने हुए हैं तथा कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें भवन विहिन हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के किसान सेवा केन्द्र से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित कर किसान सेवा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 44 ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक के मुख्यालय स्वीकृत हैं, जिसमें से 26 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में किसान सेवा केन्द्र भवन बने हुए हैं तथा 18 ग्राम पंचायतें किसान सेवा केन्द्र भवन विहीन हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर नवीन पदों एवं मुख्यालयों का सृजन किया जाता है। विधान सभा

(कृषि मंत्री)

क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत मुख्यालयों में कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित कर किसान सेवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सांवलिया जी चिकित्सालय में पार्किंग शुल्क वसूली की जांच

12. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ शहर के श्री सांवलिया जी चिकित्सालय की पार्किंग में ठेकेदारों द्वारा मरीजों व उनके परिजनों से निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूली जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ठेकेदारों द्वारा अधिक राशि वसूली की जांच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में पार्किंग ठेकेदार द्वारा विभाग से जारी ठेका अनुबंध में निम्नानुसार दरें निर्धारित हैं:-

क्र.सं.	वाहन का नाम	वाहन की दर 12 घंटे तक (प्रति वाहन)	वाहन की दर 12-24 घंटे तक(प्रति वाहन)
1	स्कूटर/मोटर साईकिल/2व्हीलर	5.00	5x2=10.00
2	थ्री व्हीलर, कार/ जीप/4व्हीलर	10.00	10x2=20.00

उक्त दरों के अनुसार ही मरीजों व उनके परिजनों से वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित राशि ही ली जा रही है।

(2) संवेदक के विरुद्ध निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अत: कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उदयपुर में संचालित निजी मेडिकल कालेज

13. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला उदयपुर में कितने निजी मेडिकल कालेज संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर जिले मे निम्न चार निजी मेडिकल कालेज संचालित हैं:-

1. गीतांजली मेडिकल कालेज, उदयपुर
2. पेसिफिक मेडिकल कालेज, उदयपुर
3. पेसिफिक इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल सांइस, उदयपुर
4. अमेरिकन इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, उदयपुर

बांदीकुई के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण

14. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन पुराने व जर्जर अवस्था में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 12 उप स्वास्थ्य केन्द्र पुराने भवनों में संचालित हैं। उक्त में से दो उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के उप स्वास्थ्य केन्द्र जागीर बांदीकुई एवं अनन्तवाडा का भवन जर्जर अवस्था में है। इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीन भवन निर्माण हेतु अभीम मद में राशि 41.10 लाख प्रत्येक की स्वीकृति प्राप्त है जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिशन निदेशक एनएचएम के पत्रांक 2075 दिनांक 03.06.2022 के द्वारा जारी की गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अनन्तवाडा में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित हो गई है एवं निविदा आमंत्रित कर ली गई है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र जागीर बांदीकुई के जर्जर भवन परिसर में वर्तमान उपलब्ध भूमि नोर्म्स के अनुसार पर्याप्त नहीं है।

नोर्म्स अनुसार पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र जागीर बांदीकुई के भवन के निर्माण कार्य करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोरोना के पश्चात् हृदयाघात से हुईं मौतें

15. श्री यूनुस खान (डीडवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोरोना के बाद वर्ष 2020 से अब तक हृदयाघात से होने वाली मौतों के मामले में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मौतों के संबंध में कोई आंकलन किया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कोरोना काल के बाद होने वाली मौतों में साइलेंट हार्ट अटैक इसका कारण रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामलों में कोरोना की वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या कितनी एवं कुल मौतों का कितना प्रतिशत है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सामान्य वृद्धि हुई है एवं राज्य सरकार द्वारा इसका कोई आंकलन नहीं करवाया गया है।

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

संविदाकर्मी की मृत्यु पर आश्रित को नौकरी

16. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार कार्यालय पंचायत समिति नगर, जिला-डीग में दिनांक

(श्री ललित मीना)

12 मई, 2008 से 31 दिसम्बर, 2019 तक ग्राम रोजगार सहायक के पद पर संविदा पर कार्यरत रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल संविदा/प्रतिनियुक्ति के पद ही सृजित हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम रोजगार सहायक का पद संविदात्मक पद है। संविदात्मक पद पर कार्यरत कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को नौकरी देने का नरेगा योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

डेगाना के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भवन

17. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व मां शारदे छात्रावास कहां-कहां व कब से संचालित हैं?

(2) उक्त विद्यालयों एवं छात्रावास के स्थापना से वर्तमान तक भवन निर्माण व अन्य निर्माण कार्यों पर कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई व कितनी राशि व्यय की गई? कार्य का नाम, व्यय राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) व मां शारदे हॉस्टल का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	नाम	संचालन का वर्ष
1	केजीबीवी (टाइप-3) लंगोड, डेगाना।	वर्ष 2007 से संचालित।
2	मां शारदे हॉस्टल (केजीबीवी टाइप-4) गोरेडी चाचा, डेगाना।	वर्ष 2014 से संचालित।

(शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त विद्यालयों एवं छात्रावास की स्थापना से वर्तमान तक भवन निर्माण व अन्य निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि का समग्र विवरण निम्नानुसार है-

मां शारदे हॉस्टल, गोरेडी चाचा, डेगाना में विभिन्न चार निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक कुल 97.57 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अब तक 84.73 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं। उक्त चार कार्यों में से तीन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा एक कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है।

इसी प्रकार केजीबीवी, लंगोड, डेगाना में विभिन्न सोलह निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2007-08 से 2023-24 तक कुल 303.58 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से अब तक 97.20 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। उक्त सोलह कार्यों में से पन्द्रह कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा एक निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उक्तानुसार स्वीकृत एवं व्यय राशि का वर्षवार (कार्य के नाम सहित) विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

18. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या शिक्षा यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के पद रिक्त हैं? विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त व जर्जर अवस्था में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने व क्षतिग्रस्त/जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग

(शिक्षा मंत्री)

के श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है।

(2) यू-डाईस 2022-23 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता वाले कक्षों की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट -1 पर संलग्न है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्पूर्ण जर्जर स्थिति में नहीं है।

(3) जी हाँ। समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत, जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं नवीन निर्माण यथा: कक्षा-कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य/गतिविधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रति वर्ष स्वीकृत किये जाते हैं। अत: वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य करवाये जाते हैं। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में उक्त विधान सभा क्षेत्र के किसी भी राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृहद् मरम्मत की कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर; राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जाना संभव होगा।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

छबड़ा के विद्यालयों में रिक्त पद

19. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में संचालित राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौनसे संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश में कोई भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं होकर माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय विद्यालय में

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयवार संवर्गवार एवं विषयवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश में रिक्त पदों को भरने हेतु वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत भर्ती एजेन्सी एवं आयोग द्वारा जारी विज्ञापित पदों के अनुसार वर्तमान में नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है। साथ ही विभाग में आगामी भर्तियों से संबंधी विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर व कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से पात्र आशार्थी प्राप्त होने पर शेष रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जैसलमेर में संचालित बड़ाबाग दुग्ध डेयरी

20. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जैसलमेर की बड़ाबाग दुग्ध डेयरी में कितना दूध कितने गांवों से संकलित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुग्ध किस दर पर बेचा जाता है? उक्त डेयरी में निर्मित मावा, फैट (वसा) और पनीर का निर्यात कहां-कहां किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डेयरी में वेस्ट निकासी की क्या व्यवस्था है? क्या वेस्ट के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर की बड़ाबाग दुग्ध डेयरी में दुग्ध समितियों से प्राप्त दूध का विवरण तथा गांव ढाणियों के नाम का विवरण प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त दुग्ध जैसलमेर शहर, जैसलमेर थईयात, आर्मी पोकरण, आर्मी नाचना, आर्मी पोकरण शहर, नाचना ग्रामीण एवं रामगढ ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार विक्रय किया जाता है:-

दुग्ध का प्रकार	**दर रु. प्रति लीटर**
टोण्ड मिल्क	50
डबल टोण्ड मिल्क	44
स्टैण्डर्ड मिल्क	54
छाछ	30

(गोपालन मंत्री)

मावा, फैट (वसा) और पनीर का निर्यात नहीं किया जाता है।

(3) डेयरी में ई.टी.पी. प्लांट संचालित है।

जी नहीं। वेस्ट के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलशहर में संचालित पशु चिकित्सालयों के भवन

21. श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कितने पशु चिकित्सालय व उप पशु चिकित्सालय संचालित हैं? उक्त में कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय व उप पशु चिकित्सालय स्वयं के तथा कितने किराये के भवन में संचालित हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में 7 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 15 पशु चिकित्सालय तथा 43 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र सहित कुल 65 पशु चिकित्सा संस्थायें स्वीकृत हैं, जिनमें कार्मिकों के कुल स्वीकृत 164 पदों में से 90 पद रिक्त हैं।

जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के 18 पशु चिकित्सालय एवं 18 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के पशुपालन विभाग के स्वयं के राजकीय भवन उपलब्ध हैं, जिनका पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। शेष 29 पशु चिकित्सा संस्थायें ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त/वैकल्पिक व्यवस्था में उपलब्ध भवनों में संचालित हैं।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की कोई भी पशु चिकित्सा संस्था किराये के भवन में संचालित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)